खण्ड-320, अंक-8
बुधवार, 11 चैत्र, शक संवत् 1898
(31 मार्च, 1976 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 320 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	715–718
प्रश्नोत्तर	718–746
उत्तर प्रदेश उपदान के भुगतान की नियमावली, 1975 (सदन के पटल पर रखी गयी)	746
उत्तर प्रदेश केन्द्रीय बिक्री–कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 (सदन के पटल पर रखी गयी)	746
उत्तर प्रदेश राज्य विश्व विद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1975 (सदन के पटल पर रखी गयी)	746
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वबिद्यालय (कठिनाइयां दूर करने का) (दशम) आदेश, 1975 (सदन के पटल पर रखा गया)	746
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (नियन्त्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी इमारत का निर्माण या पुनर्निर्माण करने अथवा कोई कुआं बनाने या उसे बड़ा करने की) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयी)	746–747
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 (सदन के पटल पर रखी गयी)	747
नगर महापालिका, लखनऊ, जल परिव्यय विनियमन नियमावली (प्रथम संशोधन) 1975 तथा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका जल सम्भरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	747
उत्तर प्रदेश होटलों में सुखसाधन कर नियमावली, 1975 (सदन के पटल पर रखी गयी)	747
उत्तर प्रदेश सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयी)	747
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976 .. (सदन के पटल पर रखी गयी)	748
विधान सभा सदस्य, श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा की पैरोल पर रिहाई के सम्बन्ध में सूचना	748
विधान सभा सदस्य, श्री कैसरी लाल की जेल से रिहाई की सूचना	748
विधान सभा सदस्य, श्री शिव प्रसाद तथा श्री शतरुद्ध प्रकाश को मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध किये जाने के सम्बन्ध में सूचना	748
विधान सभा सदस्य, श्री राम रेखा यादव को कारावास का दंड दिये जाने के संबंध में सूचना	748–749
सदस्यों के वेतन व भत्ते के सम्बन्ध में नियमों में संशोधन का सुझाव	749
विधान सभा सदस्य, श्री शिव प्रसाद की गिरफ्तारी की सूचना विलम्ब से देने के सम्बन्ध में शिकायत	749–752

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	752
उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1975-76) का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	753
श्री के0 पी0 राय, थाना इंचार्ज, केराकत के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	753-754
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	754-755
लखनऊ विश्वविद्यालय की एम0 डी0 के परीक्षाफलों में तथाकथित भारी घोटाले के सम्बन्ध में वक्तव्य	755-758
'लोक पक्ष' दल के गठन की सूचना	758-760
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 (पारित)	760-770
उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1976 (पारित)	770-785
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1976 (पारित) ..	786
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	786
नत्थियां	787-790

	.. .. ..	١٥٠-١٤١
	.. .. ..	١٩٩
	.. .. ..	١٨٠
	.. .. ..	١٣٣-١١٠
	.. .. ..	١١٥-١٠٩
	.. .. ..	١٠٠-٩٢
	.. .. ..	٩٢-٨٣
	.. .. ..	٨٣-٦٣
	.. .. ..	٦٣-٤٣
	.. .. ..	٤٣-٢٣
	.. .. ..	٢٣
	.. .. ..	٢٢
	.. .. ..	٢٢-١

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 31 मार्च, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बजकर 2 मिनट पर अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—276

अंगने लाल, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (एडवोकेट) उर्फ जिमी मियां
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां, 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्र मोहनी, श्रीमती
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, सिंह
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (ऐडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदालाल चौधरी श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री

नागेश्वर, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेनी, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्मचन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजु राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भन्डारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायणदास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नारायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पूरनचन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्दअली बेग, श्री
बंशीधर, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बल वीर सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मनीराम, श्री
मन्नीलाल, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह, श्री एडवोकेट
मानबहादुर सिंह, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मेघनाथ सिंह शिशौदिया, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहम्मद हयात, हाजी

यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र शाह, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम बचन, श्री
राम मूर्ति, श्री
राम रति बिन्द, श्री एडवोकेट
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पांडेय, श्री
शिव कैलाश, श्री
शिवनाथ सिंह 'कुशवाहा', कुंवर
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ मुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री

सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 31 मार्च, 1976

तारांकित प्रश्न

नरौरा बैराज से गंगा नदी में पानी छोड़े जाने के फलस्वरूप तरबूज एवं खरबूजे की फसल को क्षति

*1—श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि दिनांक 18 मई, 1975 से 23 मई, 1975 तक बिना चेतावनी दिए नरौरा से गंगा में पानी छोड़ा गया जिसके फलस्वरूप फर्रुखाबाद में रेती में होने वाली लगभग 15 लाख रुपए की तरबूज तथा खरबूजा आदि की फसल या तो बह गयी या जल मग्न हो गयी ? यदि हां, तो बिना चेतावनी दिए हुए पानी छोड़ने का क्या कारण था ? इसके लिये दोषी कौन हैं ?

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री मुमताज मोहम्मद खां)—

नियमानुसार गंगा नदी में नरोरा बैराज से नीचे 30,000 क्यूसेक्स से अधिक पानी छोड़े जाने पर ही चेतावनी दी जाती है। 18 मई, 1975 से 23 मई, 1975 तक अधिक से अधिक 9317 क्यूसेक्स पानी ही छोड़ा गया। अत: किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता। इस अवधि में गंगा नदी में पानी बढ़ने से तरबूज तथा खरबूजों को क्षति होने की सूचना शासन को उपलब्ध नहीं है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मन्त्री जी ने कहा कि शासन को क्षति होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन माननीय मन्त्री जी को मालूम होना चाहिये कि फर्रुखाबाद खरबूजे और तरबूज के लिए सारे देश में विख्यात है, तो क्या उनको जानकारी है कि मैंने स्वयं तथा वहां के जिला तरबूज व्यापारी संघ ने जिला अधिकारी, फर्रुखाबाद को इस सम्बन्ध में लिखा है कि वहां 15 लाख रुपए का तरबूज और खरबूजे की फसल को क्षति अकारण और अनायास गंगा में जल बढ़ जाने के कारण हुई है ? वह बताने की कृपा करें कि मेरे उस पत्र पर तथा जिला तरबूज संघ के पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

माननीय सदस्य ने और तरबूज व्यापारी संघ ने जो पत्र लिखा है, उसके सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अलबत्ता मैंने इस सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसीलदार व अधिकारियों से जानकारी की थी, लेकिन उनको भी इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं। उनके पास एक आपत्ति बही होती है, उसमें भी इस सिलसिले में किसी बात का जिक्र नहीं है कि इस प्रकार से गंगा नदी में पानी आया। मेरे पास सारे आंकड़े हैं, जितना-जितना गंगा नदी में नरोरा बैराज से 18 मई से 23 मई तक पानी का डिस्चार्ज किया गया। उसका कारण यह था कि लोवर गंगा कैनाल पूरे डिस्चार्ज से चल रही थी और शेष पानी गंगा नदी में ही चला जाता है, जो हमारी आवश्यकता से अधिक होता है। अत: मेरी तरफ से तो कोई इसमें दोषी नहीं है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मन्त्री जी ने बताया कि जो आपत्ति रजिस्टर होता है, उसमें भी इसका कोई ब्यौरा नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, उससे लगता है कि शायद माननीय मन्त्री जी को जानकारी नहीं दी गई कि सदर तहसील फर्रुखाबाद में जो आपत्ति रजिस्टर है, उसमें तहसीलदार का नोट है कि गंगा का पानी बढ़ने से तरबूज की फसल को क्षति हुई है, किन्तु उसकी रिपोर्ट नहीं आई। उसकी रिपोर्ट नहीं आई, तो उसका दोषी कौन है? क्या तहसीलदार और अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों ने वहां जाकर जांच की? क्या यह उचित नहीं था कि जो मैंने स्वयं इस घटना के तुरन्त बाद जिलाधिकारी को पत्र लिखा था, उस पर आवश्यक और पूरी कार्यवाही की जाती? मुझको कोई जानकारी तक नहीं दी गई?

श्री मुमताज मोहम्मद खां —

मान्यवर, मुझे उन किसानों के साथ पूरी सहानुभूति है, लेकिन तहसीलदार अथवा जिला अधिकारी ने पत्र पर क्या किया, मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं अपने विभाग के सम्बन्ध में इतना कह सकता हूं कि 30 हजार क्यूसेक्स से ज्यादा पानी जब नरोरा से गंगा नदी में डाला जाता है, तो उसकी वार्निंग हम भिन्न-भिन्न जिला अधिकारियों को तथा दूसरे अधिकारियों को भी दे देते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा इस अवधि में जो पानी गंगा नदी में आया, उसका ब्यौरा 9317 क्यूसेक्स था। तो इसकी जरूरत नहीं समझी गई कि इस प्रकार की कोई वार्निंग दी जाए। हो सकता है किसानों ने गंगा नदी के बहुत करीब खरबूजा और तरबूज की खेती कर रखी हो कि 9317 क्यूसेक्स पानी ही वहां तक पहुंच गया।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने उनसे यह नहीं पूछा कि नरौरा से कितना पानी आया। हमने अपने पत्र के बारे में पूछा है कि उस पर क्या कार्यवाही हुई। मन्त्री जी यह भी कह रहे हैं कि यह उनसे सम्बन्धित नहीं है, किन्तु उन्होंने सूचना दी है कि किसी की क्षति होने की शासन को कोई जानकारी नहीं है। मान्यवर, यह बड़ा अहम सवाल है कि इस तरह से घटना हुई, जिसकी स्थानीय विधायकों ने भी सूचना दी। फिर भी मान्यवर, शासन को इस बात का पता नहीं है कि मेरे पत्र पर क्या कार्यवाही हुई और तरबूज संघ के पत्र पर क्या कार्यवाही हुई। मान्यवर, इसका उत्तर मुझे नहीं मिला।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं और जानकारी कर लूंगा। इस समय जो मेरे पास सूचना है, वह यही है। मेरे पास इसकी भी सूचना नहीं है कि माननीय सदस्य का पत्र आया था।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो पत्र लिखा था, वह किसको लिखा था?

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

जिलाधिकारी को मान्यवर, और यहां भी लिखा था। उस पत्र की जानकारी उनको नहीं है मान्यवर, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर आध घंटे का डिस्कशन आप एलाऊ कर दें?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप लिख कर दें।

*2—**श्री विमल प्रसाद तिवारी—**

[24-3-76 को तारांकित प्रश्न संख्या 4 पर उत्तरित।]

जमानियां पम्प कैनाल, गाजीपुर में डूबे हुए बार्ज को निकालने में व्यय की गयी धनराशि

*3—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जमानियां पम्प कैनाल, गाजीपुर में 1971-72 में बार्ज पानी में डूब गया था उसके डूबने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या यह सच है कि उक्त डूबे हुए बार्ज को निकालने में बार्ज की कीमत से कई गुना ज्यादा खर्च तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता (श्री आर० पी० शर्मा) द्वारा किया गया है? यदि हां, तो बार्ज की कीमत क्या थी? उसके निकालने पर कितना रुपया खर्च किया गया और उसके लिए कौन जिम्मेदार था? उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? इस सम्बन्ध में दिनांक 7 मई, 1975 को मुख्य मन्त्री, सिंचाई मन्त्री को प्रश्नकर्ता ने पत्र भी लिखा है? उस पर क्या कार्यवाही की गई?

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ चौधरी)—

जी हां। बार्ज डूबने की जिम्मेदारी किसी की नहीं है? क्योंकि वह भयंकर तूफान आने के कारण डूबा था। यह सत्य नहीं है कि उक्त डूबे हुए बार्ज को निकालने में बार्ज की कीमत से कई गुना अधिक खर्च किया गया। इस सम्बन्ध में दिनांक 7 मई, 1975 को प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मन्त्री जी तथा सिंचाई मन्त्री जी को लिखे गये पत्र में की गयी शिकायत पर जांच कराई गयी और चूंकि बार्ज भयंकर तूफान आने से डूबा था, किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का सवाल नहीं उठता।

श्री ऊदल—

मान्यवर, जब बार्ज पानी में डूब गया तो इसको निकालने में कुल कितना खर्च लगा है?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

मान्यवर, 30,390.84 पैसे लगे हैं।

श्री ऊदल—

यह कब तूफान आया था, जब बार्ज डूब गया था?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

मान्यवर, कब तूफान आया, इसकी सूचना नहीं है।

श्री ऊदल—

मेरी जानकारी में कोई तूफान नहीं .....

श्री अध्यक्ष—

सरकारी तूफान आ गया क्या?

श्री ऊदल—

जब इसकी जानकारी सरकार को नहीं है, तो मैं भी कह रहा हूं कि कोई तूफान नहीं आया। क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि बार्ज डूब गया तो; इसकी जिम्मेदारी किस व्यक्ति की थी और क्या उसके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

यह जानकारी है कि जिस दिन तूफान आया उसी दिन करोटा डीह की बहुत सी नावें डूब गयीं। तो यह बार्ज उसी तूफान से डूबा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

माननीय मन्त्री जी को नहीं मालूम कि तूफान कब आया, लेकिन इस बात की जानकारी तो होगी ही कि यह कब डूबा?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

मान्यवर, तारीख की सूचना नहीं है। इतना मालूम है कि जब तूफान आया तो करौटा डीह की नावें डूब गयीं ?

श्री राम मूर्ति (जिला बरेली)—

मान्यवर, 31 हजार की बड़ी रकम को देखते हुए उसका ब्यौरा बताने की कृपा करेंगे कि इतना रुपया किस बात पर खर्च किया गया है ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

मान्यवर, मैंने अभी बताया कि कुल खर्चा 30,390.84 रुपए का हुआ है।

श्री राम मूर्ति—

किस-किस आइटम पर ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

किस-किस मद पर हुआ है, इसके लिए विस्तृत जानकारी की आवश्यकता होगी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) —

यह जानकारी तो इनको लेकर आनी ही चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष—

अगर जानकारी नहीं है, तो स्थगित है।

रिग्स प्रखण्ड, वाराणसी के सहायक अभियन्ता द्वारा मशीनों एवं कम्प्रेशरों की मरम्मत पर व्यय की गयी फर्जी धनराशि

*4—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रिग्स प्रखण्ड, वाराणसी के सहायक अभियन्ता पंचम ने 1 अक्तूबर, 1972 से सितम्बर, 1974 तक 20 लाख रुपए का भुगतान मशीनों के रिपेयरिंग का किन-किन फर्मों को किया है और उस वक्त कितनी रिग्स मशीनें एवं कम्प्रेशर उक्त सहायक अभियन्ता के अन्तर्गत थीं ? क्या यह सही है कि भुगतान फर्जी फर्मों को करके 20 लाख रुपए से ज्यादा सरकारी धन को हड़प लिया गया है, जबकि इतने रुपए में कई रिग्स मशीन एवं कम्प्रेशर आ सकते थे ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने माननीय मुख्य मन्त्री एवं सिंचाई मन्त्री को तारीख 7 मई, 1975 को पत्र लिखा है, उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

रिग्स प्रखण्ड, वाराणसी के सहायक अभिन्ता पचंम, ने 1 अक्तूबर, 1972 से सितम्बर, 1974 तक रु024,06,147.00 की धनराशि का भुगतान रिग्स मशीनों एवं कम्प्रेशरों आदि के रिपेयरिंग के लिए किया। फर्मों की सूची "क" संलग्न है। इस अवधि में सहायक अभियन्ता के पास रिग्स मशीनों एवं कम्प्रेशरों की सूची "ख" संलग्न है।

20 लाख रुपए की धनराशि के हड़पे जाने के सम्बन्ध में जब तक पूर्ण जांच न हो जाए, कुछ कह सकना सम्भव नहीं है। माननीय सदस्य का दिनांक 7 मई, 1975 का पत्र सतर्कता विभाग को जांच हेतु भेज दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 787–789 पर।)

श्री ऊदल—

क्या यह बात सत्य है कि जिन फर्मों का नाम लिया गया है उनसे बिना कोटेशन या टेण्डर लिए हुए ही यह सब काम कराया गया है ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

जी नहीं। कोटेशन और टेण्डर लिए गए हैं।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मशीनों की अदद बहुत कम है, कभी 3, कभी 2 और 1 और कभी 4, लेकिन 40 लाख रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च किए गए और 50-60 फर्मों के नाम गिनाए गए हैं, तो क्या माननीय मन्त्री जी जांच करेंगे और सहायक अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

यह सही है कि इसमें काफी रुपया खर्च हुआ है। तभी जांच करायी जा रही है।

श्री ऊदल—

क्या सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को सर्विस से निकालने की आज्ञा देंगे, जो इस काम के लिए दोषी हैं ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

जहां तक सहायक अभियन्ता को निकालने का सवाल है, जब कम्पलीट जांच होकर आ जाएगी तभी उसके विरुद्ध कार्यवाही सम्भव है। जब तक जांच की रिपोर्ट न आ जाए तब तक निकालना सम्भव नहीं है।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि एक नई रिग मशीन की कीमत 3 लाख रुपए से कुछ ज्यादा है और इनकी रिपेयर में विभाग वालों ने 17 लाख रुपए व्यय कर दिए 2 वर्ष में ? क्या इस बात की माननीय मन्त्री जी जांच कराने की कृपा करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

मान्यवर, एक रिग मशीन की कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। जो 2 साल में, इन 3 मशीनों पर खर्च किया गया है, 17 लाख रुपया वह सन्देहात्मक अवश्य है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

कीमत से ज्यादा मरम्मत पर खर्च करने की अनुमति किसने दी ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

जो खर्चा हुआ है, उससे सिद्ध होता है कि मरम्मत में अधिक खर्चा हुआ है। तभी तो जांच की कार्यवाही हुई है और जब रिपोर्ट आ जायगी तो निश्चय ही कार्यवाही की जाएगी।

श्री राम मूर्ति—

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मशीनों की कीमत से, मरम्मत में बहुत ज्यादा खर्च हुआ है, एक हाई पावर कमेटी बिठाने की आज्ञा देंगे, जो इस मामलात में ब्यौरे में जाकर देखें और आपके और सदन के सामने सही तस्वीर रखे ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

इसकी जांच पहले मुख्य अभियन्ता कर रहे थे, किन्तु जब आपने दरख्वास्त दी, तो उसके पहले ही इसको सतर्कता विभाग को सौंप दिया गया था। उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कार्यवाही की जाएगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

एक मात्र इस तथ्य पर कि 6 लाख रुपये की नई मशीन है और 17 लाख रुपये मशीनों की मरम्मत पर खर्च किया गया है, क्या सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को निलम्बित करने के लिए यह काफी नहीं है ?

श्री ऊदल—

सम्बन्धित सहायक अभियन्ता आज भी कानपुर मे कार्यरत हैं, तो अभी तक उनको निलम्बित क्यों नहीं किया गया है ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

अभी प्रारम्भिक जांच नहीं हो पाई है। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक अगली कार्यवाही करना नियम विरुद्ध होगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

यह मामला सतर्कता विभाग को कब दिया गया था ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

23 नवम्बर, 1974 को सतर्कता विभाग को सौंपा गया था।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृप करेंगे कि इतने बड़े घपले में क्या वर्ष 1974 में जबसे यह मामला सतर्कता विभाग को सौंपा गया था, कोई इन्टेरिम रिपोर्ट सरकार ने मांगी है ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

मैं जब से बैठा हूं, प्रयास कर रहा हूं कि जल्द से जल्द रिपोर्ट आ जाय, ताकि निर्णय लिया जा सके, लेकिन अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। प्रयास किया जा रहा है कि वह शीघ्र आ जाय।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि इलाहाबाद के एस0 ई0 इस मामले की जांच कर रहे थे और उन्होंने इस सम्बन्ध में बहुत से तथ्य इकट्ठे कर लिए थे, वे श्री टंडन साहब थे, लेकिन उनसे यह जांच वापस ले ली गई क्योंकि ये सब दोषी थे, और वे जल्द ही इस मामले में रिपोर्ट देने वाले थे और उन्होंने कुछ रिपोर्ट भी दे दी थी ? क्या माननीय मन्त्री जी उनकी रिपोर्ट मंगा कर देखेंगे और उन तथ्यों के आधार पर इस सहायक अभियन्ता को निलम्बित करेंगे ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

अगर सिंचाई विभाग जांच करता तो हमारे विधायक महोदय आपत्ति करते कि विभागीय अधिकारी ही जांच कर रहा है। इसलिए विभागीय अधिकारी से जांच न करा कर सतर्कता विभाग से जांच करायी जा रही है, ताकि किसी प्रकार की आपत्ति न हो।

श्री ऊदल—

ऐसा कोई अन्य आदमी इनके विभाग में नहीं है। इसके विरुद्ध कोई अंगुली नहीं उटा सकता। इसलिए इस तरह की बात कहना कि विधायक महोदय आपत्ति करते, मैं तो आपत्ति की बात ही नहीं कर रहा हूं। वह बहुत ईमानदार अधिकारी है।

श्री राम मूर्ति—

क्या इस बात का ध्यान रखते हुए कि यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है और डेढ़ साल का वक्त हो गया है और अभी तक डिपार्टमेंट कोई प्राइमाफेसी केस नहीं बना पाया है, यह इस बात का सबूत नहीं है कि मन्त्री जी इस मामले को स्वयं देखें और देख कर कदम उठायें ताकि सरकार के ऊपर लोग खामखाह आक्षेप न करें ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

मैं स्वयं इसे महसूस कर रहा हूं कि यह मामला काफी गम्भीर है। इसको मैं देखूंगा और विचार करूंगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

एक छोटा सा सवाल ।

श्री अध्यक्ष—

सवाल की अगर मैंने इजाजत दे दी तो फिर चाहे छोटा करें या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

विजिलेन्स को कोई मामला इन्क्वायरी के लिए तब तक नहीं जाता जब तक कि प्राइमाफेसी केस नहीं बन जाता। क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि इसमें प्राइमाफेसी केस बन गया था, तब विजिलेन्स को दिया गया या उससे पूर्व ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

जब गम्भीर मामला होता है, तब सतर्कता विभाग को जांच के लिए केस दिया जाता है। माननीय सदस्य ने कहा कि यह मामला काफी गम्भीर है, इसलिये सतर्कता विभाग को जांच के लिए दिया गया।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

प्राइमाफेसी केस बन गया था, तब विजिलेन्स में गया या पहले ही ?

श्री अध्यक्ष—

प्राग्दर्शन में ही नहीं, वह कहते हैं गम्भीर है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

जब गम्भीर है, तो फिर क्यों नहीं ऐक्शन लेते, क्यों छिपा रही हैं गवर्नमेंट जब उन्ही की पार्टी के लोग कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप भी कहें तो उनको करना चाहिए।

श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

जब पुरानी मशीनों की मरम्मत कराने में ज्यादा खर्चा होता है, तो कोई ऐसी व्यवस्था की गयी कि जहां मरम्मत कराने में ज्यादा खर्चा हो तो सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अधिकारी मरम्मत न करायें ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

इस पर अवश्य विचार करेंगे।

दोहरीघाट सहायक परियोजना के पम्प हाउस के निर्माणार्थ आवंटित धनराशि

*5—श्री राम सुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट सहायक परियोजना के पम्प हाउस के निर्माण के लिए कुल 32 लाख रुपये का प्राविधान था तथा वह अब बढ़ कर 50 लाख रुपए का हो गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

दोहरीघाट सहायक परियोजना का प्राक्कलन 1971 में तैयार किया गया था। और उसमें पम्प हाउस के लिये 32 लाख रुपये का प्राविधान था। तब से विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे लोहा, सीमेंन्ट, ईंट आदि के मूल्य तथा मजदूरी की दरों में अत्यधिक वृद्धि के कारण पम्प हाउस की अनुमानित लागत रु0 45.15 लाख हो गयी है।

श्री राम सुन्दर पान्डेय—

यह बढ़ोत्तरी आखिरी है या और होगी ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

यह नहीं कहा जा सकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

किस सन् में यह बढ़ोत्तरी की गयी है?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

सन् 1972 में काम की स्वीकृति हुई, 1973-74 में काम शुरू हो गया जैसे-जैसे महंगायी बढ़ती गयी, यह इस्टीमेट बढ़ता गया ।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

इस्टीमेट के बाद सामान की कीमत घटी या बढ़ी ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

कीमत बढ़ी है, इसे तो सभी जानते हैं।

श्री राममूर्ति—

सन् 1974 से 1976 तक ईंट, लोहा, सीमेंट, मजदूरी आदि की कीमत रुकी हुई है, ऐसी सूरत में किस कारण यह इस्टीमेंट बढ़ा ।

श्री जगन्नाथ चौधरी—

कीमत तो घटती बढ़ती रहती है। लेकिन शुरू में जब इस्टीमेट बनाया गया था, उसके बाद बढ़ी है।

श्री राममूर्ति—

आपने कहा कि कीमत घटती-बढ़ती है, तो घटी, किस चीज की है ?

(हंसी)

श्री जगन्नाथ चौधरी—

यह तो आप जानते हैं कि बढ़ी ही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

रिवाइज्ड इस्टीमेंट्स कब-कब बने हैं ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

इसके विवरण की जानकारी नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

जब कीमतें बढ़ी हैं तो इस्टीमेट्स रिवाइज्ड हुए होंगे, वह कब-कब हुए हैं ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

निर्माण कार्य शुरू होने पर मजदूरी दैनिक का भाव जो 3 रुपये था, बढ़कर 4 और साढ़े 4 हो गया . . . .

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि कब-कब रिवाइज्ड इस्टीमेंट्स बने ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)—

जब इस्टीमेट्स बने थे तब लोहा, सीमेन्ट, ईंट आदि के क्या दाम थे, इस समय क्या दाम ह ?

श्री अध्यक्ष—

यह ब्यौरे का प्रश्न है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

इस सम्बन्ध में आडिट ने आपत्तियां क्या की थीं, और उस सम्बन्ध में सरकार ने पी० ए० सी० को क्या उत्तर दिया था, क्या नोट भेजा था ? यहां उत्तर दूसरा दिया जा रहा है, वहां दूसरी बात कही थी।

श्री अध्यक्ष—

यह जो तर्क आप दे रहे हैं यह लिख कर दें तब तो वे उसका जवाब दिला देंगे ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

पी० ए० सी० ने भी इसको कन्सीडर किया है, वहां उत्तर दूसरा दिया गया सचिव की ओर से।

श्री अध्यक्ष—

वह उत्तर सदन के सामने है, नहीं। आप उसे लिख कर दे सकते हैं। अभी तो वे जो उत्तर दे रहे हैं, सन्तोषजनक ही है।

गोरखपुर एवं वाराणसी मण्डल में नलकूपों का जिलेवार आबंटन तथा उसका आधार

*6—श्री राम सुन्दर पान्डेय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में गोरखपुर एवं वाराणसी मन्डल के किन-किन जिलों को कितने-कितने नलकूपों का आबंटन किया गया है और आबंटन करने का आधार क्या है ?

श्री जगन्नाथ चौंधरी—

वर्तमान वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा नलकूपों का जिलेवार आबंटन अभी नहीं किया गया है। सामान्य रूप से आबंटन निम्नलिखित आधार पर किया जाता है :

(1) भूगर्भ जल सर्वेक्षण,
(2) उपलब्ध वित्तीय संसाधन,
(3) पानी की उपयोगिता की पर्याप्त संभावना,
(4) जिला चयन समिति की संस्तुति,
(5) अन्य तकनीकी व प्रशासनिक परिस्थितियां।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

क्या सिंचाई मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नलकूपों के आबंटन में जिले के क्षेत्रफल को भी ध्यान में रखा जाता है ? भूमि के क्षेत्रफल का ख्याल किया जाता है ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

जरूर रखा जाता है।

श्री राम सुन्दर पान्डेय—

जो उत्तर दिया है, उसमें यह नहीं है ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

जितना आपने प्रश्न पूछा था, वह उसका उत्तर दिया गया है।

श्री राम सुन्दर पान्डेय—

पूर्व में जो भी निर्णय लिए हैं उनमें क्षेत्रफल का ध्यान न रख कर भी, छोटे जिलों में अधिक नलकूप तथा बड़े जिलों में कम नलकूप दिए हैं, क्या भविष्य में ऐसी गलती न हो सके इस पर ध्यान रखा जाएगा ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

जो भी आबंटन किया गया है, वह सोच समझ कर ठीक ही किया गया है।

श्री ऊदल--

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि जिले में जो ऐडवाइजरी कमेटी है, उनकी संस्तुति का भी ध्यान रखा जाता है, तो वाराणसी जिले का मैं जानता हूं कि वहां की ऐडवाइजरी कमेटी ने हर तिमाही मीटिंग में सरकार को संस्तुति करके भेजा है और इसी तरह से और जिलों की ऐडवाइजरी कमेटीज ने भी भेजा होगा। तो आज जब कि वर्ष और वित्तीय वर्ष भी समाप्त हो रहा है, तो अब तक नलकूपों का आबंटन क्यों नहीं किया गया ?

श्री जगन्नाथ चौधरी--

पैसे के अभाव में नहीं किया गया। यदि पैसा होता तो जरूर आबंटन किया गया होता और नलकूप लगे होते।

श्री रुद्र प्रसाद (जिला मिर्जापुर)--

जो जिले सूखाग्रस्त हैं, उनका भी ध्यान रखा जाएगा ?

श्री जगन्नाथ चौधरी--

जरूर रखा जाएगा।

*7--श्री अठई राम--

[6वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 7 पर स्थानान्तरित।]

*8--श्री बाबू लाल वर्मा--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

ग्राम भारतपुर, जिला फतेहपुर में रिन्द नदी पर पुल निर्माण योजना

*9--श्री प्रेम दत्त--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भारतपुर विकास खंड, खजुहा, जिला फतेहपुर में रिन्द नदी पर जो पुल बनना है उसका निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री (श्री यशपाल सिंह)--

प्रश्नगत पुल के निर्माण कार्य को 1976-77 वर्ष में वर्षा ऋतु के बाद प्रारम्भ किया जा सकेगा।

श्री प्रेम दत्त--

यह पुल कब सैंक्शन हुआ, उसकी लम्बाई क्या है और कितने रुपए का एस्टीमेट है ?

श्री यशपाल सिंह--

इसकी ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्वीकृति दिनांक 20 सितम्बर, 1968 को हुई थी, दिनांक 28 मार्च, 1969 को वित्तीय स्वीकृति हुई, लम्बाई की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री प्रेमदत्त--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह पुल जहां बनना है, वहां से कुछ लोगों को मुख्य आवास जो फतेहपुर जिले का है, जाने के लिए 50 मील से अधिक का चक्कर लगाना पड़ता है और पुल बन जाने से लोगों को 20 मील ही फतेहपुर पड़ेगा, तो क्या माननीय मन्त्री जी उस पुल को बनाने की कृपा करेंगे और कब तक उस पुल के बन जाने की आशा की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने जवाब तो दे दिया कि वर्षा ऋतु के बाद काम प्रारम्भ कर दिया जाएगा और उसे बनाने की चेष्टा की जाएगी।

श्री प्रेमदत्त—

इसके बन जाने में कितना समय लगेगा?

श्री अध्यक्ष—

जवाब तो दे दिया गया कि शीघ्रातिशीघ्र।

श्री प्रेमदत्त—

1968 में तो पुल का एस्टीमेट बन गया था, तो क्या माननीय मन्त्री जी इसको टाप प्रायरिटी देकर एक साल के अन्दर ही इस पुल को बनवाने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उन्होंने बतलाया कि बरसात के बाद कार्य प्रारम्भ कर देंगे। अब कितना समय लगेगा, वह तो बतलाना मुश्किल है। क्योंकि किसी में 5 साल समय लगता है, किसी में सात साल समय लगता है, किसी में 3 साल का समय लगता है। आपकी मांग तो पूरी हो गयी कि काम शुरू कर देंगे।

श्री प्रेमदत्त—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस पुल के इधर उधर 3 किलो मीटर तक कोई पक्का रास्ता नहीं है...

श्री अध्यक्ष—

इसे तो उन्होंने मंजूर कर लिया है, उसे देखेंगे और बनवा देंगे, जब आपकी पुल दे दिया गया है तो फिर पक्का रास्ता भी बाद में बनवा देंगे ही।

*10—श्री प्रेमदत्त—

[24-3-76 को तारांकित प्रश्न संख्या 11 पर उत्तरित।]

*11—श्री राम सुन्दर पान्डेय—

[8वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 पर स्थानान्तरित।]

अफजलगढ़ सिचाई खंड, धामपुर परियोजना, जिला बिजनौर में गड़बड़ी एवं गंगा नदी पर रैनी के पुल का पुनर्निर्माण

*12—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सतर्कता विभाग के सिचाई पोस्ट ने अफजलगढ़, सिचाई खण्ड धामपुर, बिजनौर परियोजना में करीब 3 लाख रुपए का घपला पकड़ा है, तथा 1973 में राम गंगा नदी पर रैली के पास बना अस्थायी बांध टूटा था जिसको दोबारा बनाने में करीब 9 लाख रुपए का खर्चा दिखलाया गया था? यदि हां, तो गबन के इस मामले में कौन-कौन लोग पकड़े गये और अब तक सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की?

सिचाई मन्त्री (श्री लोकपति)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

फर्रुखाबाद जिले के गवनपुर तुर्राघाट और मिधौली घाट क्षेत्र में लिफ्ट सिचाई योजना के निर्माण की मांग

*13—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में दो लिफ्ट इर्रीगेशन स्कीम काली नदी पर गवनपुर तुर्राघाट मिधोली घाट के बारे में कोई प्रार्थना-पत्र 1974 को मन्त्री जी को प्राप्त हुआ? क्या यह सच है कि मार्ग की कमी की वजह से हजारों बीघा जमीन असिंचित रह जाती है? यदि हां, तो उन दोनों स्कीमों के बारें में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक इस पर कार्यवाही की जाएगी?

श्री जगन्नाथ चौधरी--

प्रथम भाग-जी हां।

द्वितीय भाग--गवनपुर, तुर्राघाट और मिधौलीघाट के क्षेत्र का निरीक्षण किया गया था। उसमें अधिकतर भाग बाढ़ ग्रस्त है और जो क्षेत्र बचता है वह या तो ऊंचा नीचा है या लिफ्ट योजना हेतु क्षेत्र कम है। अतः लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण सम्भव नहीं है।

श्री अनवार जमील--

यह जो दो घाट बनवाए गए हैं, इनके अलावा कायमगंज क्षेत्र में काली नदी जाती है और उस पूरे क्षेत्र में कई जगह ऊंची-नीची जमीन नहीं है और जो बाढ़ग्रस्त भी नहीं है, तो उनका सर्वे करा कर वहां लिफ्ट सिंचाई योजना कार्यान्वित करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगन्नाथ चौधरी--

अधिकतर जमीन उपलब्ध है, जो ऊंची-नीची नहीं है जैसा कि आपने कहा है, अगर आप चाहते हैं तो उनका दोबारा सर्वे करा लिया जायगा।

श्री अनवार जमील--

मेरा मकसद माननीय मन्त्री जी समझ नहीं पाए हैं ? इसके अलावा हमारे क्षेत्र में और जो जमीन है, क्या उसका सर्वे करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो अलग से सवाल हो गया । आप इसके लिये प्रार्थना करें, लिखकर द।

श्री जगन्नाथ चौधरी--

आप लिख कर प्रार्थना-पत्र दे दें, तो मैं सर्वे करा लूंगा।

श्री अनवार जमील--

मान्यवर, मेरा एक सवाल और है। आपने यह माना है कि हजारों बीघे जमीन बेकार पड़ी है। मेरा कहना यह है कि इसके अलावा कोई दूसरी स्कीम लागू करें। लिफ्ट इर्रीगेशन की जगह ट्यूबवेल लगवाने की कृपा करेंगे ? क्योंकि तमाम जमीन वहां और पड़ी है ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न जो आप पूछ रहे हैं। आपको भी पता नहीं है कि क्या करना है। जब आप वहां के रहने वाले हैं और आपको पता नहीं है, मन्त्री जी क्या पता देंगे ? (हंसी)

कानपुर जिले की बिलहा-अंजनपुर-इन्दौली सड़क को पक्का किये जाने की मांग

*I 4--चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में विलहा से अंजनपुर इन्दोली तक टेस्ट वर्क प्रोग्राम में सड़क बनवायी गयी है जिसमें कि मिट्टी की भरायी हो गयी और सभी पुलिया बन गयी हैं और यदि इसे पक्की सड़क न किया गया तो बरसात म सम्पूर्ण सड़क बह जाएगी और सारा धन तथा श्रम बेकार हो जायगा। यदि हां, तो इसे कब तक पक्की सड़क बना दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

इस मार्ग पर टेस्ट वर्क योजना के अन्तर्गत 4.7 किलो मीटर की लम्बाई में मिट्टी का कार्य एवं 4 किलो मीटर की लम्बाई तक पुलियों का निर्माण कराया गया था। धनाभाव के कारण इस मार्ग को पक्का कराना सम्भव नहीं है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस सड़क पर कब काम शुरू कराया गया था और अब तक कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, जिला कानपुर में विलहा से अंजनपुर इन्दौली मार्ग की लम्बाई 7 किलो मीटर है। वर्ष 1972-73 एवं 1973-74 में इस मार्ग के 4.75 किलो मीटर में मिट्टी का कार्य एवं 4 किलो मीटर में पुलियों का कार्य रु0 77,386.40 की लागत का टेस्ट वर्क योजना के अन्तर्गत कराया गया था।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि बिलहा से अंजनपुर-इन्दौली सड़क पर मिट्टी और पुलियों का कार्य कराया गया और अब इसको पक्की कराना शेष रह गया है। अगर पक्की नहीं करायी गयी तो धन और श्रम बेकार हो जायगा। तो क्या मन्त्री महोदय, जैसा उन्होंने धनाभाव की बात कही, तो अगले बजट में 10 करोड़ रुपए मिले हैं, इसकी कुछ धनराशि निकाल कर पक्की करने की कृपा करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य की भावना से सहमत होते हुए भी यह कहने के लिए मजबूर हूं कि लगभग उत्तर प्रदेश में 2800 किलोमीटर इस योजना में टेस्ट वर्क के अन्तर्गत काम हुआ है। इसके लिए धन की प्राथमिक आवयश्कता है। धन मिलेगा तो इन सब कार्यों के बारें में सोचा जा सकता है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

मान्यवर, टेस्ट वर्क के अन्तर्गत यह सड़क बनायी गयी है। मैं निवेदन कर दूं कि यह 5 किलोमीटर लम्बी है और देहाती इलाके म है। इस कार्य को कर देंगे या नहीं ? 10 करोड़ रुपए आपके पास है।

श्री अध्यक्ष--

आपने पूरे सूबे का जो धन मिला है, उसका हवाला दिया है।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--

मान्यवर, शासन इस बात पर विचार कर रहा है कि कैश में और टेस्ट वर्क में जो सड़कें बनीं है, उनका निर्माण कराया जाय, उनको पक्का कराया जाय, इस प्रश्न पर शासन विचार कर रहा है।

ग्राम डेरापुर, कानपुर के कन्या जूनियर हाई स्कूल हेतु भवन निर्माण की मांग

*15--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के विकास खंड डेरापुर के ग्राम डेरापुर में कन्या जूनियर हाई स्कूल का सरकारी भवन बना है परन्तु उसमें स्कूल न लगा कर एक धर्मशाले म लगाया जा रहा है तथा जू0 हा0 स्कूल के भवन का दुरुपयोग हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? धर्मशाले से सरकारी बने भवन में स्कूल को कब तक परिवर्तित करा दिया जाएगा।

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिज़वी)--

जी नहीं।

कन्या जूनियर हाई स्कूल का भवन न बनने के कारण स्कूल एक धर्मशाले में लगता है। अत: स्कूल के भवन के दुरुपयोग का प्रश्न नहीं उठता है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेंगे और जैसी कि मुझे जानकारी है मने कई बार मौके पर स्कूल के भवन को देखा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। वहां पर मवेशी बांधे जाते हैं, कूड़ा डाला जाता है तो क्या मन्त्री जी वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जहां तक जांच का प्रश्न है तो वह करवा दी जा सकती है। लेकिन जहां तक प्रश्न का प्रश्न है, जो स्कूल का प्रश्न उठाया गया तो वहां कन्या जूनियर हाई स्कूल की कोई अलग से बिल्डिग नहीं है। धर्मशाले में स्कूल लगता है। सन् 1964 से लग रहा है। जिस स्कूल का आपने इशारा किया है वह इससे पहले का है। उसकी बिल्डिग प्रधान ने और तमाम अन्य लोगों ने बनवायी थी। तो दुरुपयोग का प्रश्न नहीं उठता है। रही जांच की बात, तो अधिकारी को भेज कर जांच करवा ली जाएगी।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि धर्मशाले में स्कूल लग रहा है और उसके सामने जिला परिषद् का स्कूल है, जिससे धर्मशाले में यात्रियों को ठहरने में कठिनाई होती है। यदि स्कूल उपलब्ध है तो सरकारी भवन में पढ़ाने की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? क्या जांच इसकी करायी जाएगी? स्कूल में कितनी छात्रायें और कितने अध्यापक हैं?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, स्कूल में 133 छात्रायें हैं। स्कूल के सामने कोई चहार दिवारी नहीं है। उसके सामने भवन इस काबिल नहीं है कि कन्या जूनियर हाई स्कूल खोला जाय। यदि वह रखते हैं तो किसी भी प्रकार प्रापर नहीं होगा कि आम रास्ते के सामने उनको रखा जाय। प्रश्न यह है कि धर्मशाले का जो दुरुपयोग हो रहा है; तो यदि धर्मशाले में शिक्षा दी जा रही तो किसी प्रकार उसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है।

राजकीय आदर्श विद्यालयों के बी० टी सी०, जे० टी०सी० तथा एच० टी० सी० अध्यापकों को सी० टी० वेतन मान दिये जाने की मांग

*16—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गर सरकारी मान्यता प्राप्त निजी माध्यमिक विद्यालयों के बी0 टी0 सी0, जे0 टी0सी0 तथा एच0 टी0 सी0 अध्यापकों को जिस प्रकार सी0 टी0 वेतन क्रम दिया गया है उसी प्रकार राजकीय आदर्श विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को सी0 टी0, वेतनक्रम अब तक न दिए जाने का कारण क्या है तथा कब तक दे दिया जाएगा?

श्री अम्मार रिजवी—

राजकीय आदर्श विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को सी0 टी0 वेतन-क्रम दिया जाना सम्भव नहीं है।

श्री श्रीनारायण—

मान्यवर, सरकार जो कानून बनाती है वह उनके ऊपर नहीं चलती है और लोगों पर जबरदस्ती चलाती है। कौन 10 रुपया चौकीदार पाता है? अधिकांश वह हरिजन हैं। गांव के मजदूरों से सरकार कहती है कि 5.50 रुपया लोग उनको दे और सरकार को प्राइवेट विद्यालयों में अध्यापकों को पूरा-पूरा वेतन मिल रहा है। तो मान्यवर, मन्त्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के सामने कौन सी अड़चन है कि अध्यापकों का पूरा वेतन नहीं दे पा रही है?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, यह आदर्श विद्यालय जो हैं, वह प्राइमरी स्कूल के स्तर के होते हैं, जिसमें ट्रेनिंग के लिए लोग जाते हैं और लड़कों को पढ़ाते हैं। इसलिए उसमें स्टैन्डर्ड जो प्राइमरी का होता है, वही होता है। बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत जो विद्यालय आते हैं, उससे उनको केवल 10 रुपया ग्रेड में कम दिया जाता है। इस तरह के उत्तर प्रदेश में 225 विद्यालय हैं और 900 अध्यापक कार्य कर रहे हैं। हेड मास्टर को सी0 टी0 ग्रेड दिया जाता है। यदि किसी प्रकार सी0 टी0 ग्रेड के बराबर उनको लाते हैं तो 900 अध्यापकों का क्या

होगा ? प्रश्न यही नहीं बल्कि प्रधान अध्यापकों का इसी प्रकार ग्रेड बढ़ाना होगा और वित्तीय काम्प्लेक्शन्स ज्यादा होंगे। इसलिए सरकार विचार कर रही है कि जो 10 रुपये बेसिक शिक्षा अध्यापकों को दिए थे, वह उनको भी दिया जाय ताकि किसी भी प्रकार की असमानता न रह जाये।

छितौनी बांध देवरिया के रखरखाव व सुदृढ़ीकरण पर व्यय की गयी धनराशि और बाढ़ पीड़ितों को दी गयी सहायता

*17—श्री श्रीनारायण—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में इस वर्ष छितौनी बांध को बचाने में सरकार को कितने रुपए व्यय करने पड़े और बाढ़ पीड़ितों को क्या-क्या सहायता दी गयी ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

वर्ष 1975-76 में अब तक छितौनी बांध के रख-रखाव व सुदृढ़ीकरण में 71.40 लाख रुपए व्यय हुए हैं।

देवरिया जनपद के हाटा तहसील में बाढ़ पीड़ितों को राजस्व विभाग द्वारा निम्नलिखित सहायता दी गई —

1—मकान अनुदान—20,900 रुपए,
2—अहेतुक सहायता—17,000 रुपए,
3—अन्य सहायता—
(क) 12,750 रुपए
(ख) 1769.60 कुन्तल गल्ला
(ग) 12.58 कुन्तल नमक,
(घ) 12 कुन्तल चना
(ङ) 405 लीटर मिट्टी का तेल
(च) 446 दियासलाई।

4—इसके अतिरिक्त 75 साड़ी, 40 धोती, 289 कम्बल, 194 मीटर कपड़ा भी वितरित किया गया।

श्री श्रीनारायण—

मान्यवर, 71 लाख 40 हजार रुपया खर्च हुआ। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मकान के लिए किन-किन लोगों को कितना-कितना रुपया दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—

यह ब्योरे का प्रश्न है।

श्री जगन्नाथ चौधरी—

यह विस्तृत प्रश्न है। जवाब देना सम्भव नहीं है।

श्री श्रीनारायण—

मौके पर लोगों को रुपया नहीं मिला। उसका दुरुपयोग हुआ है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय सदस्य ने दो प्रश्नों को मिला दिया है। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। राजस्व और सिंचाई विभाग से सम्बन्धित प्रश्न है, दोनों को मिला दिया है।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह व्यवस्था दूंगा कि माननीय काशीनाथ मिश्र चिन्तित न हों। जब माननीय मन्त्री जी संयुक्त जिम्मेदारी के निर्वहन में, दो विभागों का जवाब दे रहे हैं, तो उनको क्यों चिन्ता हो ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

जो प्रश्न है, वह यह है कि बाढ़ पीड़ितों को क्या-क्या सहायता दी गयी ? आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि बाढ़ पीड़ितों को जो सहायता दी गयी तो उसमें देश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों जैसे टाटा, बिड़ला ने जो बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता दी वह भी शामिल है ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय मन्त्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो सहायता दी गयी, वह जो योग्य व्यक्ति थे, उनको नहीं दी गयी और जिनको आवश्यकता नहीं थी, उनको दी गई, इसकी जांच करवायेंगे और जिनको सहायता नहीं मिली उनको सहायता दिलवायेंगे ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

जहां कहीं इस प्रकार की शिकायत मिली हो, तो मुझे लिख दें। अवश्य जांच करा ली जायगी।

*18—श्री अब्दुल रऊफ लारी तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

गोरखपुर जिले में राप्ती व गोर्रा नदियों की बांढ़ से कतिपय ग्रामों की सुरक्षा के लिये बांढ़ नियंत्रण योजना

*19—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र मुन्डेरा के राप्ती गोर्रा नदी दोआब तथा गोर्रा नदी के तटवर्ती गांवों (उपधौलिया, जोगिया, जैराम कोल, दुबौली, बड़हरा, हरपुर, बोहावार आदि) की बाढ़ से रक्षा करते हुए तटबन्ध बनवाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है तथा कब से कार्य प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

ग्राम उपधौलिया, जोगिया, जयरामकोल एवं बड़हरा की सुरक्षा हेतु गोर्रा नदी के बायें तट पर एक अविभागीय बांध राजधानी सिलहटा बना हुआ है जिसकी मरम्मत शासन के ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा की जा रही है ।

सिंचाई विभाग द्वारा ग्राम दुबाली हरपुर व बोहावर आदि को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने हेतु नकवार से बोहावार तक बांध बनाने की एक योजना का सर्वेक्षण किया जा रहा है। योजना के अनुमोदित होने तथा धन उपलब्ध होने पर कार्य कराया जायगा।

*20—श्री हरिकेवल—

[5वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 24 पर स्थानान्तरित।]

तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया के कतिपय ग्रामों में नलकूप निर्माण की मांग

*21—श्री हरिकेवल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सलेमपुर तहसील, जनपद देवरिया में ग्राम पयासी, चौलिया, बरसीपार, बिगही मदुइ श्री कान्त, पीपरा, खेमकरन, चुरिया, कोडरा, चनुकी, माथापार, सवरेजी आदि गांवों की हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई हेतु वर्ष 1971 से अक्तूबर, 1975 तक बराबर नलकूप लगाने की मांग करते रहे हैं ? यदि हां, तो नलकूप लगाने के लिए सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां, ग्राम पयासी खेमकरन में नलकूप लगाने की योजना विचाराधीन है। शेष गांव नलकूप निर्माण के लिए अभी सिंचाई एवं विद्युत् परामर्शदात्री समिति द्वारा अनुमोदित नहीं है।

इलाहाबाद जिले के ग्राम गुन्नौरा में अनियमित रूप से सिंचाई दर का निर्धारण

*22—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में तहसील हंडिया में नलकूप नं0 276 एच0 गुन्नौरा में बहुत दिनों से मीटर न होने के कारण नजदीक एवं दूर के कृषकों की सिंचाई दर एक ही लिखी गयी है और जो कृषक कम पानी खेत में लगाते हैं और जो अधिक पानी लगाते हैं उनकी सिंचाई भी बराबर लिखी जाती है? यदि हां, तो क्यों?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

यह सवाल अगले दिन आएगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

कोई भी जाकर एक मिनट में सूचना ला सकता है। यहां पर पांच महीने हो गए। क्या कारण है, वह बतलायें?

श्री अध्यक्ष—

इसीलिए स्थगित किया है। कारण क्या? समय नष्ट होगा? उस दिन जब आएगा, तो देखेंगे।

बस्ती जिले के कठेला, शर्की तथा खैरा ग्रामों में नलकूप निर्माण की मांग

*23—श्री गोपी नाथ कामेश्वरपुरी (जिला बस्ती)—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि गत वर्ष बस्ती जनपद के इटवा क्षेत्र में कठेला, शर्की तथा खैरा नामक ग्रामों में दो सरकारी नलकूप बनना स्वीकृत होकर दोनों स्थानों पर सर्वे तथा स्थान निश्चित होने के बावजूद भी दोनों नलकूप नहीं बने? इसका कारण क्या है? क्या सरकार इस वर्ष उक्त दोनों स्थानों पर तथा अन्य और स्थानों पर सिंचाई की दृष्टि से अत्यल्प साधन हीन इस क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए कतिपय नलकूप लगवाने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कितने और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

जिला सिंचाई परामर्शदात्री समिति ने वर्ष 1974-75 में बस्ती जनपद में 27 राजकीय नलकूपों का छिद्रण अनुमोदित किया था जिसमें प्रश्नगत ग्रामों में एक-एक नलकूप था। परन्तु 1974-75 में बस्ती जिले को 10 नलकूपों का ही आवंटन हुआ। अतः प्रश्नगत ग्रामों में नलकूप नहीं लगाये जा सके।

चालू वित्तीय वर्ष में वित्तीय संसाधनों की कठिनाइयों के कारण प्रश्नगत ग्रामों में नलकूप निर्माण सम्भव नहीं हो सका। आगामी वित्तीय वर्ष में इन ग्रामों में नलकूप निर्माण के सम्बन्ध में अभी से कुछ कह सकना कठिन है।

श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी—

मान्यवर, चालू वित्तीय वर्ष में बस्ती जिले में एक भी नलकूप लगा है अथवा नहीं? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आगामी वित्तीय वर्ष में बस्ती जिले के लिए कितने नलकूप आवंटित किये गये हैं?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

बस्ती जिले में वर्तमान वित्तीय वर्ष में नलकूप लगाए गए लेकिन दुर्भाग्यवश आपके क्षेत्र में वह नहीं लग पाया। अगले वर्ष में आपके यहां भी नलकूप की व्यवस्था की जाएगी जिसकी सूचना मैं बाद में दूंगा।

बहराइच जिले की प्राइमरी पाठशालाएं, नौबस्ता, चितईपुर और गोठवा के अर्द्ध निर्मित भवन

*24—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि बहराइच जनपद के विकास खंड हरिहरपुर रानी के प्राइमरी पाठशाला, नौबस्ता, चितईपुर गोठवा के भवन पिछले चार-पांच वर्षों से अधूरे बने पड़े हैं? यदि हां, तो क्यों? साथ ही इन अर्द्ध निर्मित भवनों के निर्माणार्थ सरकार क्या करने पर विचार रही है?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, क्योंकि जो धन खंड विकास अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया था वह अपर्याप्त था। ऐसे अधूरे भवनों का निर्माण पूरा कराने के लिये धनाभाव के कारण कोई योजना कार्यान्वित करना सम्भव नहीं है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नौबस्ता, चितईपुर और गोठवा के प्राइमरी पाठशाला के लिये कितना-कितना धन और कब-कब दिया गया?

श्री अम्मार रिजवी—

इसमें एक हजार रुपये का चन्दा जमा किया गया था और 2 हजार रुपये की आवश्यकता बताई गई थी। इस प्रकार से 1 हजार रुपये की इसमें कमी थी। इसके पूर्व जब मैं इस प्रश्न के उत्तर को भेज चुका तब फिर मैंने इस प्रश्न को देखा और अधिकारियों को यह आदेश दिया कि जो 1 हजार रु0 की कमी है, उसकी कमी को शासन के द्वारा भिजवा दिया जाये।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अधिकतर स्कूल या तो अधूरे बने पड़े हैं या धनाभाव के कारण रुके हैं? क्या कोई ऐसा आदेश देंगे जिससे कि ये अधूरे बने स्कूल शीघ्र पूरे करवा दिये जायं?

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न तो केवल एक विकास खंड के बारे में है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

हरिहरपुर रानी में जो अर्ध निर्मित भवन पड़े हैं, पहले उनको बनवाया जाये फिर नये भवनों का निर्माण करवाया जाये। क्या मंत्री जी इस प्रकार का कोई आदेश देंगे? यहां पर तीन स्कूलों के भवनों के बारे में है, जो आधे बने हैं, जिनको बनवा कर पूरा किया जाय। जब तक अधूरे बने भवन पूरे न हो जायें, उस समय तक नये भवनों को न लिया जाय।

श्री अम्मार रिजवी—

जहां तक इन विद्यालयों के भवनों का सवाल है, उसके लिये सरकार ने आदेश दे दिये हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

मान्यवर, सरकार यह कहती है कि धन की कमी है, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि धन की कमी है, सा0 नि0 वि0 के मंत्री भी कहते हैं कि धन की कमी है, इसलिये सड़कों को नहीं बनवाया जा सकता है। धन की कमी से ट्यूबवेल्स भी नहीं बनवाये जा रहे हैं लेकिन

दूसरी तरफ आप दोनों हाथों से धन को बटोरने में लगे हैं। अगर आप इस प्रकार प्रदेश के विकास में धन के कारण व्यवधान बताते हैं, तो आप 20–सूत्री कार्यक्रम में आस्था नहीं रखते हैं और उसकी तरफ से उदासीन हैं। जब आप बिजली नहीं दे सकते हैं, सड़क नहीं बनवा सकते हैं.....

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न को लिखकर दें। अभी तो केवल तीन खंडों के विषय में ही प्रश्न था, जिसका उत्तर दिया जा चुका ह ।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

पिछले भी प्रश्न हो गये ।

श्री अध्यक्ष—

पिछले प्रश्नों का हवाला दीजिये ।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

मैंने पिछले प्रश्नों का हवाला दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर ही उनका जवाब दिलाया जायगा, इस तरह से नहीं ।

*25—श्री श्रीनारायण—

[5वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 6 पर स्थानान्तरित ।]

धानी विकास खंड, जिला गोरखपुर के अन्तर्गत कतिपय बांधों की मरम्मत

*26—श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डे (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में धानी ब्लाक में भूतपूर्व जमींदारों द्वारा बनवाये गये बांध जो गत बरसात में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गये हैं उन्हें पुनर्निर्माण करवा देने की योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जनपद गोरखपुर के धानी विकास खंड में स्थित नगवा, लेहरा स्टेट तथा बेलसड़ रिगौली बांधों पर, जो वर्ष 1974 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गये थे, मरम्मत का कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा किया जा रहा है। इन बांधों के पुनः निर्माण को गोरखपुर जनपद के बाढ़ सुरक्षा के मास्टर प्लान में शामिल किया गया है।

गोरखपुर जिले के कतिपय बांधों का सुदृढ़ीकरण एवं पवह नाले पर रेगुलेटर लगाने की योजना

*27—श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में राप्ती नदी के किनारे रिगौली से बेलसड़ और पनघटिया से करमैनी तक बांध निर्माण तथा रिगौली बांध पर पवह नाले के मुहाने पर रेगुलेटर लगाने की बहुत पुरानी योजना पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री लोकपति—

बेलसड़ रिगौली बांध के सुदृढ़ीकरण तथा पवह नाले के मुहाने पर रेगुलेटर बनाने का कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा किया जा रहा है तथा पूर्ण हो जाने की आशा है। पनघटिया करमैनी अविभागीय बांध के सुदृढ़ीकरण की योजना बनाई जा रही है।

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या 24 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

प्रतापगढ़ जिले के विकास खंड सांगीपुर में राजकीय नलकूप का निर्माण न होना

*28—श्री दीनानाथ सेवक (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खंड सांगीपुर में अब तक कितने राजकीय नलकूप लगाये गये हैं और इनकी संख्या जनपद के अन्य विकास खंडों के मुकाबिले कम हैं या अधिक ? यदि कम हैं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जनपद, प्रतापगढ़ के विकास खंड सांगीपुर मे राजकीय नलकूप का निर्माण नहीं किया गया क्योंकि यह क्षेत्र शारदा नहर तथा शारदा सहायक नहर के कमाण्ड के अन्तर्गत आता है ।

संस्कृत पाठशालाओं को जिला परिषदों द्वारा दिये जाने वाले अनुदान का बन्द होना

*29—श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी —

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि संस्कृत पाठशालाओं को जिला परिषदों द्वारा दी जाने वाली सहायता हाल ही में बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या पुनः सहायता चालू कराने पर सरकार अविलम्ब विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

हां। जिला परिषदों द्वारा संस्कृत पाठशालाओं को इस समय अनुदान सहायता नहीं दी जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के बाद से शासन द्वारा जिला परिषदों को बेसिक शिक्षा हेतु अनुदान दिया जाना बन्द हो गया है। पहले जो बेसिक शिक्षा हेतु अनुदान जिला परिषदों को मिलता था उसमें, अपने संसाधनों से जुटाई गई धनराशि को मिलाकर जिला परिषदें अन्य के अतिरिक्त संस्कृत पाठशालाओं को भी सहायता करने का प्रयास करती थीं। इसके विपरीत शासन ने पहले से ही संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान देने का प्राविधान कर रक्खा है। अतः वर्तमान काल में इस तरह की संस्कृत पाठशालायें, जो अनुदान के लिये अर्ह हैं, उनका आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उनको अनुदान देने के लिये शासन द्वारा नियमानुसार विचार किया जाता है और हर मामले में गुणावगुण के आधार पर अनुदानदेयता के बारे में निर्णय लिया जाता है ।

परगनाधिकारी, संडीला द्वारा संडीला नगर, संडीला ब्लाक एवं बेहदर ब्लाक के चीनी के कोटेदारों का निरीक्षण

*30—श्री काशीनाथ मेहरोत्रा (जिला हरदोई)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधिकारी, संडीला, जिला हरदोई ने 1-10-74 से 20 मार्च, 75 के बीच जिला हरदोई के संडीला नगर ब्लाक एवं संडीला तथा बेहदर विकास खंड के किस-किस कोटेदार (चीनी, सीमेन्ट तथा गल्ला) का निरीक्षण किया तथा किन-किन के कोटे उपरोक्त अधिकारी की रिपोर्ट पर निरस्त किये गये ? कोटेदारों के विरुद्ध क्या शिकायतें थीं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला हरदोई के परगनाधिकारी, संडीला ने 1 अक्तूबर, 1974 से 20 मार्च, 1975 के बीच संडीला नगर तथा विकास खंड संडीला और विकास खंड बेहदर के चीनी के जिन कोटेदारों का निरीक्षण किया उनके संबंध में वांछित ब्योरा सदन के पटल पर प्रस्तुत है। सीमेन्ट तथा गल्ला के किसी कोटेदार का निरीक्षण नहीं किया गया ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 790 पर।)

छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में सरकारी उचित मूल्य की दुकानें

*31—श्री अनवार जमील—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि छिबरामऊ नगर, जनपद फर्रुखाबाद में एक भी सस्ते गल्ले की दूकान नहीं है जबकि सस्ते गल्ले की दूकानों के लिये प्रार्थना-पत्र अरसा करीब दो साल से दिये जा चुके हैं ? यदि हां, तो क्या इस पर अविलम्ब कार्यवाही करवाने की कृपा करेंगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

छिबरामऊ नगर जनपद फर्रुखाबाद में सरकारी उचित मूल्य की छः दुकानें कार्यरत हैं ।

बहराइच जिले के कतिपय विकास खंडों में गेहूं की लेवी न वसूल किये जाने की मांग

*32—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि बहराइच जनपद के विकास खंड सिरसिया, हरिहरपुर रानी, जमुनहा पूर्णतया एवं इकौना तथा गिलौला का दोआबा क्षेत्र सूखे से प्रभावित होने के बावजूद भी गेहूं लेवी की वसूली अधिकारियों द्वारा इस क्षेत्र में जबरदस्ती की गई है और किसानों ने दूसरे स्थानों से गेहूं खरीद कर लेवी में जमा किया है ? यदि हां, तो उक्त विकास खंडों को गेहूं लेवी से मुक्त न कराने का क्या कारण है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जमुन्हा विकास खंड को छोड़कर अवशेष क्षेत्र के केवल 220 ग्राम रबी 1382 फसली म ओलावृष्टि की दैवी आपदा से प्रभावित हुये थे । अतः गेहूं व उसके मिश्रण के क्षेत्रफल पर हुई क्षति पर छूट प्रदान की गई थी । उक्त क्षेत्रों की लेवी की वसूली में अधिकारियों द्वारा कोई जबरदस्ती नहीं की गई । शासन की जानकारी में यह नहीं है कि लेवी बकायेदारों ने अपनी मांग किस स्रोत से अदा की ।

उत्तर प्रदेश गेहूं (उद्ग्रहण, व्यापार विनियमन एवं संचलन नियंत्रण) आदेश, 1975 में केवल गेहूं का उत्पादन कम होने पर ही लेवी में छूट देने का प्राविधान था । खरीफ की फसल खराब होने पर गेहूं को लेवी से मुक्त करने का प्राविधान न होने के कारण सम्बन्धित क्षेत्र को लेवी से मुक्त नहीं किया गया ।

*33–34—डाक्टर मलखान सिंह—

[4थे बुधवार के लिये स्थगित ।]

*35—श्री दया राम भास्कर—

[4थे बुधवार के लिये स्थगित ।]

मुरादाबाद जिले के तथाकथित अध्यापक विहीन प्राइमरी स्कूल

*36—हाजी मोहम्मद हयात (जिला मुरादाबाद) तथा श्री ख्याली राम शास्त्री (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद मुरादाबाद में ऐसे कितने प्राइमरी स्कूल हैं जिनम अध्यापक नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद मुरादाबाद में समस्त प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापक कार्यरत हैं ।

*37—हाजी मोहम्मद हयात तथा श्री ख्याली राम शास्त्री—

[4थे बुधवार के लिये स्थगित ।]

*38—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—
[4थे बुधवार के लिये स्थगित ।]

*39—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—
[4थे बुधवार के लिये स्थगित ।]

*40—श्री श्री दयाराम भास्कर—
[4थे बुधवार के लिये स्थगित ।]

दोहरीघाट पम्प नहर के विभिन्न राजबहों में रोस्टर के अनुसार पानी दिये जाने का कार्यक्रम

*41—श्री निर्भय नारायन सिंह (जिला बलिया)—
क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरी घाट पम्प नहर की शाखा पुर राजबहा पर 1975-76 की रबी की फसल में पानी देने की व्यवस्था रोसट्रम कब बना तथा उसके मुताबिक उक्त राजबहा के टेल पर पानी कब पहुंचना था तथा उक्त राजबहा के टेल पर कुलाबे के ऊपरी सतह पर कब और कितने समय के लिये पानी दिया गया ?

श्री लोकपति—
दोहरीघाट पम्प नहर के विभिन्न राजबहों को वर्ष 1975-76 में रोस्टर के अनुसार पानी देने का कार्यक्रम बनाया गया। पुर राजवहा वर्ष 1975-76 में 28-11-75 से 7-12-75 तक, 21-12-75 से 3-1-76 तक, 25-1-76 से 30-1-76 तक 4-2-76 से 13-2-76 तक और 29-2-76 से 13-3-76 तक अर्थात् 54 दिन चला। इस राजबहे की टेल पर केवल 4 दिन पानी पहुंचा ।

*42—श्री निर्भय नरायन सिंह—
[4थे बुधवार के लिये स्थगित ।]

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खंड बाराबंकी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी प्रार्थना-पत्र

*43—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—
क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खंड, बाराबंकी (सार्वजनिक निर्माण विभाग) के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र जो दिनांक 30-9-75, 10-11-75, 29-10-75 व 31-10-75 को दिये गये ? इस सम्बन्ध में शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—
शासन को दिनांक 30-9-75, 29-10-75 एवं दिनांक 10-11-75 के पत्र प्राप्त हुए हैं। इन पर जांच की जा रही ह ।

*44-45—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—
[4थे बुधवार के लिये स्थगित ।]

*46-47—श्री राम अधार—
[4थे बुधवार के लिये स्थगित ।]

*48—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—
[4थे बुधवार के लिये स्थगित ।]

*49—श्री त्रिवेणी सहाय—
[3रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 49 पर स्थानान्तरित ।]

सौरिख, जिला फर्रुखाबाद के जूनियर एवं प्राइमरी के अध्यापकों के विरुद्ध जांच की कार्यवाही

*50—डाक्टर धर्मपाल सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के ग्राम सौरिख के जूनियर एवं प्राइमरी के प्रसार अध्यापक एवं अन्य अध्यापक के विरुद्ध कोई जांच माह नवम्बर, 1975 में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की गयी तथा अपराध सिद्ध हो गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक जांच की गयी थी। इस प्रकरण में जांच अभी सम्पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है।

*51—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[4थे बुधवार के लिये स्थगित।]

अतारांकित प्रश्न

दोहरीघाट सहायक परियोजना, बलिया, के निर्माणार्थ क्रय की गयी ईंट की दर

1—श्री राम सुन्दर पान्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरी घाट सहायक परियोजना, बलिया के कार्यों की पूर्ति हेतु ईंट सप्लाई का ठेका किन किन व्यक्तियों को कब-कब और किस-किस रेट पर पिछले एक वर्ष के अन्दर दिया गया है ?

श्री लोकपति—

दोहरीघाट सहायक परियोजना, बलिया के अन्तर्गत कार्यरत सिंचाई खंड द्वितीय (बलिया) में (वर्ष 1974–75) पिछले एक वर्ष में सर्वश्री प्रताप नारायण सिंह व चन्द्रिका प्रसाद सिंह को ईंटों की आपूर्ति हेतु ठेके 10–12–74 को 100 रु0 प्रति हजार की दर पर दिये गये।

आजमगढ़-अमिला सड़क के निर्माण हेतु अर्जित भूमि का मुआवजा

2—श्री राम सुन्दर पान्डेय—

दिनांक 12–3–75 के अतारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धनाभाव वित्तीय वर्ष 1974–75 में हुआ है तो इसके पहिले के वित्तीय वर्ष 1973–74 तथा 1972–73 और 1971–72 में क्यों नहीं दिया गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इस मार्ग के लिये भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की अधिसूचनाएं दिनांक 15–1–1973 व 7–1–1974 को जारी की गयी थीं। इसलिये इसके पूर्व के वित्तीय वर्षों में प्रतिकर का भुगतान करना संभव न था। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे ग्राम भी थे जिनमें चकबन्दी के कारण राजस्व परिषद् से जुलाई, 1973 में आदेश मांगा गया था। परिषद् का निर्णय वित्तीय वर्ष 1973–74 के अन्त तक न प्राप्त हो सका। इसलिये प्रभावित कृषकों को प्रतिकर का भुगतान वर्ष 1973–74 या इसके पूर्व वर्षों में नहीं किया जा सका।

इलाहाबाद की तहसील हंडिया में कतिपय ग्रामों के बाढ़ व कटाव से सुरक्षार्थ नालों को पक्का किये जाने की मांग

3—श्री अठई राम—

क्या सिंचाई मंत्री को यह ज्ञात है कि इलाहाबाद जनपद में तहसील हंडिया के ग्राम लालापार बुजुर्ग, संग्राम पट्टी, गनेशीपुर, दुमदुमा, हरिहरपुर, इनरबार, कन्दला, लक्षागिर,

गोड़री टेला, विझौली हर साल गंगा नदी के बाढ़ से प्रभावित होकर जन धन की लाखों रुपये क्षति की हो जाती है ? यदि हां, तो सरकार बाढ़ को बचाने के हेतु बड़े बड़े नालों को पक्का बनाकर जमीन का कटाव व बाढ़ की क्षति को रोकने की व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि बाढ़ व कटाव को बचाने हेतु गोढ़री नाले को पक्का बनाने हेतु अर्सा 10 वर्ष हुआ केन्द्रीय मंत्री द्वारा शिलान्यास की हजारों रुपये खर्च करके किया गया है जिसका एक खम्भा ही बन कर खड़ा है ? यदि हां, तो उसे कब तक पूर्ण करा देने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति—

उल्लिखित ग्राम गंगा नदी के बायें किनारे पर बसे हुए हैं तथा पिछले दस वर्षों की अवधि में तीन बर्षों में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

विभाग द्वारा नालों को पक्का बनाकर जमीन का कटाव एवं बाढ़ को रोकने का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है।

स्थानीय कृषकगण खेतिहर भूमि के बचाव हेतु एक रेगुलेटर चाहते हैं। इसकी योजना बनाई जा रही है। जी हां, यह सही है कि फरवरी, 1965 में तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री डा0 के0 एल0 राव द्वारा गोदरी नाले पर बांध निर्माण हेतु शिलान्यास किया गया था तथा इससे सम्बन्धित एक स्तम्भ खड़ा है। योजना अलाभकारी होने के कारण स्वीकार नहीं हुई तथा इस पर कोई कार्य नहीं चल रहा है।

इटावा जिले की कमोर–कन्वोसी बाजार सड़क के निर्माण पर व्यय की गयी धनराशि

4—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि इटावा जिले की कमोर से कन्चोसी बाजार सड़क का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो इस सड़क को बनाने की स्वीकृति कब दी गई थी और इस पर कब से कार्य आरम्भ हुआ और कितनी धनराशि इसके लिये स्वीकृत है, उसमें अब तक कितना रुपया व्यय किया गया है ? इस सड़क की स्वीकृत लम्बाई क्या है और अब तक कितना भाग कहां से कहां तक बन गया है और यह सम्पूर्ण सड़क कमोर से कन्चोसी बाजार तक कब बन कर तैयार हो जायगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां।

इस मार्ग की स्वीकृति 31–12–1970 को दी गई थी। कार्य जुलाई, 1972 में प्रारम्भ किया गया था। इसके लिये 6.80 लाख रुपया स्वीकृत है। इस पर सितम्बर, 1975 तक 6.56 लाख रुपया व्यय किया जा चुका है। इस सड़क की स्वीकृत लम्बाई 10 कि0 मी0 है। अब तक कंकोर से 6 कि0 मी0 मार्ग बन चुका है। सातवां कि0 मी0 निर्माणाधीन है।

शेष 3 कि0 मी0 भाग का पुनरीक्षित आगणन बनाया जा रहा है, जिसकी स्वीकृति के पश्चात् ही उक्त भाग का निर्माण कराया जा सकेगा।

कानपुर जिले में बेलाविधुना जाने वाली सड़क पर डामर किये जाने की मांग

5—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर में बेलाविधुना जाने वाली सड़क शिथली से आगे विधुना तक की सड़क है जिसे डामर की सड़क बनाने की स्कीम है ? क्या यह भी सही है कि इस सड़क पर जगह-जगह पर डामर किये जाने की सामग्री एकत्रित की गई है और छोटे-छोटे टुकड़ों में इसे डामर भी किया गया है ? यदि हां, तो शिवली से विधुना तक कहां-कहां कितने भाग को डामर कर दिया गया है और आगे शेष भाग को डामर करने की क्या स्कीम है और यह सम्पूर्ण सड़क कब तक डामर की सड़क बना दी जायेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्रश्नगत सड़क शिवली के आगे विधुना तक कंकड़ की है। इसे डामर की सड़क बनाने की कोई योजना नहीं है। कि0 मी0 32 व 64 में डामर करने का सामान एकत्रित है। इस मार्ग पर कि0 मी0 27.200 से 28.800 तक, 29.600 से 30.400 तक 46.400 से 48.000 तक एवं 63.450 से 66.510 तक के टुकड़ों में डामर किया जा चुका है। शेष भाग में डामर करने की कोई स्कीम नहीं है। अतः सम्पूर्ण सड़क कब तक डामर की बना दी जायेगी यह बताना सम्भव नहीं है।

कानपुर में डेरापुर-मंगलपुर सड़क के निर्माण की मांग

6—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में डेरापुर से मंगलपुर सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है और इस सड़क के कुल भाग में मिट्टी की भराई का भी कार्य हुआ और इसके बनाये जाने के लिये कानपुर के विभागीय अधिकारियों ने प्रस्ताव भी भेजा है? यदि हां, तो इस सड़क को बनाने का कार्य कब से शुरू होगा और कब तक बन जायेगी?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्रश्नगत मार्ग का सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है।

इस सड़क के 600 मीटर भाग पर डेरापुर की तरफ से वर्ष 1973-74 में टेस्ट वर्क योजना के अन्तर्गत मिट्टी का कार्य कराया गया था।

इस मार्ग का 15 कि0 मी0 की लम्बाई में नवनिर्माण स्वीकृत करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

धन की कमी के कारण इस मार्ग का निर्माण स्वीकृत करना सम्भव नहीं है। अतः इस मार्ग पर कार्य प्रारम्भ करने तथा पूरा करने का प्रश्न नहीं उठता है।

7—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 3 पर स्थानान्तरित।]

नहर गंग। शाखा, इट.वा पर खामेला ग्राम में पुलिया के निर्माण की मांग

8—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नहर गंग शाखा इटावा पर झींझक और जुरियापुलों के बीच खामेला ग्राम के सामने किसानों के आवागमन की सुविधा के लिये एक छोटी पुलिया बनाये जाने पर विचार किया जा रहा ह? यदि हां, तो इसका क्या इस्टीमेट बन गया है और पुलिया बनाने की स्वीकृति दी जा चुकी है? यदि हां, तो उक्त पुलिया कब तक बन जायेगी?

श्री लोकपति—

जी हां।

इटावा शाखा पर पैदल पुलिया के साथ में इस शाख के दोनों तरफ के राजवहों पर भी पैदल पुलिया बनानी जरूरी होगी। इन पैदल पुलियों की अनुमानित लागत 80,000 रु0 ह। इस समय शासन की आर्थिक कठिनाइयों के कारण उक्त धन की व्यवस्था सम्भव नहीं है। धन की व्यवस्था होने पर पुलिया का निर्माण कराया जायेगा।

फर्रुखाबाद के कलामगंज क्षेत्र में राजकीय नलकूप के निर्माण की मांग

9—श्री नवार जमील—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के विधान सभा क्षेत्र कमालगंज में राजकीय नलकूप लगवाने हेतु कितने प्रार्थना पत्र इस वर्ष प्राप्त हुये और सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया?

श्री लोकपति—

वर्ष 1975-76 में 27 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। नलकूप स्थल चयन समिति द्वारा कमालगंज क्षेत्र में इस वर्ष कोई नलकूप संस्तुत नहीं किया गया।

फर्रुखाबाद जिले की मोहम्मदाबाद-बहोरिकपुर सड़क का निर्माण

10—श्री अनवार जमील—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद फर्रुखाबाद में मोहम्मदाबाद से ताजपुर होती हुई बहोरिकपुर तक की सड़क का निर्माण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो वह कार्य कब तक होने की सम्भावना है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां।

इस मार्ग की कुल लम्बाई 16.07 कि0 मी0 में से 12 कि0 मी0 पहिले ही स्वीकृत था जिस पर कार्य प्रगति में है। जनवरी, 1976 में पूरी लम्बाई की पुनरीक्षित स्वीकृति दी जा चुकी है। कार्य का पूरा होना धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

वाराणसी के परगना कोल असला एवं पन्द्रह के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति

11—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सिंधोरी नदीम, हिरामनपुर, मंगारी, पिडरा, बसनी बड़ा गांव, कुवार ताड़ी, नेवादा कुड़ी, कुसुमरा, दादूपुरा अनेई कठिराव, परगना कोलअसला एवं पन्द्रह तथा महापुर ब्लाक सेवपुरी तहसील व जिला वाराणसी में उर्दू पढ़ने वाले छात्रों और छात्राओं की अधिक संख्या देखते हुये उपरोक्त स्थानों में उर्दू के स्कूल खोलने का या प्राइमरी स्कूलों में उर्दू टीचरों की व्यवस्था करने पर विचार कर रहे हैं? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने एक पत्र मुख्य मंत्री को 26 अक्तूबर, 1974 को दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्न कर्त्ता का पत्र दिनांक 26-10-74 शासन को प्राप्त हुआ था। पत्र में उल्लिखित स्थानों तथा प्रश्नगत स्थानों के जिन विद्यालयों में उर्दू पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 40 या 40 से ऊपर है वहां पर उर्दू अध्यापक नियुक्त किये जाने के बारे में सर्वेक्षण किया जा रहा है। वैसे बड़ागांव, ताड़ी, निवादा, कुड़ी तथा दादूपुर में मकतब स्थित हैं जहां उर्दू पढ़ने की पहले से ही सुविधा है।

बहराइच जिले की इकौना-पिपराघाट सड़क पर ग्राम मांगे पारा की पक्की पुलिया के पुनर्निर्माण की मांग

12—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहराइच जनपद की इकौना से पिपराघाट सड़क पर ग्राम मांगे पारा के पास की पक्की पुलिया 1975 की बाढ़ में टूट गई है? जिससे यातायात अवरुद्ध है? यदि हां, तो इस पुलिया को कब तक ठीक करा दिया जायेगा? साथ ही इस पुलिया का निर्माण कब किया गया था?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां।

यातायात चालू रखने के लिये वर्षा ऋतु में नाव से तथा बाद में डाईवर्जन बनाकर यातयात की व्यवस्था की गई। क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 140 फीट पानी के निकास (वाटर वे) की चौड़ाई में पाइलब्रिज का निर्माण किया जा रहा है।

उक्त पुरानी पुलिया की मरम्मत का कार्य जिला परिषद् द्वारा वर्ष 1970–71 में किया गया। शेष निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1973–74 में कराया गेया था।

बहराइच जिले के भिनगा–लक्ष्मणपुर–इकौना–सेमरीघाट सड़क के निर्माण की मांग

13—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि बहराइच जिले की भिनगा से लक्ष्मनपुर व इकौना से सेमरी होते हुये पिपराघाट की सड़क बहुत दिनों से स्वीकृत है लेकिन अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों तथा उसे कब तक पूर्ण कराने का शासन का विचार है?

श्री बलदेव सिंह आर्य–

(1) भिनगा से लक्ष्मणपुर तक का मार्ग स्वीकृत है और निर्माण कार्य दिसम्बर, 1971 में प्रारम्भ किया गया था परन्तु धनाभाव के कारण अभी पूर्ण नहीं हो सका है। इस मार्ग का निर्माण पूर्ण होना धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(2) इकौना से सेमरीघाट होते हुए पिपराघाट की सड़क के प्रथम 5 कि0 मी0 भाग जो विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत था, का निर्माण 1973–74 में पूर्ण हो चुका है। शेष भाग किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

विकास क्षेत्र सिरसिया एवं हरिहरपुर रानी, बहराइच के लिये नलकूप की मांग

14—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार उत्तर प्रदेश विधान के प्रथम सत्र 1975 के विधान सभा कार्य सूची दिनांक 12 मार्च, 75 के नत्थी (ग) के अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले के सिरसिया विकास खंड में नलकूप लगाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय भूगर्भ जल सस्थान को कब लिखा गया और उसकी रिपोर्ट क्या प्राप्त हुयी और किस स्थान को बोरिंग के लिये चुना है?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है।

घाघरा बैराज का निर्माण एवं उसका सिंचित क्षेत्र

15—श्री बाबू लाल वर्मा तथा श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या सरकारे बताने की कृपा करेगी कि पूर्वी जिलों को बाढ़ की तबाही से बचाने के लिये घाघरा पर बन रहा गिरिजा बैराज कब तक बन कर पूरा हो जावेगा? कितने क्यूसेक पानी कितनी लम्बी पोषक नहर के द्वारा शारदा सहायक नहर प्रणाली में लाया जायेगा? कितने जिले लाभान्वित होंगे? कितनी एकड़ भूमि सींची जायेगी? और कितनी धनराशि अब तक व्यय हुयी है?

श्री लोक पति—

घाघरा नदी पर बन रहा घाघरा बैराज जून 1975 में बन चुका है परन्तु बैराज पर फाटकों के लगाने का कार्य प्रगति पर है। यह बैराज गंगा व घाघरा नदियों के दोआब में स्थित मध्यवर्ती और पूर्वी जनपदों में अतिरिक्त सिंचाई सुविधायें प्रदान करने वाली शारदा सहायक प्रायोजना का भाग है। प्रायोजना की पोषक नहर की लम्बाई 260 किलोमीटर ह और इसकी अधिकतम क्षमता 650 क्यूसेक्स है। इस पोषक नहर द्वारा घाघरा और शारदा नदियों का जल शारदा नहर प्रणाली में सिंचाई हेतु लाया जायेगा। इस योजना से 13 जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी जिनके नाम में लखीमपुर, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी

और गाजीपुर। शारदा सहायक परियोजना के पूर्ण होने पर लगभग 15.5 लाख हैक्टेयर की वार्षिक सिंचाई हो सकेगी। घाघरा बैराज, उससे संबंधित गाइड बांध अपलक्स बांध एवं इसी से संबंधित अन्य कार्यों की लागत रु0 25.30 करोड़ है जिसमें से नवम्बर, 75 के अन्त तक 21.70 करोड़ रुपये व्यय हो चुका है।

16—श्री बाबू लाल वर्मा तथा श्री त्रिवेणी सहाय—

[2रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 10 पर स्थानान्तरित।]

17—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

छितौनी बांध के सुदृढ़ीकरण पर व्यय की गयी धनराशि

18—श्री श्रीनारायण—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छितौनी बांध के स्थायीकरण की 7 करोड़ की दो योजनाओं की क्या स्थिति है? बांध के स्थायीकरण का कार्य कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है?

श्री लोकपति—

छितौनी बांध के स्थायीकरण की कोई योजना नहीं है। इसके सुदृढ़ीकरण के लिये 429.60 लाख रुपये की तथा 142.20 लाख रुपये की दो योजनायें बनाई गई हैं, जिन पर फरवरी, 1976 तक कुल 451.31 लाख रुपया व्यय किया जा चुका है।

कन्या जूनियर हाई स्कूल, मंझना, फर्रुखाबाद की प्रधान अध्यापिका का निलम्बन

19—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कन्या जूनियर हाई स्कूल, मंझना, जिला फर्रुखाबाद की प्रधान अध्यापिका की 1973 में बी0 एड0 करने की अनुमति प्रदान की गयी थी? क्या यह सही है कि 1973 का वेतन उन्होंने शिक्षा विभाग से प्राप्त किया? यदि हां, तो इसका आधार क्या है?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं।

कन्या जूनियर हाई स्कूल, मंझना, जिला फर्रुखाबाद की प्रधानाध्यापिका श्रीमती कृष्णा तिवारी को वर्ष 1973–74 में बी0 एड0 का प्रशिक्षण लेने की अनुमति शिक्षा विभाग द्वारा नहीं दी गई थी। उन्होंने तथ्यों को छिपा कर प्रशिक्षण अवधि में वेतन प्राप्त किया जिसके फल स्वरूप उन्हें दिनांक 7–2–76 से निलम्बित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये छानबीन की जा रही है।

छिबरामऊ, फर्रुखाबाद के जिला परिषदीय स्कूलों के भवन व भूमि का नगर पालिका को हस्तान्तरण

20—श्री अनवार जमील—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1975 के दूसरे बुधवार 12–3–75 के उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि नगरपालिका छिबरामऊ, जनपद फर्रुखाबाद के क्षेत्र में जिला परिषदीय भवनों को जिला परिषद् हस्तान्तरित करने को सहमत हो गयी इसको सरकार कब तक नगरपालिका छिबरामऊ को दिलवा देगी?

श्री अम्मार रिजवी—

नगरपालिका छिबरामऊ, जिला फर्रूखाबाद के क्षेत्र में स्थित जिला परिषदीय स्कूलों के भवनों और भूमि को नगरपालिका को हस्तान्तरित करने के लिये अध्यक्ष, जिला परिषद्, फर्रूखाबाद ने शासन से अनुमति मांगी है किन्तु जो लागत जिला परिषद् ने प्रश्नगत भवनों की बताई है उसके संबंध में नगरपालिका, छिबरामऊ की स्वीकृति तथा विक्रय की शर्तों के संबंध में भी नगरपालिका की सहमति अभी प्राप्त होनी शेष है।

उत्तर प्रदेश उपदान के भुगतान की नियमावली, 1975†

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मैं श्रम अनुभाग-1 की अधिसूचना सं0 3427 (एस0 टी0) 36-1-170 (एस0 टी0) -1971, दिनांक 18 जुलाई, 1975 द्वारा प्रख्यपित उत्तर प्रदेश उपदान के भुगतान की नियमावली, 1975 को, उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के साथ पठित, उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश केन्द्रीय बिक्री कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975††

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मैं वित्त (बिक्री कर) अनुभाग-2, की अधिसूचना संख्या एस0 टी0-2-6097-दिस-3-(1)-75, दिनांक 16 दिसम्बर, 1975 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश केन्द्रीय बिक्री कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 को, उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के साथ पठित, उप धारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1975†

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मैं शिक्षा अनुभाग-10 की अधिसूचना सं0 6884/15-10-75-60 (24)-74, दिनांक 31 अक्तूबर, 1975 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1975, को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित) की धारा 17 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयां दूर करने का) (दशम) आदेश, 1975††

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मैं शिक्षा (10) अनुभाग की अधिसूचना सं0 शिक्षा (10)-7195/15-75-60 (95)-75, दिनांक 10 नवम्बर, 1975 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयां दूर करने का) (दशम) आदेश, 1975 को, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 28 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (नियन्त्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी इमारत का निर्माण या पुनर्निर्माण करने अथवा कोई कुआं बनाने या उसे बड़ा करने की) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976†

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक)—

मैं पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0 4019 बी/33-2-आर-62, दिनांक 23 फरवरी, 1976 द्वारा प्रख्यापित, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद्

---

†छापी नहीं गयी।

††छापा नहीं गया।

(नियन्त्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी इमारत का निर्माण या पुनर्निर्माण करने अथवा कोई कुआं बनाने या उसे बड़ा करने की) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976 को, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975†

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मैं परिवहन विभाग अनुभाग–4 की विज्ञप्ति संख्या 558–टी/तीस–4–24–पी–75, दिनांक 16 जून, 1975 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 को, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) अधिनियम, 1962 की धारा 30 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

नगर महापालिका, लखनऊ, जल परिव्यय विनयमन नियमावली, (प्रथम संशोधन) 1975, तथा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका जल सम्भरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975†

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (श्रीमती इन्द्र मोहनी)—

मैं स्वायत्त शासन विभाग अनुभाग–4 की अधिसूचना सं0 1699/9–4–4(23)–डब्ल्यू0 टी0–68, दिनांक 24 जून, 1975 द्वारा प्रख्यापित नगरमहापालिका, लखनऊ जल परिव्यय विनियमन नियमावली, (प्रथम संशोधन) 1975 तथा अधिसूचना संख्या 5531/9–4–3(4)–डब्ल्यू0 एस0 आर0–72, दिनांक 1 सितम्बर, 1975 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका जल सम्भरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975, को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश होटलों में सुखसाधन कर नियमावली, 1975†

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन तथा राज्य सम्पत्ति मंत्री, पर्यटन अनुभाग की अधिसूचना संख्या 4767 पर्यटन 216–74, दिनांक 25 जुलाई, 1975 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश होटलों में सुखसान कर नियमावली, 1975 को, उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, 1975 की धारा 13 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1976†

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग की अधिसूचना सं0 6939/दस–600 (1)–74, दिनांक 6 जनवरी, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1976, को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 33 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापी नहीं गई ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976†

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कार्मिक अनुभाग-1 की अधिसूचना सं0 18-1-75 कार्मिक 1, दिनांक 5 जनवरी, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोकसेवा (अधिकरण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976 को उत्तर प्रदेश लोकसेवा अधिकरण अध्यादेश, 1975 (जिसे अध्यादेश सं0 8, 1976 के रूप में पुनः प्रख्यापित किया गया) की धारा 7 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

विधान सभा सदस्य, श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा की पैरोल पर रिहाई के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

अनुसचिव, गोपन अनुभाग-6 के रेडियोग्राम की पृष्ठांकन दिनांक 13 मार्च, 76, जो इस सचिवालय में 23 मार्च, 76 को प्राप्त हुई है, के अनुसार श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा (सीतापुर) को उनकी पत्नी के उपचार हेतु एक महीने के अग्रेतर अवधि के लिये पैरोल पर छोड़ा गया है। माननीय सदस्य की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना बुलेटिन 10, 14 तथा 20 द्वारा प्रसारित की गई थी ।

विधान सभा सदस्य, श्री केसरी लाल की जेल से रिहाई की सूचना

श्री अध्यक्ष--

जिला मैजिस्ट्रेट, लखनऊ के पत्र दिनांक 25 मार्च, 76 जो इस सचिवालय में दिनांक 26 मार्च, 1976 को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री केशरी लाल कुरील, सदस्य, विधान सभा (कानपुर) जो दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत बंदी थे एवं बाद में मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध किये गये थे, को शासनादेश के अन्तर्गत दिनांक 25 मार्च, 76 को सेशन्स न्यायालय में जमानत स्वीकार होने के उपरान्त जेल से मुक्त कर दिया गया है। माननीय सदस्य की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना बुलेटिन 8 द्वारा प्रसारित की गई थी ।

विधान सभा सदस्य, श्री शिव प्रसाद तथा श्री शतरुद्ध प्रकाश को मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध किये जाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

जिलाधिकारी, आजमगढ़ के रेडियोग्राम दिनांक 26 मार्च; 76, जो इस सचिवालय में दिनांक 27 मार्च, 76 को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री शिव प्रसाद, सदस्य, विधान सभा (आजमगढ़); जो डी0 आई0 आर0 के अन्तर्गत गिरफ्तार थे, को दिनांक 23 मार्च, 76 को मीसा की धारा 3 (1) (ए) (2) के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया है। माननीय सदस्य की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना बुलेटिन 13 द्वारा प्रसारित की गयी थी ।

4--जिला मैजिस्ट्रेट, वाराणसी के तार दिनांक 27 मार्च, 76, जो इस सचिवालय में 27 मार्च, 1976 को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री शतरुद्ध प्रकाश, सदस्य, विधान सभा, जो डी0 आई0 आर0 के अन्तर्गत बंदी थे, जमानत पर छूटने की संभावना पर उन्हें दिनांक 26 मार्च, 76 को मीसा की धारा 3 (1) (ए) (2) के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया है। माननीय सदस्य की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना बुलेटिन 14 द्वारा प्रसारित की गई थी ।

विधान सभा सदस्य, श्री राम रेखा यादव को कारावास का दण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

जिलाधिकारी, बस्ती के वायरलेस मैसेज दिनांक 29 मार्च, 76, जो इस सचिवालय म 30 मार्च, 76 को प्राप्त हुयी, के अनुसार श्री राम रेखा यादव, सदस्य विधान सभा (बस्ती

---

†छापी नहीं गयी ।

जो अपराध संख्या 150/75 में डी0 आई0 आर0 की धारा 36/43 के अन्तर्गत अभियुक्त थे, को दिनांक 29 मार्च, 76 को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, हरैया द्वारा दोषसिद्ध पाया गया और उन्हें तीन वर्ष के लिये कठोर कारावास का दण्ड दिया गया है। माननीय सदस्य को हिरासत में ले लिया गया है। माननीय सदस्य की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना बुलेटिन 15 द्वारा प्रसारित की गयी थी।

सदस्यों के वेतन व भत्ते के सम्बन्ध में नियमों में संशोधन का सुझाव

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्यों के वेतन व भत्ते के संबंध में मैं एक बात कहना चाहूंगा। मेरे पास माननीय सदस्यों के आवेदन पत्र आते रहते हैं, वे छुट्टी पर रहना चाहते हैं, या विवशता में उनको छुट्टी दी जाए कुछ ऐसे बहुत से व्यक्ति जेलों में भी है। तो इस सबंध में मैं यह अपेक्षा करूंगा कि जो हमारा अधिनियम बना है। उसमें सुधार होना चाहिये। इसपर माननीय मुख्य मंत्री जी से भी बात हुई। उन्होंने कृपा पूर्वक इस बात को स्वीकार कर लिया कि पूर्ववर्ती प्रभाव से यानी विद रिट्रस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ उनको जो-जो भत्ते या पे मिली है, उसमें कोई कटौती न हो। अतः संसदीय कार्य मंत्री उपर्यक्त अधिनियम में संशोधन सम्बन्धी कोई प्राविधान करने की कृपा करें। क्योंकि मैं जो स्वीकार करता हूं, उसकी दरख्वास्त, तो फिर उसका वेतन तथा भत्ता कट जाएगा, क्योंकि वर्तमान अधिनियम में यह असुविधा है। नियम बनाने का अधिकार सरकार ने नहीं लिया। यदि यह होता कि अध्यक्ष जिसको छुट्टी देते हैं, उसका भत्ता नहीं कटेगा, तो ठीक होता। इस बारे में शासन सचेत है। इसलिये मैंने अपनी तरफ से सूचना देना उचित समझा।

विधान सभा सदस्य, श्री शिव प्रसाद की गिरफ्तारी की सूचना विलम्ब से देने के सम्बन्ध में शिकायत

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

मैं इस संबंध में एक बात माननीय शिव प्रसाद के बारे में कहना चाहूंगा जबकि उनकी डी0 आई0 आर0 में जमानत की दरख्वास्त मंजूर हो गई, किन्तु श्योरिटी देने में देर हुई, तो 23 तारीख को उन पर मीसा लगा दिया गया। किन्तु जिला अधिकारी ने 26 तारीख तक माननीय अध्यक्ष को कोई सूचना नहीं दी। मुख्य मंत्री और गृह सचिव को भी उन्होंने कोई सूचना नहीं दी। जब सदन में आपके सामने यह प्रश्न उठा तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने तमाम छानबीन की। उसके बाद शाम को सूचना मिली कि वह वहां मीसा में बन्दी हैं। तो जो सम्बन्धित जिला अधिकारी ने इस सम्बन्ध में देरी की उसके संबंध में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---

23 मार्च, 76 को मीसा लगाया और 26 मार्च, 76 को सूचना दी, तो यह जिलाधिकारी असावधानता का दोषी है। उसको समय से देना चाहिये था। इसमें से इसके लिये कोई दण्ड देने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं शासन से अपेक्षा करता हूं कि उसको सचेत कर दिया जाए।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

उसने बहुत ही असावधानी दिखलाई है। यहां से इनीशेटिव न होता तो वह अब भी सूचना न भेजता।

श्री अध्यक्ष---

आपने जबानी यह सवाल उठाया और मैंने उस संबंध में अपना निर्णय दे दिया। यदि आप लिख कर देते कि यह है और उसने जान बूझकर ऐसा किया है तो उसपर हम कुछ कर देते। वैसे तो मैं इस संबंध में अपना वही मत व्यक्त करूंगा, जो अभी किया है

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

यहां सदन में आश्वासन दिया गया था कि डी0 आई0 आर0 से छूटने वालों पर मीसा नहीं लगेगा, इस संबंध में मुख्य मंत्री ने भी कहा था कि इन पर मीसा नहीं लगा होगा। फिर भी इसमें मीसा लागू हुआ और इतना ही नहीं, सरकारी कर्मचारियों ने आपको सूचना भी नहीं दी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने उस पर क्या कार्यवाही की? उन्होंने तो इस सदन और विधायकों के अधिकारों का हनन किया है।

श्री अध्यक्ष—

देखिये, इस मामले के दो पहलू हैं। इन दोनों पहलुओं के बारे में मैं निवेदन कर दूं। एक तो चुनाव से सम्बद्ध है, मुझसे कोई मलतब नहीं है। क्या सूचना सदन को समय से दी गयी या नहीं दी गयी, इस सम्बन्ध में जैसे बात उठी थी, और जैसे आपने उठाया, तो मैंने अपना मत व्यक्त कर दिया कि जिलाधिकारी, आजमगढ़ को असावधानता के लिए सचेत कर दिया जाय। लेकिन अगर आप समझते हैं कि सामान्य से कोई और जानबूझ कर, सदन को न बताने वाला गुरुतर मामला है, तो जब आप लिखकर देंगे तब हम कोई कार्यवाही करेंगे।

श्री राम मूर्ति (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, यह सवाल इसलिये उठा कि डी0 आई0 आर0 के जो कायदे हैं, उनमें बन्दियों को अपना वोट देने का अधिकार नहीं है। जो एम0 एल0 एज0, डी0 आई0 आर0 में हैं उनको भी नहीं है। इसमें उनकी जमानत दी गयी, जमानत में जब श्योरिटी देने में देर हो गयी तो मीसा लगा दिया। यह तो डी0 एम0 की ड्यूटी थी कि फौरन इत्तला देते। यह इस माने में सीरियस और गम्भीर प्रश्न है कि जान बूझकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसकी यह जिम्मेदारी थी, वह 3 दिन तक दिखलाई नहीं देते और यहां पर चीफ मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब को भी पता नहीं है। मान्यवर, जब यहां पर प्रश्न उठा, तब उसी रात को मोटरें दौड़ाई गयीं, अच्छी मेहनत जो कुछ हो सकती थी उन्होंने कराया। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर सरकार की तरफ से कोई मुनासिब कदम न उठाया जायगा तो अफसर जो हैं वे एक तरह से ढील समझते हैं। तो आगे के लिये खराब बात हो सकती है। मान्यवर, इसकी सीरियसनेस को देखते हुए कोई सीरियस कदम उठाना जरूरी है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, जो माननीय राम मूर्ति जी ने प्रश्न उठाया यह प्रश्न बहुत गम्भीर है। गम्भीर इसलिये है कि आप ने कहा कि शासन को आपने लिख दिया है। मान्यवर लिख देना एक बात है, लेकिन अधिकारियों का कर्त्तव्य इस सम्बन्ध में निश्चित है, वह तो अलग बात है उनका जो अधिकार और कर्त्तव्य है, उसमें यह बात निहित है कि कोई अगर इस तरह की बात हो जाती है तो उनके कर्त्तव्यों में यह आता है कि शासन को तथा आपको सूचना समय से दें। होम सेक्रेटरी को दे दें, चीफ सेक्रेटरी को दे दें। आजमगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया। इस पर कार्यवाही करने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष—

आजमगढ़ के जिलाधिकारी ने अपने कर्त्तव्य का पालन विलम्ब से किया।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, विलम्ब की बात नहीं है। जिलाधिकारी, आजमगढ़ ने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मेरा यही निवेदन है कि समय से नहीं किया, विलम्ब से किया गया। तो सरकार की जिम्मेदारी आ जाती है कि विलम्ब से उन्होंने अपने कर्त्तव्यों का पालन क्यों

किया ? समय से उसके पालन करने का सवाल है। इसलिये उनके खिलाफ कार्यवाही सरकार को करना चाहिये और आपको सरकार से कहना चाहिये, कार्यवाही करने के लिये।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

यह सारा सवाल इस सदन में माननीय ऊदल ने इस ढंग से रखा जिससे आभास होता है कि जिलाधीश ही इसका जिम्मेदार था। जिलाधीश तो एक लिंक है। गिरफ्तार करने वाला दूसरा अधिकारी होता है। जिलाधीश के जिम्मे बहुत से काम रहते हैं, जब उसको सूचित किया गया तो उसको सूचना मिली। जिलाधीश गिरफ्तार करने वाला अधिकारी नहीं है। इसलिये उसकी जिम्मेदारी कतई नहीं है। यह सब जिम्मेदारी गिरफ्तार करने वाले अधिकारो की है। जिलाधीश तो डाकिया का काम करता है।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप 'जिलाधीश' कहते रहेंगे तो यह सब अनर्थ होते रहेंगे। वह जिलाधिकारी है। जिले के जो और अधिकारी हैं, उन पर सब कामों के लिये कुछ न कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका दायित्व होता है। सूचना देनी चाहिये। हमारे नियम की धारा 80 है।

श्रम मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

मैं यह कह रही हूं कि नियम 80 है। उसमें सदस्यों के बन्दीकरण, निरोध आदि और रिहाई की अध्यक्ष को सूचना देंगे। इसमें कोई यह नहीं है कि कितने घन्टे में। इस तरह की बात नहीं है। अगर माननीय सदस्यों का विचार है कि बहुत ज्यादा देर हो गयी है तो यह जानकारी की जा सकती है। यह कोई ऐसी बात नहीं है, इसकी जानकारी की जा सकती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

उन्होंने इत्तला दी है, न मुख्य मंत्री को, न होम मिनिस्टर को और न माननीय अध्यक्ष को। टेलीफोन किया गया तब सूचना मिली है। उन्होंने खुद नहीं दी। मीसा के अन्दर कोई बन्दी नहीं हो सकता है बिना जिलाधिकारी के आदेश के। जब मीसा लगाया तो उसकी सूचना देनी चाहिये। यह जान बूझकर नहीं दी गयी है।

श्री अध्यक्ष—

हमारी नियमावली के नियम 80 में है कि—

"दंडाधिकारी द्वारा सदस्यों के बन्दीकरण निरोध आदि की अध्यक्ष को सूचना—जब कोई सदस्य किसी दोषारोपण या किसी दंड्य अपराध के लिये बन्दी किए जायें या उन्हें किसी न्यायालय द्वारा कारावास का दन्डादेश दिया जाये या किसी कार्यपालिका के आदेश के अन्तर्गत निरुद्ध किया जाय तो यथास्थिति, न्यायाधीश या दन्डाधिकारी या कार्यपालिका प्राधिकारी अनुसूची में दिए गये समुचित प्रपत्र में यथास्थिति, बन्दीकरण, निरोध या दोष-सिद्धि के कारण तथा सदस्य के निरोध या कारावास का स्थान भी दर्शाते हुए ऐसे तथ्य की सूचना शीघ्रता के साथ अध्यक्ष को देगा।"

अगर कोई ऐसा जिलाधिकारी या अधिकारी है जो वर्तमान सत्र के चलते हुए और इस सदन की गरिमा और गौरव का एहसास न करते हुए, वह विलम्ब से कार्य करता है तो हम इसको देखगे, लेकिन लिखित सूचना आनी चाहिये। अगर माननीय सदस्यों के कथन को लिया जाय, जिससे इसकी गम्भीरता की और कुछ ध्यान आकृष्ट होता है, तो आप इस पर लिखकर हमको दें, शासन को भी सुविधा होगी और हमारी भी सुविधा होगी। अगर कोई जिलाधिकारी इस प्रदेश में है और कोई अधिकारी है जो विधान सभा के अधिवेशन के काल में आवश्यकता से अधिक सतर्कता से अपनी निष्ठा का परिचय नहीं देता है, कर्तव्य-शीलता का परिचय नहीं देता है, तो हम इसको देखेंगे, लेकिन लिखित सूचना आ जाये।

श्री राम मूर्ति--

मान्यवर,..... .

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

इस पर बहस की कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष --

यह हो गया।

श्री राम मूर्ति--

डाक्टर बाजपेयी ने उसकी अहमियत पर. . . . . .

श्री अध्यक्ष--

यह विषय तो खत्म है। फिर कहिएगा, जब आपको मौका मिले।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का द्वितीय प्रतिवेदन†

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, अनुसचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा बिमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति के सभापति की हैसियत से उक्त समिति (1974-75) का द्वितीय प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश सचिवालय संवर्ग की सेवाओं/पदों मेंअनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधित्व के विषय पर है, प्रस्तुत करता हूं।

समिति द्वारा जारी की गई सेवाओं में आरक्षण से सम्बन्धित प्रश्नावली के संदर्भ में प्राप्त सूचनाओं पर दिनांक 12 व 13 मई, 1975 की बैठकों में समिति द्वारा विचार किए जाने के उपरान्त समिति ने अपनी दिनांक 6 जून तथा 12 जून की बैठकों में सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, श्री धर्मेन्द्र मोहन सिन्हा का साक्ष्य लिया। दिनांक 23 जून तथा 24 जून की बैठक में समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और कुछ संशोधनों सहित उसे स्वीकार किया। दिनांक 7 जुलाई, 1975 की बैठक में कुछ और संशोधन करने के उपरान्त इसे अंतिम रूप में अंगीकृत किया।

समिति श्री धर्मेन्द्र मोहन सिन्हा, आयुक्त एवं सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रति समिति को वांछित सूचना उपलब्ध कराने में सहयोग के लिये आभार प्रकट करती है। समिति श्री सत्यप्रिय सिंह, सचिव, विधान सभा से सम्बन्धित समिति अधिकारी व कर्मचारियों के प्रति भी आभार प्रकट करती है जिन्होंने समिति के कार्य में, इस प्रतिवेदन को तैयार करने में अपना योगदान किया।

एक सदस्य--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय माता प्रसाद जी ने जो अपनी रिपोर्ट सदन में रखी है, उस पर 2 घंटे की बहस करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

यह निवेदन अभी न कीजिए। आधी रात खोखी आवे, सांझे से मुंह बावे। इसमें कौनसा हिस्सा आपके कार्यार्थ है, आपकी बहस के लिये उपयुक्त है अथवा नहीं। उसका अध्ययन करें, फिर लिखित सूचना यदि माननीय सदस्य देंगे, तो मैं मानूंगा।

---

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1975–76) का चतुर्थ प्रतिवेदन†

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं, सभापति, प्राक्कलन समिति (1975–76) का चतुर्थ प्रतिवेदन'जो 1971–72 की प्राक्कलन समिति के औद्योगिक न्यायाधिकरणों तथा श्रम न्यायालयों से सम्बन्धित ग्यारहवें प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के विषय में है, प्रस्तुत करता हूं।

इस प्रतिवेदन को प्राक्कलन समिति (1975–76) द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 1975 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था, परन्तु विधान सभा का अधिवेशन न होने के कारण इसे अब तक सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

मूल प्रतिवेदन में समिति ने पांच संस्तुतियां की थीं जिनमें से केवल 2 संस्तुतियों को शासन ने स्वीकार किया है। समिति की एक महत्वपूर्ण संस्तुति यह थी कि अवकाश प्राप्त व्यक्तियों को सेवा निवृत्ति के उपरान्त औद्योगिक न्यायाधिकरणों तथा श्रम न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के पदों पर नियुक्त न किया जाय। शासन ने इसे स्वीकार नहीं किया है। समिति अब भी इसी मत की है कि इस प्रथा को समाप्त किया जाय। प्रतिवेदन में समिति, ने संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में शासन के जिन उत्तरों से सहमत नहीं है, अपनी मूल संस्तुतियों पर बल देते हुए पुनः उनके कार्यान्वयन की अपेक्षा की है। संस्तुतियों के कार्यान्वयन में किए गये विलम्ब को आपत्तिजनक मानते हुए यह कहा है कि उनके कार्यान्वयन पर शासन के निर्णय से समिति को अधिक से अधिक तीन मास के भीतर अवश्य सूचित कर दिया जाय और उक्त अवधि में यदि किसी संस्तुति का कार्यान्वयन सम्भव न हो सके तो समिति को उससे अवगत कराते हुए समय बढ़ाने का निवेदन किया जाय।

इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल जो माननीय न्याय मंत्री जी ने बिल पेश किया था उसमें अवकाश प्राप्त व्यक्तियों को प्रश्रय दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जो एक फैसला हुआ था उसमें कहा गया था कि श्रम न्यायालयों में जो पुराने जज हैं, वे पुरानी मान्यताओं को लेकर चलते हैं। विभागों में तो आवश्यक है ही, लेकिन खासकर श्रम विभाग में पुराने लोगों को कतई न रखा जाय, यह समिति की राय है और हाउस आफ कामन्स में यह रूलिंग हो चुकी है कि कमेटी सिस्टम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन में समितियों के जो निर्णय होते हैं वह प्रशासन के विभागों पर बाइंडिंग हों। इसलिये मैं पुनः सदन के जरिये प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट के माध्यम से यह चाहूंगा कि जो रिपोर्ट हुई है प्राक्कलन समिति की, कि न्यायालयों में रिटायर्ड लोग न रखे जायं, नये लोग रखे जायं, वह मानी जाय।

श्री के० पी० राय, थाना इंजार्ज, केराकत के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय दयाराम भास्कर, माननीय भाभी यादव तथा माननीय शारदा प्रसाद रावत ने एक सूचना दी है। इन माननीय सदस्यों का कहना है कि वे विधान सभा के नियम 63 के अन्तर्गत केराकत थाना इन्चार्ज, श्री के0 पी0 राय के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दे रहे हैं। उक्त सदस्यगण का कहना है कि जब वे 'उक्त थाना इन्चार्ज से मिलने गये तो उन्होंने डाक्टर मोहर के कहने पर उनसे कहा कि "विधायक होने का परिचय मत दो, जल्दी से थाने से बाहर जाओ, एम0 एल0 ए0 कोई तोप नहीं है, जो उड़ा देगा"। उनके कहने पर कि उनकी बात सुन ली जाय, दरोगा ने पुनः दोहराया कि

---

†छापा नहीं गया।

[श्री अध्यक्ष]

"जल्दी निकल जाओ वरना मार-पीट कर अभी बंद करा दूंगा, धक्का देकर बाहर करा दूंगा।" इसके तुरन्त बाद ही जब वे थाने से निकल कर थोड़ी ही दूर चले थे, श्री लालता सिंह, ग्राम नरायनपुर उनके पास आये और उन्हें मारा तथा उनकी जेब से पांच सौ रूपये छीन लिये। इसकी रपट लिखाने जब वह पुनः थाने गये तो इन्चार्ज के0 पी0 राय ने उन्हें चमरिया कह कर थाने से बाहर कर दिया। माननीय सदस्यों का कहना है कि इससे सदन एवं माननीय सस्दयों के विशेषाधिकार का हनन एवं अवमान हुआ है और उन्होंने अनुरोध किया है कि इसे विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाय।

अब जैसा इसमें है कि लालता सिंह के विरुद्ध जब आप रिपोर्ट लिखाने गये तब के0 पी0 राय ने वह दर्ज नहीं की। मुझे स्मरण है कि माननीय दयाराम भास्कर ने इसी सवाल को मेरे सामने एक पत्र द्वारा पहले ही दिन रखा था और उसमें उन्होंने स्वयं मुझसे कहा था कि मुख्य मंत्री जी को कार्यवाही के लिये भेज दीजिये। मैंने उसे मुख्य मंत्री जी की कार्यवाही के लिये भेजा है। मुख्य मंत्री जी आज हैं नहीं। क्योंकि आपने मुझसे यह अपेक्षा अवश्य की थी मेरे कक्ष में कि इस पर कार्यवाही की जाय, तो मैं इसको देख लूं तब इस पर निर्णय दूंगा क्योंकि एक मर्तबा उस पर कार्यवाही अगर हो गयी है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

इस वक्त स्थगित रहेगा, यह फाइनल डेसीजन तो है नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

स्थगित तो रहेगा ही। पहले ही माननीय सदस्य ने मुझे लिख कर दिया था और उन्होंने कहा था कि इस पर कार्यवाही होनी चाहिये। हो सकता है कि मुख्य मंत्री जी ने सख्त कार्यवाही कर ली हो। इसलिये अब उसके बाद दूसरी कार्यवाही करें तो ठीक नहीं होगा।

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी आज दिनांक 31 मार्च, 1976 की बैठक में सदन के 1 अप्रैल, 1976 से 25 अप्रैल, 1976 तक के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिश की है :--

1 अप्रैल, 1976 को (1) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार एवं उसका पारण, (2) उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1976 पर विचार एवं उसका पारण, (3) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास विधेयक, 1976 पर विचार एवं उसका पारण, (4) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) विधेयक, 1976 पर विचार एवं उसका पारण, (5) उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 पर विचार एवं उसका पारण।

2 अप्रैल, 1976 को 1 अप्रैल, 1976 की कार्य-सूची के बचे हुए विधेयक एवं वे विधेयक जो परिषद् से प्राप्त हो चुके हों।

5 अप्रैल, 1976 को अन्य शेष विधायी कार्य।

6 अप्रैल, 1976 से 8 अप्रैल, 1976 तक वित्तीय वर्ष 1976-77 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।

9 अप्रैल, 1976 से 25 अप्रैल, 1976 तक बैठक नहीं होगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने मुझसे कहा कि 26 तक छुट्टी रहे। तो अभी तो जो प्रस्ताव है, उसे आप रखें, वह बाद को किया जायेगा।

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)--

यह जो 9 से 26 या 25 तक बैठक नहीं होगी, क्या इन दिनों का कार्य आगे लिया जायेगा, क्या जून तक हम लोग बैठेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

जब तक आपकी मर्जी होगी, तब तक बैठेंगे।

लखनऊ विश्वविद्यालय की एम० डी० के परीक्षाफलों में तथाकथित भारी घोटाले के सम्बन्ध में वक्तव्य

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

लखनऊ विश्वविद्यालय के एम0 डी0 (Anaesthesiology) के घोषित परीक्षाफल के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है कि वर्ष 1975 की एम0 डी0 (Anaesthesiology) की परीक्षा में कुल 6 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे और माह दिसम्बर में घोषित परीक्षाफल के अनुसार केवल 4 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए एवं शेष 2 असफल रहे, परन्तु बाद में किन्हीं कारणवश दो विद्यार्थियों को भी उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार स्थिति यह है कि दिसम्बर, 1975 की एम0 डी0 (Anaesthesiology) परीक्षा में 6 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। इन सभी विद्यार्थियों का परीक्षाफल 12 जनवरी, 1976 को घोषित किया गया, जिसमें सभी 6 विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। अत: किसी विद्यार्थी के अनुत्तीर्ण होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हुकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

17 दिसम्बर, 1975 को किसी परीक्षाफल की घोषणा हुई या नहीं ? मेरी सूचना के अनुसार हुई और उसमें रोल नं0 43 और 46 को फेल दिखाया गया है, शेष को पास।

श्री अम्मार रिजवी--

12 जनवरी, 1976 को रिजल्ट घोषित किया गया उसके पहले नहीं किया गया।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या मंत्री जी ने, जिस दिन के बारे में प्रश्न उठाया गया है, उस दिन के दैनिक पेपर "नेशनल हेराल्ड" और "नवजीवन" को पढ़ा है ? उसमें परीक्षा फल की फोटो-स्टेट कापी छपी है ? यदि हां, तो क्या जांच करते समय इसको भी ध्यान में रखा गया है ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, मैंने उन अखबारों को भी पढ़ा है। इस वक्त भी वे मेरे सामने हैं। साथ ही ओरीजनल मार्क्सशीट को भी मुझे देखने का मौका मिला। मैंने उसे भी देखा। जो फोटो स्टेट कापी छपी है, उसमें और इसमें काफी अन्तर है। अगर आप कहें तो मैं आपके कक्ष में उसे दिखा सकता हूं। अखबारों में जो छपी है वह टाइप्ड है, जब कि ओरीजनल मार्क्सशीट हाथ से लिखी हुई हैं, उसके ऊपर दस्तखत हैं। जो फोटो स्टेट कापी है उसमें किसी के दस्तखत नहीं हैं। इस प्रकार दोनों मिलती जुलती हैं ही नहीं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

मान्यवर, जिस नेशनल हेराल्ड अखबार ने यह फोटो स्टेट कापी छापी है, वह प्रेस सरकार का है, तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसे गैरजिम्मेदार तरीके से गलत सूचना छापने पर सम्बन्धित प्रेस व लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे या नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय सदस्य ने जो प्रेस के लिये कहा कि वह सरकार का है तो वह प्रेस सरकार का नहीं है। जहां तक अखबार में गलत सूचना देने पर उनके खिलाफ कार्यवाही करने की बात है, वह तो सम्बन्धित व्यक्तियों, विश्वविद्यालय और अखबार के बीच की बात है। वे ही इसको सोच सकते हैं कि इनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय या नहीं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

इन्दिरा जी कहती हैं कि विरोधी दल के लोग अखबारों के जरिये गलत चीजें पेश करते हैं जब कि उन्हीं के आदमी उन्हीं के सेंसर और उन्हीं के प्रेस गलत चीजें प्रकाशित कर सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो उनके खिलाफ मीसा और डी0 आई0 आर0 का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ ?

श्रम मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

इसी से आप समझ सकते हैं प्रेस की कितनी स्वतंत्रता है। यहां पर जो लोग इसके विरुद्ध बात कहते हैं, वे गलत कहते हैं।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

माननीय सदस्य ने जो कहा, और फोटो स्टेट कापी जो दी गयी है, उसमें अन्तर है। ऐसा लगता है कि पहले वाली कापी थी, मार्क्ससीट थी, जिससे रिजल्ट सीट बनाया गया है, उसे समाप्त कर दिया गया है और बाद वाली जिसमें 6 आदमियों को पास दिखलाया गया है, वही इस वक्त यूनिवर्सिटी में प्रिजर्व्ड है। मैं समझता हूं कि पहले वाला खत्म हो गया है जैसा कि अखबारों में छपा है, और माननीय सदस्य ने भी सूचना दी है, तो क्या माननीय मंत्री जी सी0 आई0 डी0 द्वारा इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ताकि सारी चीजों की जानकारी हासिल हो सके ?

श्री अध्यक्ष—

आपकी खुद की जानकारी अटकल पर आधारित है। आपकी कोई विश दजानकारी नहीं है। बिना पूरी जानकारी के सी0 आई0 डी0 को कोई मामला कैसे दिया जाय, कहा जा सकता है।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

मुझसे भी सम्बद्ध लोगों ने बतलाया और जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बयान दिया है, उससे मालूम हुआ कि बाद वाला रिजल्टशीट यूनिवर्सिटी में है जिसको उन्होंने अध्यक्ष जी को दिखलाने के लिए कहा—तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जानकारी हासिल करने के लिए जांच करायेंगे कि क्या कोई और भी रिजल्टशीट बनाया गया था जिसे डिस्ट्राय कर दिया गया ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, सभी इस बात से सहमत होंगे कि एकेडेमिक स्टैन्डर्ड ऊंचा रहना चाहिए लेकिन जब कोई चार्ट रिजल्ट के लिए बनाया जाता है तो उसे कई स्टेजेज से गुजरना पड़ा है। टेबुलेशन चार्ट के समय भी एक्सटर्नल एक्जामिनर से पूछा जाता है। इस बारे में भी एक्सटर्नल एक्जामिनर को खत लिख कर पूछा गया कि आपके स्टेज तक कितने लोग पास थे, बतलावें तो उन्होंने भी लिख कर भेजा है कि 6 आदमी पास थे। इतना स्पष्टीकरण के बाद कोई प्राइमा फेसी केस भी नहीं बनता। जिससे इसे सी0 आई0 डी0 को दिया जा सके। अगर प्राइमाफेसी केस बनता होता तो इसे अवश्य सी0 आई0 डी0 को दिया जाता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष——

यह केवल वक्तव्य के लिए था। स्पष्टीकरण आप ले सकते हैं।

श्री हुकम सिंह——

अध्यक्ष जी, निश्चित आरोप यह है कि इसमें एक एक्जामिनी थे जिनका रोल नम्बर 43 था। कोई कान्फ्रेंस हुयी थी जिसमें करीब 7 हजार रुपया इन्होंने खर्च किया। दूसरे एक्जामिनी हैं जिनका रोल नम्बर 46 है। इन्होंने मकान मरम्मत के लिये 15 सौ रुपए खर्च किए। यह दोनों एक्जामिनी फेल दिखाए गए थे। निश्चित आरोप यह है कि इन दोनों ने प्रेशर डाला और रुपया मांगना चाहा तो रुपया न देकर इनको पास कराया गया। जैसा मंत्री जी ने बताया है कि मार्कशीट उनके पास है तो आप इसका अवलोकन करें। 7 दिसम्बर, 1975 को फोटो स्टेट कापी यहां दिखाने का प्रयास किया है, वह हाथ से लिखी गयी है। मान्यवर, यह इतना बड़ा घपला किया गया है। एम0 डी0 की परीक्षा बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षा है। तो सी0 आई0 डी0 से इन्क्वायरी कराये केवल विश्वविद्यालय ने जो रिपोर्ट दी है उसका यकीन करके न रहें।

श्री अम्मार रिजवी——

श्रीमन्, अगर इस रिजल्टशीट को केवल एक व्यक्ति बनाता तो सम्मानित सदस्य ने जो बातें कही हैं वह मैं मान लेता। आपने बताया कि मकान का रिन्नोवेशन कराया और कांफ्रेंस के ऊपर पैसा खर्च किया। मान्यवर, इसमें एक्सटर्नल और इन्टर्नल एक्जामिनर भी होते हैं। बहां से बाहर रहते हैं। उनके खिलाफ, कि रिन्नोवेशन, मकान का कराया गया, यह कहना ठीक नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)——

अध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं। 23 मार्च का "नेशनल हैराल्ड" है, और "नेशनल हैराल्ड" हमारे उत्तर प्रदेश का ही नहीं, सारे देश का सम्मानित अखबार है। इस सदन में शासन में, हमारे माननीय मन्त्री जी विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा, गौरव और गरिमा को कायम रखने के लिए हैं। तो मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अखबार में छपा है, 23 मार्च को कि एम0 डी0 के रिजल्ट में घपले बाजी की गयी और बदला गया। तो या तो इस अखबार की खबर को कन्ट्राडिक्ट करावें, अगर आपकी बात सही है। "नेशनल हेराल्ड" की बात सही है या जो सूचना माननीय सदस्यों ने दी है वह सही है? जिन लोगों ने एम0 डी0 के परीक्षाफल में घपले बाजी की है उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करके इस सदन को अवगत करायें। क्या सही है? आइदर आफ दी टू। इन दोनों में क्या सही है? या तो जो "नेशनल हैराल्ड" के रिप्रेजेंटेटिव ने सूचना दी है, उस न्यूज को कन्ट्राडिक्ट करें। या फिर जांच करके, जिन्होंने रिजल्ट बदला है, फेल को पास किया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें, दन्डित करें। दोनों में से कौन सी बात सही है?

श्री अध्यक्ष——

अब क्या जवाब देंगे? आपका सुझाव है।

श्री काशीनाथ मिश्र——

मान्यवर, जांच कराके दन्डित करें। "नेशनल हेराल्ड" कोई ऐसा वैसा अखबार नहीं है, अलल्टप्पू। इस अखबार की गरिमा है। मान्यवर, 4 लाइनें अखबार की, अगर आप इजाजत दें तो पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष——

नहीं, अखबार न पढ़ें।

एक सदस्य——

मान्यवर, जांच कराके कड़ी कार्यवाही कर सकते हैं इसमें परेशानी नहीं है।

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, जहां तक जांच का प्रश्न है, शासन को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है कि इसकी जांच न करायी जाय। लेकिन इसकी जांच विश्वविद्यालय के उच्चस्तरीय लोगों से करायी गयी और साथ ही साथ इसके सारे रिकार्ड्स खुद देखे गए। तो सी0 आई0 डी0 से जांच करवायी जाय या और विभाग से करवायी जाय, यदि रिकार्ड्स में कोई ऐसी चीज नजर आती तो अवश्य करायी जाती। रही अखबार का सवाल तो अखबारों में बहुत सी खबरें छपती हैं। हर खबर को मान लेना कि सही है, किसी प्रकार से उचित नहीं है। "नेशनल हेराल्ड" ने इसको छापा है। जो बातें मैं यहां कह रहा हूं वह उसको पूरी तरह से अवश्य छापेंगे जिससे इस बात का खंडन हो जाय।

'लोक पक्ष' दल के गठन की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल, श्री चरण सिंह, जी ने मुझे एक सूचना दी है। जो पत्र लिखा है उसको मैं पढ़े देता हूं :—

माननीय अध्यक्ष महोदय,

कुछ दिन पहले मैंने आपको सूचित किया था कि भविष्य में भारतीय लोक दल, भारतीय जनसंघ, संगठन कांग्रेस तथा सोशिलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने सदन में एक इकाई के रूप में कार्य करने का निश्चय किया है। मैंने यह भी निवेदन किया था कि पदाधिकारियों के नामों की इत्तला आपको कुछ दिन बाद में दे दी जाएगी।

इस पत्र द्वारा मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि इस नए दल का नाम 'लोक पक्ष' होगा और इसका नेता मुझको चुना गया है। श्री राम मूर्ति जी व श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी पक्ष के उप नेता होंगे तथा श्री मोहम्मद असरार अहमद मुख्य सचेतक। श्री सत्य प्रकाश जी (बरेली) पक्ष के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। अन्य पदाधिकारियों के नाम की सूचना बाद में दी जाएगी।

श्री मुहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, क्या यह दल आखिरी बार बना है ?

श्री अध्यक्ष—

आखिरी तो कोई नहीं है। इसकी जानकारी आपको होगी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

यदि इनके वहां दल, नेता और सरकार बदल सकती है तो वैसा ही सोचें।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस सूचना के अन्दर संसदीय परम्परा में हमेशा लोकपक्ष हम हैं और प्रतिपक्ष वह हैं। रूलिंग पार्टी लोकपक्ष को रेप्रेजेन्ट करती है—यह परम्परा रही है। जहां लोकतन्त्र के लोकपक्ष को हम रेप्रेजेन्ट कर सकते हैं, सत्ता पक्ष ही लोकपक्ष कहलाने का अधिकारी है विरोधी पक्ष लोकपक्ष नहीं कहलाएगा। इसके पहले चारों दलों ने मिलकर एक मोर्चा बनाया था लेकिन आज जब वह भी नाकामयाब हो गये, तो जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए हम सत्ता दल से सट के रहना चाहते हैं। हमारी आड़ में शिकार करना चाहते हैं। इसलिए निवेदन है कि संसदीय परम्पराओं को, लोकपक्ष की मान्यताओं को कैसे तोड़ कर इस सदन में लोकपक्ष को अध्यक्ष पद से मान्यता दे सकते हैं ? हमेशा आपने उनको प्रतिपक्ष और हमको लोकपक्ष कहा है। सदन में 'हां' और 'ना' लिखे हैं उनकी मान्यता यही है। पार्टी इन पावर जो है वह हमेशा लोकपक्ष को रेप्रेजेन्ट करती है। इसलिए वह इसके उत्तराधिकारी नहीं होंगे। मैं नेता विरोधी दल से और आपसे कहूंगा कि इसकी जगह पर दूसरा नाम रखें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

काशीनाथ मिश्र की जो इस विषय पर पहुंच है वह निरापद होते हुए भी, पक्ष और प्रतिपक्ष की सामान्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या यह नहीं हो सकता है कि जो अभी आज पक्ष में है वह कभी प्रतिपक्ष में जाए और प्रतिपक्ष वाला पक्ष में आए। श्री काशीनाथ मिश्र ने कहा कि प्रतिपक्ष, जो लोकपक्ष कह रहा है अपने को वह उनकी आड़ में राजनैतिक शिकार करना चाहता है। तो उनकी आड़ में जो शिकार कर रहा है, उसके आड़े में स्पीकर नहीं आता है। यदि आपकी आड़ में कोई शिकार खेलना चाहता है तो अध्यक्ष आड़े नहीं ही आएगा। नाम रखने की परम्परा रही है, देश में है। यदि किसी ने अपना नाम राम रखा है, कृष्ण रखा है या दूसरा रखा ह। तो कोई हिन्दू क्या कह सकता है कि राम को नहीं स्वीकार करते हैं। लाखों करोड़ो नाम होते हैं। नाम अगर लोकपक्ष है तो उसका अभिप्राय यह नहीं कि वह प्रतिपक्ष नहीं है।

श्री काशी नाथ मिश्र —

राम और श्याम दोनों कैसे हो सकता है ?

श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय .....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। माननीय काशीनाथ मिश्र ने दिमाग लगाया और आप बिना दिमाग लगाए बोल रहे हैं। प्रश्न यह है कि क्या नामकरण संस्कार की प्रक्रिया से अध्यक्ष को जोड़ा जायगा। अगर यह काम है तो अध्यक्ष इससे अपने को अलग रखना ही उपयुक्त समझेगा।

श्री रुद्र प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

नाम का महत्व यह नहीं है कि वह इस पक्ष को रिप्रेजेन्ट करता है। भले ही किसी का नाम दरोगा प्रसाद हो तो क्या वह थाने में बैठेगा.....(व्यवधान)।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

एक कहानी है। है तो विपक्ष के और लोक पक्ष की बात बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई बहस का प्रश्न नहीं है। संसदीय जीवन में जो प्रतिपन्न मतित्व है, फौरन बात कहना और फ.रन टाल देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। काशीनाथ मिश्र ने एक बात उठा दी। उसके उठाने में उनकी बुद्धि की विलक्षणता और तीव्रता जाहिर हो गई। आप उसको गम्भीर विषय बना रहे हैं। तो मुझे आपकी बुद्धि पर शक हो रहा है। आप अपना नाम रख लीजिए प्रतिपक्ष तो कोई रुकावट नहीं होगी। नामकरण संस्कार जैसे होता है चाहे यहां या बाहर तो क्या मुझे उससे सम्बद्ध करेंगे। दरोगा राय किसी का नाम है तो थाने में अगर बैठ जायेंगे थानेदार होकर तो उसमें धर्मवीर सिंह आड़े आयेंगे, मुख्य मन्त्री आड़े आयेंगे। उन्होंने सवाल उठाया है कि दरोगा राय नाम रखकर थाने में बैठ सकते हैं, तो कृपा कर अपने मुख्य मन्त्री और नेता सदन से बात करें।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

नाम हो और गुण न हो. . . .

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

यह अपना नाम परलोक पक्ष रख लें।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

प्रोसीडिंग्स में न रखने का प्रश्न रखा था तो आपने कहा कि फिर उठा लीजिएगा।

श्री अध्यक्ष—

इस समय भी नेता सदन और नेता विरोध पक्ष नहीं हैं।

श्री राममूर्ति—

कल रखलें ।

श्री अध्यक्ष—

हम चाहते थे कि सभी रहें। नारायणदत्त तिवारी जी रहें। सभी की सुविधा को ध्यान में रखकर रखेंगे।

श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

किसी भी विरोधी दल को मान्यता देने के लिए क्या आपके लिए आवश्यक नहीं है कि आप देखें कि बाहर भी वह संगठन है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

अभी मैंने सूचना दी है। जो कागज आप देते हैं या नेता विरोधी दल देते हैं तो वह सूचना सदन के सम्मुख प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी है। उसके निभाने में जो राजनीतिक मसले हैं वह तर्क के ऊहापोह से न ढक सकते हैं और न ढांके जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976

सहकारिता मन्त्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय। मान्यवर, यह एक छोटा सा विधेयक है जिसमें धारा 5 में छोटा सा संशोधन किया गया है। गन्ना विकास परिषद् को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें एक प्रयत्न किया गया है। अभी तक गन्ना विकास परिषद् में 8 सदस्य हुआ करते थे जो नामिनेटेड होते थे और गवर्नमेंट एक चेयरमैनको भी नामिनेट करती थी। हमने इसमें 8 सदस्यों के स्थान पर 12 कर दिए हैं। वे स्वयं ही अपने चेयरमैन को इलेक्ट कर लेंगे। इसमें से जो 5 सदस्य हैं वे काश्तकार हैं जो कि अच्छा गन्ना पैदा करने वाले हैं, और जिनको प्राइज भी मिल चुकी है। इन 5 काश्तकारों का, जो गन्ना यूनियन की एक्जीक्यूटिव है, वह चुनाव करेगी। अब वहां पर अगर एक यूनियन है, या दो है, वे इसको करेंगी। उनमें से दो ऐसे काश्तकार होंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है और 3 काश्तकार ऐसे हो सकते हैं, जो कि प्रतियोगिता में आए हों। इस तरह 5 सदस्यों का इलेक्शन होगा और वे स्वय अपना चेयरमैन इलेक्ट कर लेंगे। इसमें एक यह भी प्राविधान है कि अगर केन काउन्सिल अच्छा काम नहीं कर रही है तो उसको हम भंग कर सकते हैं। पहले जो नियम था, उस नियम के अनुसार जुलाई, 1972 के बाद से यह डेवलपमेंट काउन्सिल काम ही नहीं कर रही थी, और सभी लोग नामिनेटेड हैं। 1972 से अभी तक एडमिनिस्ट्रेटर ही इसका काम कर रहा है। हमने इसको भी इलेक्टेड बना दिया है। इलेक्शन का इसमें प्राविधान है। मान्यवर, यह बा ही छोटा सा प्रस्ताव है और मुझे आशा है कि आप इसको स्वीकार करेंगे।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो परिषदें बनी हुई हैं बिलकुल, डिफेक्ट पड़ी हुई हैं क्योंकि सालों इनका चुनाव नहीं होता। जो इन्टरेस्टेड चेयरमैन बन जाते हैं वे एनुअल मीटिंग नहीं होने देते, चुनाव नहीं होने देते और सरकार की तरफ के नामिनेटेड मेम्बर्स चुने हुए लोगों के बैलेन्सेज को बिगा ते हैं। लिहाजा जो चुने हुए मेम्बर्स के बैलेन्सेज हैं, उनको नामिनेटेड मेम्बर्स के जरिए से बिगाड़ा न जाय और सालाना मीटिंग अवश्य की जाय। जो आफिसर्स हैं डी0 सी0 ओ0 अथवा डिप्टी कमिश्नर उनकी जिम्मेदारी हो कि वे मीटिंग को टाइम पर रखें और मीटिंग्स अनिवार्य रूप से हो ताकि मुखालिफान को अपनी बात कहने का मौका हो और अफसरान को पता चल सके कि गलतियां कहां हो रही हैं।

---

†24 मार्च, 1976, की कार्यवाही में छपा है।

*श्री हुकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं है कि गन्ना परिषदों ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कई वर्षों से इन परिषदों का गठन ही नहीं हुआ है, बावजूद इसके कि बार बार प्रश्न उठाया गया। मन्त्री जी उत्तर देते समय इस बात को स्पष्ट कर देंगे कि कब-तक इन गन्ना विकास परिषदों का गठन सम्पन्न हो जायगा ?

दूसरे, इस विधेयक की खण्ड 2(क) में यह प्राविधान किया गया है कि ऐसे किसान, जिन्होंने प्रतियोगिताओं में प्रथम 10 स्थान प्राप्त किए हों, और जिनके दो हेक्टर से भूमि कम हो। लेकिन अगर कोई ऐसा किसान नहीं मिल पाता है जिसके पास दो हेक्टर से कम भूमि है, और जिसने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो, तो ऐसी स्थिति में इस प्राविधान का क्या प्रयोजन होगा ?

तीसरे सरकार ने गन्ने के मूल्य में वृद्धि की घोषणा की थी, लेकिन वह वृद्धि किसानों को मिलना शुरू नहीं हुआ है। शासन के द्वारा यह एलान कर दिया गया कि जो वृद्धि हुई है वह किसानों को न दे कर अल्प बचत योजना के अन्तर्गत किसानों के खातों में जमा कर दिया जायगा। मैं माननीय मन्त्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि वह इस प्रकार का एक पक्षीय निर्णय न करें। किसान के पास पैसा नहीं है जो वह जमा करा सके। जो पैसा किसान का मिलना है, वह उसे मिले। पिछले वर्ष पैनाल्टी के रूप में किसानों का जो रुपया जमा करा लिया गया था, उसके सम्बन्ध में शासन ने आदेश कर दिए हैं कि वह किसानों को वापस कर दिया जाय, परन्तु अभी तक वह रुपया उनको वापस नहीं मिला है। मैं चाहता हूं कि वह रुपया भी उनको वापस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह भी अल्प-बचत योजना में जमा कर दिया जाय इसके लिए उसे मजबूर न किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मान्यवर मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से, जैसा कि अभी हमारे एक भाई ने बात उठाई, उस पर और जोर देकर कहना चाहता हूं कि इसमें जो प्राविधान किया गया है कि जो प्रतियोगिता वाले किसान होंगे, उनमें से 10 स्थान तक के लोगों को उसमें चुना जाएगा और उसमें दो हेक्टर भूमि वाले लिए जायेंगे। ऐसे लोग पारितोषिक योजना में आ जाते हैं जो कि उसके योग्य नहीं होते हैं। ऐसा मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं भी एक छोटा-मोटा किसान हूं। अपना मेरा अनुभव है कि इस प्रतियोगिता में धांधलेबाजी होती है। ऐसे लोग चुने जाते हैं जो वाकई उसके काबिल नहीं होते हैं। उन्हीं क गन्ना काट लिया जाता है और पारितोषिक योजना में उन्हीं को रखा जाता है। (व्यवधान) माननीय काशी नाथ मिश्र यों ही हर बात में हंसी उड़ाते हैं, यह कोई साधारण बात नहीं है। तो मैं कह रहा था कि अभी तक का जो अनुभव है कि जो इनामी योजना है उसमें उन्हीं की क्रौप कटिंग की जाती है जिनकी सुपरवाइजर्स से सांठ-गांठ होती है और अच्छे काश्तकार रह जाते हैं। मेरा ख्याल है कि साधारण तरीके से जैसे चुनाव होता है, वैसे ही रहने दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और यह ज्यादा प्रजातांत्रिक भी होगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में जो एच0 आर0 शुगर फैक्टरी है, उस फैक्टरी ने पिछले वर्ष के 30, 40 लाख रुपए अभी तक काश्तकारों के नहीं दिए हैं और इस साल जो मूल्य बढ़ाया गया उसका पैसा आज तक किसानों को नहीं दिया है। तीन महीने से श्रीमन्, उनके जो कर्मचारी हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिली है और 6 लाख रुपया जो, प्रावीडेन्ट फन्ड का उन कर्मचारियों का खाते में जमा होना चाहिए था, वह भी नहीं हुआ। कर्मचारियों का शेयर तो काट लिया गया लेकिन फैक्टरी ने अपना शेयर नहीं दिया इसके अलावा जो फैक्टरी ने देना था वह भी नहीं दिया। इस तरह से 6 लाख रुपया जमा नहीं किया गया है। इस कारण से, श्रीमन्, वहां 10 दिन से पहले हड़ताल होने वाली थी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

चूंकि आपात्कालीन स्थिति है, इसलिए वह नहीं हुई। इमरजेन्सी नहीं होती तो हड़ताल हो गई होती। वें इतने दुखी हैं, क्योंकि तीन महीने से तनख्वाह नहीं मिली, और 6 लाख रुपया प्राविडेन्ट फन्ड का खातों में जमा नहीं हुआ। मजबूर हो कर उन्होंने घेराव किया। आज यह सारे काम हो रहे हैं और कहते हैं कि हम जनता की भलाई के काम कर रहे हैं। लेकिन इससे तो यही ध्वनि निकलती है कि आप पूंजीपतियों का संरक्षण कर रहे हैं। गन्ना काश्तकारों को उनकी कीमत न दी जाए, कर्मचारियों को वेतन न दिया जाय तथा उनका प्राविडेन्ट फन्ड भी चोरी करवा लिया जाए, और सरकार कोई ऐक्शन न ले, तो यह सबसे अनुचित बात है। श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा, सदन में दो मन्त्री बात कर रहे हैं, वह हमारी बात का जवाब क्या देंगे? जब उस 6 लाख रूपए को जमा न करने का सवाल आया और पता चला मिल मालिक को कि हो सकता है हमें शायद गिरफ्तार किया जाय डी0 आई0 आर0 वगैरह में, तो उन्होंने अपनी एन्टीसिपेटरी बेल करवा ली। आपके सरकारी वकील ने उसका कतई विरोध नहीं किया और न सरकार की ओर से कोई विरोध हुआ। तो इस तरह से क्या आप उनका प्राविडेन्ट फन्ड का 6 लाख रुपया दिलवा देंगे? मेरा निवेदन है कि—जल्दी से जल्दी बरेली मिल को टाइट किया जाए और काश्तकारों को उनका रुपया दिलवाया जाए, बढ़े हुए मूल्य का धन दिलवाया जाए, साथ ही कर्मचारियों का पैसा और उनके प्राविडेन्ट फन्ड का पैसा दिलवाया जाए।

एक सदस्य—

सदन में कोरम नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, कोरम पूरा है।

*श्री दीपनारायण पांडेय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, जो माननीय गन्ना मन्त्री ने यह विधेयक रखा है, इसके विषय में मैं कुछ कहना चाहूंगा। वैसे इसका मुख्य उद्देश्य यह है—"राज्य में चीनी उद्योग की दशा सुधारने के लिए योजनायें चला रही हैं, गन्ना विकास परिषदों के गठन की वर्तमान प्रणाली अधिक लाभप्रद नहीं सिद्ध हो रही थी। अस्तु, गन्ना विकास परिषदों को अधिक सक्रिय बनाने के उद्देश्य से उसके गठन सम्बन्धी उपबन्धों में संशोधन करना आवश्यक समझा गया है।" तो मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जहां तक गन्ना उद्योग को सुधारने की बात कही जाती है, मैंने कई बार इस सम्बन्ध में कहा कि गन्ना उद्योग की दशा उस समय तक नहीं सुधारी जा सकती है, जब तक इस प्रदेश में समस्त गन्ना मिलों का राष्ट्रीयकरण न किया जाय। माननीय कमलापति त्रिपाठी बम्बई अधिवेशन में प्रस्ताव भी लाए थे और मैं नहीं समझ पाता कि कौन सी वैधानिक कठिनाइयां हैं। जिनके कारण यह नहीं हो पाता है। हमारे जिला गोन्डा में चीनी मिल मालिकों पर काश्तकारों का करोड़ों रुपया बकाया है। एक-एक साल हो जाता है, लेकिन वह नहीं अदा होता है। यदि गन्ना मिल मालिक एक साल तक एक करोड़ रुपया जमा रखें तो 16 लाख रुपया उसका फिक्सड डिपाजिट हो जाता है। तो ऐसी उनकी प्रवृति को सरकार सख्ती के साथ कुचले, गन्ना उत्पादकों की मदद करे, क्योंकि गोंडा जिले में बहुत से किसानों का 4-4 व 5-5-साल से पैसा नहीं मिला है। मैं चाहूंगा कि गन्ना मन्त्री इस बारे में ध्यान दे। जब आप उसको सुधारना चाहते हैं, किसानों का फायदा कराना चाहते हैं किन्तु यदि आप समितियों को इस लायक नहीं बना पाए कि वह उनकी सारी बातें आपके सामने रखें तब तक कुछ नहीं होगा। इस बिल को जो आप लाए हैं, सरकार इस पर भी ध्यान दे और वक्तव्य दे कि क्यों नहीं इनका राष्ट्रीयकरण होता है। करोड़ों रुपया किसानों का बाकी क्यों नहीं दिलवाया जाता है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं होती? हमारे जिले में गन्ना किसान बहुत ही परेशान हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, जो यह संशोधन विधेयक लाया गया है, यह पहले के मुकाबिले में बहुत अच्छा है लेकिन जो संशोधन लाया गया है इसका मूल 1953 में बना था और इसकी मुख्य मंशा यह थी कि कैसे फैक्टरीज तक गन्ना पहुंचे। सप्लाई के सम्बन्ध में दो समस्यायें मुख्यत: आज गन्ना किसानों के सामने हैं जिनका वर्णन इस ऐक्ट में है, उनका सुधारा जाना आवश्यक है। पहला यह है कि खरीदारी के लिए उनके गन्ने का रिजर्व एरिया घोषित कर दिया जायगा वह किसी दूसरे तरीके के अपना गन्ना पेरने के लिए अधिकारी नहीं हैं, लेकिन यह उपबन्ध है हर खेत का गन्ना जो किसान लावेगा वह फैक्टरी खरीद भी लेगी। ऐसा प्राविजन इस ऐक्ट में नहीं किया गया है कि नहीं आपको खरीदना ही है। गन्ना मिल भी जायगा फैक्टरी को, लेकिन उनके एरियर का भुगतान कैसे होगा? जो इसमें दिया हुआ है, वह इस तरह है कि कोई जिम्मेदारी उनके ऊपर लादी नहीं जा सकती। तो मैं चाहता हूं कि जिस वक्त यह हल्का-फुल्का संशोधन लाया गया है, कहां तो यह बेसिक प्राविजन है, यह इसमें होना चाहिए था। यह मेरी बातें नहीं हैं, केन्द्रीय मन्त्री श्री शाह नवाज खां की है दिसम्बर में जो उन्होंने कहा है कि 22 करोड़ रुपये पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ने के बाकी है। लेकिन यह भी निर्देश दिया गया है, वहां पर बयान देते हुए, यह भी कहा है उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया गया है कि इस सम्बन्ध में भुगतान कराने की व्यवस्था करेंगे। इस सम्बन्ध में जो पेमेंट के बारे में व्यवस्था है वह मैं आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। यह धारा 17 है जिसमें यह है कि फैक्ट्री विल मेक प्राविजन—फैक्ट्री भुगतान के लिए उचित व्यवस्था करेगी, जैसा कि नियम बनाया जायगा। अब नियम है 45 जिसमें यह है कि फैक्टरी बन्द होने के बाद 15 दिन के अन्दर सारा बकाया कोआपरेटिव सोसायटी, जिसके गन्ना काश्तकार मेम्बर हैं, भुगतान कर दिया जायगा। इसके बावजूद भी इतना पैसा बाकी है किसानों का, 22 करोड़ तक पहुंच गया, क्यों नहीं अब तक किसानों का भुगतान हो पाया? अगर यह नहीं करते हैं, कोई प्राविजन इस पूरे ऐक्ट में नहीं है कि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर क्या किया जायगा, यही कारण है कि अब तक इतना बकाया बढ़ चुका है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस में यह बेसिक प्राविजन होना चाहिए। यह चीज इसमें न होने के कारण इसका फायदा मिल मालिकान ले रहे हैं, लिहाजा यह संशोधन अवश्य आना चाहिए।

अब दूसरी चीज जो खरीदारी रिजर्व एरिया घोषित करने का अधिकार कमिश्नर को है, केन कमिश्नर मांगेंगे कितना खरीदना है और अगर केन कमिश्नर डाइरेक्ट करेंगे, जितना गन्ना है रिजर्व एरिया का तो वह खरीदेंगे ही लेकिन उनकी सहकारी समितियों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। नतीजा क्या होता है मिल मालिकान जब चाहते हैं मिल बन्द कर देते हैं और इस पूरे प्रदेश के पैमाने में इस चीज की कोई गारन्टी नहीं है, सारे का सारा मामला केन कमिश्नर के ऊपर छोड़ दिया गया है। केन कमिश्नर के ऊपर शुगर मिल-ओनर्स का दबाव पड़ता है। ठीक है, आप बन्द कर सकते हैं। इस तरह का संशोधन आने से एक बहुत ही बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो गयी है जो प्रैक्टिकल कठिनाई है। गन्ना कैसे जोड़ा जाए इसलिए अगर 3 साल का औसत निकाला जाता है और वही सट्टा बन जाएगा। किसान उससे अधिक सप्लाई कर ही नहीं पाएगा। जो बड़े किसान हैं, जिनका बड़ा सट्टा होता है, चाहे वह गन्ना बोए, न बोए उन पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन जो छोटा किसान है जिनका छोटा सट्टा है, उनका हर साल का देखा जाना चाहिए कि कितना हुआ है, उसकी हर साल पड़ताल हो और मौके पर जितना गन्ना हो उसी के हिसाब के करना चाहिए।

अब मान्यवर, यह सवाल उठता है कि उनकी प्राइस क्या होगी और वह कब घोषित की जाएगी? इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

गन्ना विकास परिषद् के गठन के बारे में यह है। आप गन्ना पर बहस कर सकते हैं।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

मैंने तो एक छोटा सा सवाल उठाया था। यह तो गन्ना विकास परिषद् को मोर डेमोक्रेटिक बनाने का एक छोटा सा सुझाव ह, सेक्शन 5 और सेक्सन 8 मे संशोधन है। मैं मानता हूं कि माननीय सदस्य की बहुत सी बातें सत्य हैं और उनकी ओर सरकार जागरूक भी है और जो आवश्यक होगा वह कदम उठाये जायेंगे। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि जितना आप अपने को प्रोग्रेसिव मानते हैं उससे कम मैं अपने को नहीं मानता। जितनी समस्यायें हैं उनका निराकरण किया जाएगा। हमारा, आज का जो सदन है वह तो सिर्फ गन्ना विकास परिषद् को मोर डेमोक्रेटिक और मोर इफेक्टिव बनाने का था। माननीय राम मूर्ति जी ने कहा कि हमारी बहुत सी परिषदें 1972 से काम नहीं कर रही हैं। यह तो नामिनेटेड है। चुनाव की बात नहीं है। एक-एक प्रशासक हर जगह पर नियुक्त है। इसलिए इसको लाया गया है।पहले इसका कार्यकाल एक वर्ष रखा गया है और जब लोग इससे परिचित हो जायेंगे तो इसका कार्य काल 3 वर्ष बढ़ा दिया जाएगा। प्रारम्भ में इसको एक वर्ष रखा गया है। मैं समझता हूं कि यह इतना हार्मलेस है कि किसी बात को कहने की कोई गुन्जाइश नहीं है।

श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मैं इस पर अपने विचार रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें।

श्री ईश्वरी सिंह—

मैं इस पूरे अधिनियम को प्रतिक्रियावादी समझता हूं और इसका सख्त विरोध करता हूं, शासक पक्ष में बैठने के बावजूद भी मैं इसकी सख्त खिलाफत करता हूं। आप मुझे बोलने का मौका दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आप इस अधिनियम पर बोलें। आप बोलें।

श्री ईश्वरी सिंह—

इस पर बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष—

आप इस बिल को देखें। इसमें केवल सदस्य की संख्या को 8 से बढ़ा कर 12 कर दिया गया है और दूसरे इस परिषद् के अतिक्रमण करने की भी व्यवस्था का प्रश्न है। इन्हीं पर आप बोलिए। मैंने जो टोका था वह इसलिए टोका था क्योंकि आप विषयान्तर हो रहे थे।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

श्रीमन्, मैंने केवल यह कहा था कि इसमें एक ही संशोधन लाया जा रहा है। मेरा कहना यह है कि इसमें और संशोधन आने चाहिए थे।

श्री अध्यक्ष—

यदि आप चाहें तो एक नया विधेयक ला सकते हैं।

*श्री ईश्वरी सिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं शासन दल में होते हुए भी यह कहता हूं कि इस अधिनियम को देखकर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। सरकार का यह कदम तो सही है कि गन्ना विकास परिषद् के सदस्यों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यह भी अच्छी बात

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि नामजदगी के बजाय अब चुनाव की पद्धति करने जा रही है लेकिन किस-किस प्रकार के व्यक्ति इसमें होंगे, यह देखकर मुझे बड़ा दुःख हुआ है। इस विकास परिषद् में 7 तो ऐसे व्यक्ति हैं जो मिल मालिक के होंगे, यानी 2 प्रतिनिधि मिल के, एक प्रतिनिधि खंडसारी मिलों का और बाकी अधिकारी होगे। इसके अलावा बड़े-बड़े काश्तकार होंगे। मैं अपनी सरकार को बड़े स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूं कि व्यावहारिक रूप से यह विकास परिषद् किसानों के सोलह आने खिलाफ जाने वाली है, भले ही यह परिषद् गन्ने की नस्ल सुधारने का प्रयास करे। किसानों के लिए यातायात के साधन मुहैया करें। इसमें सब से खतरनाक जो चीज है वह यह है कि इसमें जो अध्यक्ष होगा वह या तो कोई बड़ा काश्तकार होगा या मिल मालिक हो सकता है। इसमें केवल सरकारी अधिकारियों पर ही प्रतिबन्ध लगाया गया है। मिल मालिक इन सबको अपने हित में इस्तेमाल करेगा। अभी तक विकास परिषद् बहुत ही सीमित कार्य कर पाती थी क्योंकि उसके पास कोई फन्ड्स नहीं रहते थे और जो होते भी थे उनका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता था। जैसा कि अभी माननीय मन्त्री जी ने स्वयं कहा है कि कई वर्षों से इसका गठन ही नहीं हुआ है। न सड़कें ही बनीं, न पुल बने और न बीज सुधारने के बारे में ही कोई कार्य हो पाया। जिस प्रकार से अब यह गठन किया जा रहा है और जिस प्रकार से व्यक्तियों को इसमें रखा जा रहा ह, गन्ने का काश्तकार होने के नाते और सोसाइटी में रहने के नाते, मुझे पूरी आशंका है कि इस विकास परिषद् द्वारा कोई विकास हो भी पाएगा या नहीं। यह जो अधिनियम है, मुझे आश्चर्य है कि हमारे मन्त्री जी प्रगतिशील विचारधारा के होते हुए भी, इसको केवल सरकार के अधिकारियों की राय से बनाया है। यदि मन्त्री जी इसको गहराई से सोचें तो देखगे कि इसके बहुत भयंकर परिणाम होंगे। सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर जिस प्रकार की आप नुमाइन्दगी दे रहे हैं, मिल मालिक, बड़े फार्मर्स और सरकारी अधिकारी मिल पर सोलह आने इस रुपए का दुरुपयोग करेंगे, जो किसी भी प्रकार से किसानों के हित में नहीं होगा। हमारे माननीय मन्त्री जी इस क्षेत्र में काफी अनुभवी है। उसी नाते से मैं बार-बार कह रहा हूं कि वह पुन : विचार करें कि केवल सरकारी अधिकारियों के बना देने से हमें इस विधेयक को पास नहीं करवाना चाहिए, वह इसकी फिर से ड्रफ्टिंग करें और तब सदन में लायें। यही मेरा आपसे निवेदन है।

(इस समय 1 बजकर 35 मिनट पर उपाध्यक्ष) कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने हमारे गन्ना विकास मन्त्री ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उस पर बोलने का अवसर दिया। गन्ना विकास परिषद् का जिस प्रकार गठन हो रहा है उसमें केवल 5 प्रतिनिधि गन्ना उत्पादकों के होंगे और 7 प्रतिनिधि और लोग होगे। इसलिए यह परिषद् गन्ना उत्पादकों के हित में नहीं हो सकता। गन्ना उत्पादकों में से जो 5 चुने जायेंगे वह जो प्रतियोगी होंगे, उनमें से चुने जायेंगे। केन सोसायटीज में जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स चुनकर आते हैं, उनको गांव के जो प्रतिनिध होते हैं वही चुनकर भेजते हैं। तो या तो आप डायरेक्टर्स में से 5 चुनवायें तब यह समझा जायगा कि जनतांत्रिक पद्धति को आप एक रूप दे रहे हैं। प्रस्तुत संशोधन द्वारा गन्ना उत्पादक या गन्ना उत्पादक के लाभ के लिए जनता के बीच में जो कार्य करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व हो नहीं सकता। इसलिए जो प्रबन्ध समिति है उसमें से या जो प्रतिनिधि उनको चुनते हैं उनमें से अगर 5 आदमी चुने जाते तब मैं समझता कि गन्ना उत्पादकों के हित की रक्षा के लिए इस परिषद् का निर्माण हो रहा है।

अध्यक्ष जी ने ठीक कहा कि हमने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसी के सम्बन्ध में कहें। मैं केवल एक बात कहूंगा कि गन्ना उत्पादक के हित को सोच कर यह संशोधन रखा गया है कि गन्ना परिषद् बने उसके माध्यम से गांव-गांव में सड़कें बने और जो पैसा उपलब्ध हो उसका सदुपयोग हो। लेकिन जो गन्ना उत्पादक हैं उनकी स्थिति फैक्टरीज के रवैये से कितनी खराब हो रही है, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूं, तो अनुचित

[श्री देव बहादुर सिंह]

नहीं होगा। 8 फरवरी, को मन्त्री जी ने घोषित किया था कि इस साल गन्ने की कीमत साढे 12 और साढ़े 13 रुपए क्विन्टल होगी और वह पैसा उस दिन से दिया जायेगा जिस दिन से फैक्टरीज ने क्रशिंग शुरू कीहै। लेकिन फैक्टरी वाले कहते हैं कि हम तो 8 फरवरी के बाद से बढ़ी हुई कीमत देंगे। क्या सरकार के पास कोई ऐसा कानून नहीं है कि सरकार की घोषित नीति के अनुसार पैसा देने के लिए वह बाध्य हों? अगर नहीं है तो मैं चाहूंगा कि इस तरह का प्राविधान कानून में किया जाय जिससे मिल मालिकों पर वह आबलीगेटरी हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

यहां तो केवल परिषद् के गठन पर विचार हो रहा है, मूल्य निर्धारण पर कोई फैसला नहीं होना है, वह तो हो चुका है।

श्री देव बहादुर सिंह—

इसी तरह 8 फरवरी के बाद से 1 रुपया ट्रान्सपोर्ट का काटना शुरू कर दिया जबकि 32 पैसे लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो माननीय अध्यक्ष इसके पहले कह गए हैं कि असरकारी दिवस को आप स्वयं एक विधेयक ला सकते हैं, अगर सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है।

श्री देव बहादुर सिंह—

इस तरह की बात कहने से एक बातावरण बनता है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि इससे गन्ना किसानों का बड़ा हित होगा ऐसी बात नहीं है। आप देखें कि गन्ना विकास परिषद् में कौन-कौन लोग होंगे, यह विधेयक के पृष्ठ 2 पर दिया गया है। एक तो सम्बद्ध चीनी की फैक्ट्री के दो प्रतिनिधि, दूसरे पांच गन्ना उत्पादक जिनका निर्वाचन सुरक्षित क्षेत्र में कार्यशील गन्ना उत्पादक समितियों की प्रबन्ध कमेटी के सदस्य उन व्यक्तियों में से करेंगे जो गन्ना आयुक्त द्वारा सुरक्षित क्षेत्र में पूर्ववर्ती तीन वार्षिक प्रतियोगिताओं में से प्रत्येक में प्रथम दस स्थान प्राप्त किये हों। इसमें भी प्रतिबन्ध लगा है—प्रतिबन्ध यह है कि चुने जाने वाले पांच गन्ना उत्पादकों में से कम से कम दो गन्ना उत्पादक ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने उस वर्ष में जिसमें उक्त प्रतियोगिता हुई हो, दो हेक्टेयर से अनधिक क्षेत्रफल में गन्ना की खेती नहीं की थी। इस तरह से आप देखें कि धनी किसान ही आ पायेंगे, जो 75 फीसदी किसान प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते हैं मामूली किसान हैं वे नहीं आ पाएंगे। इसमें जो-जो आदमी रखे गए हैं वे वही लोग हैं जो छोटे किसानों के दुश्मन हैं। इसलिए इस विधेयक से सरकार की जो मंशा है वह पूरी नहीं हो रही है। माननीय मन्त्री जी तो बड़े प्रोग्रेसिव हैं, हमारे बड़े भाई और बड़े मित्र भी हैं वे इस पर विचार करें। इसके पास कराने से किसानों को बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। इस लिये इस विधेयक का जो आकार और स्वरूप है, उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

मैं अपने साथी, खासतौर से बुलन्दशहर के, को बताना चाहता हूं कि उन्होंने शायद इस विधेयक को ठीक से पढ़ा नहीं। यदि पढ़ा होता तो जो इन्टरप्रिटेशन उन्होंने दिया, वह गलत दिया। मैं यह बताना चाहता हूं कि पहली कमेटी और अब की कमेटी में क्या अन्तर है। पहले कमेटी में एक चेयरमैन होता था जो केन कमिश्नर विद दि प्रीवियस कन्सेन्ट आफ दि गवर्नर, नियुक्त करता था। केन कमिश्नर जिसको नामिनेट करता है वही चेयरमैन होता है। लेकिन अब हमने इसमें यह कर दिया है कि जो चेयरमैन होगा वह एलेक्टेड होगा और नान-आफिशियल में से होगा। पहले दो रेप्रेजेंटेटिव्ज शुगर फैक्ट्रीज के होते थे, आज भी दो ही रेप्रेजेंटेटिव्ज हैं, उसे मैंने बदला नहीं है। एक रेप्रेजेंटेटिव लाइसेंस शुदा, पावर क्रशर्स

का होगा। पहले दो होते थे, अब एक कर दिया है। 5 रेप्रेजेंटेटिव्ज होंगे केन ग्रोवर्स के। वे केन ग्रोवर्स जिन्होंने गन्ना उत्पादन प्रतियोगिता में प्रथम 10 स्थानों में आये हों। 5 में से दो वे होंगे जो स्माल फार्मर्स की श्रेणी में आते हैं यानी जिनके पास 2 हेक्टर से कम जमीन हो। गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने इन्हीं को स्माल फार्मर माना है और उसी को हमन भी मान लिया है। मान लीजिये आज जो केन ग्रोवर्स में किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेते हैं लेकिन कल को जब उन्हें मालूम हो जाएगा कि गन्ना परिषद् में वे ही प्रतिनिधि बन कर जा सकते हैं जो अधिक गन्ना उत्पादन करने की प्रतियोगिता में आवेंगे तो हो सकता है कि इस ख्याल से भी वे गन्ने की अच्छी पैदावार करने लगें और इस तरह से यह एक डेवलपमेंट का प्रस्ताव है। वे इस बात को सोचेंगे कि अगर अधिक गन्ना नहीं पैदा करेंगे तो प्रतियोगिता में नहीं आ सकते हैं, इस ख्याल से भी वे अच्छा गन्ना बोयेंगे और इस तरह से बिना पैसे की यह प्रतियोगिता सरकार ने रखी है और इस तरह से प्रदेश का हर काश्तकार कोशिश करेगा कि उसका भी नम्बर आवे। इसमें कोई फीस भी नहीं है। जब वे सोचेंगे कि प्रतियोगिता जीते बिना वे गन्ना परिषद् के सदस्य नहीं हो सकते तो वे अपने खेतों में गन्ना उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इस तरह से प्रदेश में गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा। यह बड़ा ही प्रगतिशील कदम है, इसलिए आप इस व्यवस्था को स्वीकार करें। जो चार आफिशियल्स हैं, उनकी जिम्मेदारी होगी कि वे प्रगतिशील सीड्स दें, इसमें शुगर केन प्रोटेक्शन इन्सपेक्टर को भी रखा गया है। इसका कांस्टीट्यूशन ऐसा बनाया गया है ताकि सबका प्रतिनिधित्व हो सके। मैं समझता हूं कि जिस तरह से हमारे दोस्त ऊदल जो अपने संशोधनों को पहले वापस लेते रहे हैं, उसी तरह से वे चुपचाप अपने इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री ईश्वरी सिंह—

माननीय, मैं एक स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं। क्या माननीय मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि अगर इस पर प्रतिक्रियावादियों का कब्जा हुआ—बड़े-बड़े फार्मर्स, अफसरों और मिल मालिकों का, तो वे पुनः तीन-चार महीने बाद इस पर विचार करने के लिए तैयार हैं या, नहीं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

इसके चेयरमैन मिल मालिक नहीं होंगे। हमने उसमें नान-आफिशियल रखा है, अब यह मैं कैसे कह सकता हूं कि मिल वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे भी पैसा देते हैं। लेकिन इसमें ज्यादातर—आधे से कुछ कम ही मिलें सरकार के हाथों में ही हैं। थोड़ी बहुत रह गयीं हैं उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। उनमें से कोई इन्टरेस्ट लेना नहीं चाहेगा क्योंकि पैसा उनको खर्च करना पड़ेगा। कोई भी आदमी, मिल मालिक केन डेवलपमेंट काउन्सिल का प्रेसीडेन्ट होना नहीं चाहेगा क्योंकि उसमें उनको पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसकी आप चिन्ता न करें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1953 ई० की धारा 5 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 में—

(क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जाएंगी, अर्थात् :—

"(3) परिषद् में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(i) सम्बद्ध चीनी की फैक्ट्री के दो प्रतिनिधि, जो अध्यासी द्वारा नामांकित किए जायेंगे ;

(ii) पांच गन्ना उत्पादक जिनका निर्वाचन सुरक्षित क्षेत्र में कार्यशील गन्ना उत्पादक समितियों की प्रबन्ध कमेटी के सदस्य उन व्यक्तियों में से करेंगे जो गन्ना आयुक्त द्वारा सुरक्षित क्षेत्र में पूर्ववर्ती तीन वार्षिक प्रतियोगिताओं में से प्रत्येक में प्रथम दस स्थान प्राप्त किए हों :

प्रतिबन्ध यह है कि चुने जाने वाले पांच गन्ना उत्पादकों में से कम से कम दो गन्ना उत्पादक ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने उस वर्ष में जिसमें उक्त प्रतियोगिता हुई हो दो हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में गन्ना की खेती नहीं की थी ;

(iii) सुरक्षित क्षेत्र में, खंडसारी बनाने वाली लाइसेन्स शुदा शक्ति चालित इकाइयों का एक प्रतिनिधि जो स्वामियों द्वारा निर्वाचित किया जायगा ;

(iv) जिला गन्ना अधिकारी ;

(v) गन्ना रक्षा निरीक्षक ;

(vi) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत रीजनल केन डेवलपमेंट कारपोरेशन नामक कम्पनी का एक प्रतिनिधि जो उसके द्वारा नामांकित किया जायगा ;

(vii) ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक जो पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(3-क) परिषद् के सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को जो सरकारी सेवक न हो, परिषद् का सभापति निर्वाचित करेंगे।" ;

(ख) उपधारा (4) में, वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के प्रख्यापन के पश्चात् गठित की जाने वाली प्रथम परिषद् का कार्यकाल केवल एक वर्ष होगा।"

श्री देव बहादुर सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं:—

विधेयक के खण्ड 2(क) द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली उपधारा (3) के वर्तमान खण्ड (ii) में शब्द 'उन व्यक्तियों में से' के पश्चात् शब्द 'एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रणाली के अनुसार' बढ़ा दिए जायं।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इस विधेयक के खण्ड 2(क) द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली उपधारा (3) के वर्तमान खण्ड (ii) में शब्द "उन व्यक्तियों में से" के पश्चात् शब्द "एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रणाली के अनुसार" बढ़ा दिए जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 3 व 4

नयी धारा 8-क का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी अर्थात् :—

परिषद् का अतिक्रमण

"8-क—यदि किसी समय राज्य सरकार का परिषद् के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि परिषद् ने इस अधि नियम के अधीन अपने किसी कृत्य का निर्वहन और कर्त्तव्य का पालन करने में जानबूझ कर व्यतिक्रम किया है तो वह विज्ञप्ति द्वारा परिषद् का ऐसी अवधि के लिए जो विनिर्दिष्ट की जाय, अतिक्रमण कर सकती है, और अतिक्रमण की अवधि में परिषद् के कृत्यों का निर्वहन और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए, ऐसा प्रबन्ध करेगी जैसा वह उचित समझे।"

निरसन और अपवाद

उ0प्र0 अध्यादेश सं0 2, 1976

4—(1) उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन या उपधारा (1) में उल्लिखित अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों द्वारा संशोधित अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्ध के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 व 4 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक,, 1976

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) यह 17 सितम्बर, 1975 से प्रवृत्त समझा जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976, जैसा कि संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 जैसा कि संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1976†

*वन मन्त्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, इस विधेयक को लाने की आवश्यकता यों पड़ी कि लीसे की चोरी बहुत बढ़ गयी थी। जैसा कि देखने में आया है, हमारा जो लीसा का उत्पादन था वह पहले से बहुत बढ़ गया था लेकिन वह कम हो गया क्योंकि चोरी बढ़ गयी। इसलिए इस विधेयक को लाने की आश्यकता पड़ी। सरकार लीसा की ट्रेड, तिजारत को नेशनलाइज कर रही है, इधर से उधर जाने पर उस पर नियन्त्रण रखा जायगा। इससे जो हमारी चोरी थी वह कम हो जाएगी और जो लीसा बाहर चला जाता था, वह नहीं जा सकेगा। इसी तरीके से जो खैर के पेड़ थे, कत्थे के, वह बड़ी बुरी के तरह से काटे जा रहे थे। इन पर भी नियन्त्रण लगाने जा रहे हैं। जो आरा मशीनें जंगल के करीब होती थीं वहां पर लट्ठे कर दिये जाते थे तो यह मालूम करना मुश्किल हो जाता था कि किस पेड़ का लट्ठा है और कहां से आया है? इसलिए इस पर भी थोड़ा नियन्त्रण हो, इस उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसको माननीय सदस्य मान लेंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1976 को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया जाय, जो एक माह के अन्दर सदन को अपनी रिपोर्ट दे। सदस्यों के नाम बाद में प्रस्तावित कर दिए जायेंगे।

मान्यवर, जहां तक विधेयक के उद्देश्य का प्रश्न है मैं उससे पूरी तौर से सहमत हूं और मन्त्री जी को बधाई देता हूं जो कि इस प्रकार का विधेयक लाए हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि लीसा की आमतौर पर चोरी होती थी। पेड़ लगाए जाते थे और हवा के झोंके से गिर जाते थे। तो जहां तक नियन्त्रण का प्रश्न है, मैं मन्त्री जी की बात से, और विधेयक की बात से पूर्णत : सहमत हूं। लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। सबसे पहली कमी आप देखेंगे कि 10 ऐसी धारायें हैं जिनमें पावर डेलीगेट की गयी है। मैं समझता हूं कि यह इक्सेसिव पावर आप कर रहे हैं। सारे अधिकार नौकरशाही को देना और विधेयक के अन्दर डिफाइन न करना इस विधेयक की कमजोरी है। इसका नतीजा होगा कि नीति सम्बन्धी मामले नौकरशाही पर छोड़ देंगे जिसकी इसमें आवश्यकता नहीं थी। तमाम बातों का इसमें प्राविधान हो सकता था जिनको कि आप पावर प्रतिनिहित कर रहे हैं।

दूसरी बात, उम्मीद थी कि लीसा के अन्दर ठेकेदारी की प्रथा को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। सही है कि उत्पादित लीसा सरकार खरीदेगी लेकिन लीसा का काम ठेकेदार को दे रहे हैं। इसमें लिखा है कि जो लीसा का काम करेंगे उनका रजिस्ट्रीकरण होगा जिसका मतलब यह कि सरकार अभी भी तैयार नहीं है। आपने वन निगम और पर्वतीय विकास निगम बनाया है। यदि उनके माध्यम से आप काम करायें, तो अच्छा होगा। दूसरी चीज, धारा 10 के अन्दर लीसा के प्रत्येक छेवक मजदूर को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपको रजिस्ट्रेशन अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा, जिससे विदित होता है कि रजिस्ट्रेशन फीस भी

---

† 25 मार्च, 1976 की कार्यवाही में छपा है ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप लगायेंगे। ठेकेदार पर फीस लगे तो समझ में आता है, लेकिन एक लीसा के छेवक गरीब मजदूर पर बन्दिश लगा दें कि पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और फीस देना पड़ेगा और तब सहकारी समिति के द्वारा काम कर सकेंगे, तो मैं समझता हूं कि यह आप मजदूरों के लिये कठिनाई पैदा करेंगे। यदि आप एक डी0 एम0 ओ0 को निबन्धक बना देंगे तो मजदूर कहां हेड क्वार्टर पर आ पाएगा और रजिस्ट्रेशन के लिये काफी धन खर्च कर पायेगा। इसलिए मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि लीसा का जो छेवक मजदूर है, उसके लिये रजिस्ट्रेशन का प्राविधान न रखें और फीस का प्राविधान भी न रखें। तीसरी बात यह है कि अन्तरिम व्यवस्था की। अब तक जो काम चल रहा है, चाहे ठेकेदार का हो या सहकारी समिति का हो, उमको पुरानी रीति से ट्रान्सपोर्ट करने की जो बात थी, वह होनी चाहिए। अब धारा 5 में कहा गया है कि प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति लेनी पड़ेगी तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो पुरानी शर्तों पर टीपन हो चुका तो अब फिर वह रेंजर, और डी0 एम0 ओ0 की खुशामद करे, तो यह उचित नहीं है। इसके बाद कीमत की बात है। इसमें एक सलाहकार समिति की नियुक्ति की बात कही गयी है। लेकिन उसकी सिफारिश सरकार मानेगी या नहीं इसका कोई दायित्व नहीं है। राज्य सरकार उसकी सिफारिश को ठुकरा सकती है। यह गलत है। यह समिति, जो मापदन्ड निर्धारित किए गए हैं उनके अनुसार कीमत तय करेगी तो फिर उसकी सिफारिश अनिवार्यत: मंजूर कर लेना चाहिए। इसके पश्चात् यह है कि प्राइवेट व्यक्ति, जिसका जंगल है, अगर उसमें लीसा टीपन न हुआ हो तो नोटिस देकर टीपन करा सकते हैं। लेकिन नोटिस का कितना समय होगा इसका भी उल्लेख इसमें होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मुझे यह निवेदन करना है कि हालांकि आपने लीसा के श्रमिकों का न्यूनतम वेतन तय कर दिया है। लेकिन मैं समझता था कि इस विधेयक में भी न्यूनतम मजदूरी का जिक्र होगा। आपने ठेके की शर्तों में एक शर्त यह रख रखी है कि यह वेतन होगा लेकिन अब ठेके नहीं होंगे। इसलिए इस विधेयक में ही उसका प्राविधान होना चाहिए। अन्त में मुझे यह कहना है कि इसमें आप जल्दबाजी न करें। सभी माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे। लेकिन इसके अन्दर कुछ कमजोरियां हैं, इसलिए इसको प्रवर समिति को सौंप दें। एक महीने में रिपोर्ट आ सकती है। आशा है कि मन्त्री जी मेरा संशोधन स्वीकार करेंगे।

*श्री बालकृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)—

उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों से सम्बन्धित जो बिल आया है, उस पर बोलने का मुझे अवसर दिया। माननीय नेगी जी ने संशोधन प्रस्तुत करते हुए कुछ बातों का जिक्र किया। प्रवर समिति को भेजने की आवश्यकता अब इसलिए नहीं रह जाती क्योंकि अध्यादेश के जरिए उस पर अक्तूबर से अमल शुरू हो गया है। इसलिए उसके संशोधन का समर्थन तो मैं नहीं कर सकता। हां, यह सही है कि धारा 10 में और बातें तो समझ में नहीं आती हैं, लेकिन एक छेदक के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो, यह बात स ज्ञ में नहीं आती। क्योंकि देहातों के गरीब मजदूर होते हैं और मजदूरी का काम करते हैं, लीसा निकालते हैं। अगर आप यह चाहते हैं कि वे रजिस्ट्रेशन के लिए आएं तो वह किस अधिकारी के पास जाएं? फिर उसमें फीस का भी जिक्र है साथ ही साथ किस तरह से उनको लाइसेन्स दिया जायगा? इस प्रकार से जो मजदूरी करना चाहते हैं उन पर रोक लगती है। किस प्रकार के वसूल होंगे या और क्या क्या होगा, इससे उन पर प्रतिबन्ध लग जाएगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि मन्त्री जी हमको अश्वस्त कर दें कि इस प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी। और केवल एक एप्लीकेशन रेंजर को दी जाएगी, जो इसको स्वीकार कर लेगा। अगर उसको इधर-उधर दौड़ना भागना पड़ा तो दिक्कत हो जाएगी। इसका तात्पर्य यही है कि इस प्रकार से जो लाभ हो वह वहां के लोगों को मिल सके। अच्छे विदोहन का, जो इसमें कहा गया है, उसके लिए मैं मन्त्री जी को बधाई देता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बालकृष्ण सनवाल]

मेरे यहां नैनीताल जिले में दो तीन मामले आए कि इन्हीं कारणों से उनके मामले दो-तीन महीनों तक पड़े रहे और महीनों उनके पास रुपया बाकी पड़ा रहा। जो लोग लीसा निकाल चुके थे उन पर किस प्रकार से फीस लगाई जाएगी या फीस लगाकर ही उसकी निकासी होगी। इन प्रश्नों पर माननीय मन्त्री जी को अवश्य विचार करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए।

*श्री अजीत प्रताप सिंह—

अभी-अभी दोनों माननीय सदस्यों ने विधेयक का स्वागत किया है। इसमें जितनी बातें हैं, उसमें से दो-चार बातें उन्होंने बताई हैं। जब यह विधेयक काम में आएगा तो जो कुछ भी कमियां सामने आयेंगी, उनको हम परिवर्तित कर देंगे और इसमें कोई परेशानी नहीं है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि हम इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजें। आपको मालूम है कि अक्तूबर में इसका आर्डिनेन्स हो गया था, जिसको अब 5, 6 महीने हो गए हैं और अब इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने से कोई काम नहीं होगा। मेरी यह प्रार्थना है कि जो संशोधन माननीय सदस्यों ने रखे हैं उनको वापस ले लें और इसको पास करने की कृपा करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय मन्त्री जी के आश्वासनों को देखते हुए मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

श्री बालकृष्ण सनवाल—

इतना अवश्य फिर से कहूंगा कि इन मजदूरों पर कोई फीस नहीं लगनी चाहिए जो कि छेवक का काम करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मन्त्री जी ने कह दिया है कि हम उस पर विचार करेंगे।

प्रश्न यह है कि श्री गोविन्द सिंह नेगी को अपना संशोधन वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2 से 22 तक

अध्याय—2

लीसा के व्यापार का विनियमन

परिभाषाएं

2—जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्याय में—

(क) "नियत दिन" का तात्पर्य किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में उस दिन से है जब से यह अध्याय उस क्षेत्र में प्रवृत्त हो;

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार के अधिकारी से है जिसे वह अपनी ओर से लीसा के क्रय या विक्रय के लिए और धारा 5 के अधीन अनुज्ञा-पत्र देने के लिए प्राधिकृत करे;

(ग) "विहित" का तात्पर्य इस अध्याय के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है;

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

(घ) "लीसा" का तात्पर्य चीड़ या कैल के वृक्षों से छेव द्वारा निकाले गए स्राव से है ;

(ङ) "लीसा डिपो" का तात्पर्य उस स्थान से है जिसको इस रूप में अरण्यपाल उस डिपो के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में छेवे गए लीसा के क्रय, संग्रह या विक्रय के लिए विनिर्दिष्ट करे ;

(च) "लीसा उत्पाद" का तात्पर्य लीसा के प्रसंस्करण से प्राप्त व्युत्पादन से है और उसके अन्तर्गत रोजिन तारपीन, जमाया हुआ लीसा, और सीधे लीसा से बनाए गये पेन्ट और वारनिश भी है ;

(छ) "लीसा छेवक" का तात्पर्य लीसा छेवने वाले व्यक्ति से है ;

(ज) "इकाई" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित इकाई से है ;

(झ) जो शब्द तथा पद इस अध्याय में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित हैं और उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय वन-अधिनियम, 1927 में परिभाषित हैं उनके वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में उनके लिए दिए गये हैं।

अधिनियम संख्या 16; 1927

इकाइयों का गठन

3—राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, राज्य को उतनी इकाइयों में बांट सकती है जितनी वह उचित समझे और जब तक ऐसी अधिसूचना द्वारा परिवर्तन न किया जाय, प्रत्येक वन सर्किल (जैसा वह राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश से तत्समय परिसीमित हो) एक इकाई होगी।

लीसा आदि के विक्रय, क्रय और परिवहन पर निर्बन्धन

4—नियत दिनांक को और उसके पश्चात्—

(क) कोई व्यक्ति, जब तक कि वह धारा 10 के अधीन और अनुसार रजिस्ट्रीकृत न हो, लीसा का न छेवन करेगा, न किसी लीसा उत्पाद का निर्माण करेगा और न किसी लीसा या लीसा उत्पाद का निर्यात करेगा;

(ख) कोई व्यक्ति राज्य सरकार या किसी प्राधिकृत अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को लीसा का विक्रय नहीं करेगा;

(ग) राज्य सरकार या किसी प्राधिकृत अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति लीसा छेवक से लीसा क्रय नहीं करेगा;

(घ) राज्य सरकार या किसी प्राधिकृत अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति लीसा का परिवहन, निम्नलिखित मामलों को छोड़कर—नहीं करेगा;

(i) जहां वह लीसा का छेवक होने के कारण उसका परिवहन जिस क्षेत्र में लीसा का छेवन किया जाय उसके लिए विनिर्दिष्ट लीसा डिपो को करे; या

(ii) जहां वह राज्य सरकार या किसी प्राधिकृत अधिकारी की ओर से परिवहन करे;

(ङ) राज्य सरकार या किसी प्राधिकृत अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति किसी इकाई में निर्मित लीसा उत्पाद का उस इकाई के बाहर किसी स्थान को ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जायं, जारी किए गये अनुज्ञा-पत्र के बिना परिवहन नहीं करेगा ।

विक्रय, परिवहन आदि के लिए अनुज्ञा-पत्र

5—(1) धारा 4 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार या कोई प्राधिकृत अधिकारी ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर और ऐसी रीति से जो विहित की जाय —

(क) किसी व्यक्ति को, जिसने नियत दिन के पूर्व उस क्षेत्र में जिसमें यह अध्याय लागू हो, लीसा क्रय किया हो, राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को ऐसे लीसा का विक्रय और परिवहन की अनुज्ञा दे सकता है और राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को उसका क्रय और परिवहन करने की अनुज्ञा दे सकता है; या

(ख) किसी व्यक्ति को, जिसने लीसा उत्पादन का निर्माण करने के लिए राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी से लीसा क्रय किया हो उसके परिवहन के लिए और लीसा उत्पाद का निर्माण करने के लिए जिस लीसा का उपयोग करने में वह असमर्थ रहा हो, उसके विक्रय के लिए अनुज्ञा दे सकता है ; या

(ग) किसी व्यक्ति को, जिसने उत्तर प्रदेश के बाहर लीसा क्रय किया हो उसे राज्य के भीतर लाने की अनुज्ञा या तो लीसा उत्पाद का राज्य के भीतर निर्माण करने या उत्तर प्रदेश के बाहर अन्यत्र परिवहन के लिए दे सकता है ; या

(घ) किसी व्यक्ति को; जिसने उत्तर प्रदेश के भीतर किन्तु उस क्षेत्र के बाहर जिस पर यह अध्याय लागू होता है, लीसा क्रय किया हो, उसे किसी क्षेत्र को जिस पर यह अध्याय लागू होता है, लीसा उत्पाद का निर्माण करने के लिए परिवहन करने की अनुज्ञा दे सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन जिस व्यक्ति को अनुज्ञा-पत्र दिया जाय वह विहित फीस का देनदार होगा।

सलाहकार समिति का गठन

6—(1) राज्य सरकार, प्रत्येक वर्ष के लिए और प्रत्येक इकाई के लिए जिसमें लीसा का छेवन किया जाता हो, एक सलाहकार समिति गठित करेगी जिसमें राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट नौ से अनधिक सदस्य होंगे :

परन्तु ऐसे सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्य वन विभाग के और एक-तिहाई से अनधिक सदस्य लीसा छेवकों में से होंगे।

(2) प्रत्येक ऐसी इकाई की सलाहकार समिति राज्य सरकार को समय-समय पर उचित और युक्ति युक्त कीमत निर्धारित करने के लिए जिस पर उस इकाई में विक्रय के लिए प्रस्तुत लीसा राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से क्रय किया जा सके, सलाह देगी और ऐसे अन्य विषयों पर भी सलाह देगी जो उसे राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किये जायं।

(3) समिति का कार्य विहित रीति से संचालित किया जायगा।

राज्य सरकार द्वारा कीमत निर्धारित करना

7—(1) राज्य सरकार, निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, कीमत निर्धारित करेगी जिस पर वर्ष पर्यन्त प्रत्येक इकाई में उसके द्वारा या लिए लीसा क्रय किया जायगा, अर्थात् :—

(क) इकाई के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्ष के दौरान इस अध्याय के अधीन लीसा के लिए निर्धारित की गई कीमत, यदि कोई हो ;

(ख) इकाई में छेवे गये लीसा की किस्म ;

(ग) परिवहन व्यय ;

(घ) इकाई में श्रमिक के लिये प्रचलित मजदूरी की सामान्य दर ;

(ङ) लीसा छेवने का व्यय ;

(च) लीसा पैक करने का व्यय जिसके अन्तर्गत उस डिब्बा का मूल्य भी है जिसमें लीसा दिया जाता है ;

(छ) कोई अन्य तथ्य जिसे राज्य सरकार सुसंगत समझे।

(2) इस प्रकार निर्धारित कीमत राज्य सरकार द्वारा निदेशित रीति से प्रकाशित की जायगी, और जिस वर्ष के सम्बन्ध में वह हो, उसके दौरान उसमें परिवर्तन नहीं किया जायगा।

(3) इस प्रकार निर्धारित कीमत लीसा के शुद्ध भार के लिये होगी, जिसमें उस डिब्बा का भार सम्मिलित न होगा जिसमें लीसा पैक हो।

(4) यदि धारा 6 के अधीन सलाहकार समिति गठित कर दी गई हो तो राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कीमत निर्धारित करने के पूर्व, जहां व्यवहार्य हो, उससे परामर्श करेगी।

राज्य सरकार विक्रय के लिए प्रस्तुत समस्त लीसा क्रय करेगी

8—(1) राज्य सरकार लीसा डिपो पर कार्य के सामान्य समय में उसे या उसके लिए विक्रयार्थ प्रस्तुत किए गए समस्त लीसा की धारा 7 के अधीन निर्धारित कीमत पर क्रय करने के लिए बाध्य होगी :

परन्तु प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे लीसा को क्रय न करने से इन्कार करने का अधिकार होगा, जो उसकी राय में लीसा उत्पाद का निर्माण करने के प्रयोजनार्थ अनुपयुक्त हो।

(2) उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के लीसा क्रय करने से इन्कार करने से व्यथित कोई व्यक्ति इस प्रकार इन्कार किए जाने के पन्द्रह दिन के भीतर, और विहित रीति से प्रभागीय वन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त सशक्त अन्य अधिकारी को (जिसे सक्षम अधिकारी कहा गया है) परिवाद कर सकता है।

(3) उपधारा (2) के अधीन परिवाद प्राप्त होने पर सक्षम अधिकारी संक्षिप्त जांच करेगा और परिवाद की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसा आदेश देगा जो वह उचित समझे और उस दशा में जब उसे क्रय करने से इन्कार करना अनुचित प्रतीत हो तो वह प्राधिकृत अधिकारी को उसे क्रय करने का निदेश दे सकता है।

(4) यदि सक्षम प्राधिकारी को लीसा को इन्कार करना उचित प्रतीत हो किन्तु उसकी राय में लीसा कम कीमत पर क्रय किया जा सकता ह तो वह प्राधिकृत अधिकारी को उसे उस कीमत पर जिसे वह उचित समझे, क्रय करने का निदेश दे सकता है।

(5) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य सरकार या किसी प्राधिकृत अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि विक्रय के लिए प्रस्तुत किए गये लीसा का छेवन किसी ऐसी भूमि पर स्थित वृक्षों से किया गया जो राज्य सरकार में निहित थी या उसके स्वामित्व में थी या जो आरक्षित वन या संरक्षित वन या पंचायती वन के रूप में गठित थी, तो कीमत का भुगतान किये बिना और केवल ऐसे संग्रह प्रभार का यदि कोई हो, भुगतान करके जिसे राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी अवधारित करे, ऐसे लीसा का विनियोग किया जा सकता है।

(6) उपधारा (5) के अधीन की गई किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में उपधारा (2) से (4) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(7) इस धारा के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा।

वृक्षों का छेवन जिनका छेवन न किया जा रहा हो।

9—(1) यदि राज्य सरकार या किसी प्राधिकृत अधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी इकाई में किसी चीड़ या कैल के वृक्ष का छेवन नहीं किया जा रहा है तो राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी ऐसे वृक्ष के स्वामी से विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे वृक्ष से छेवन प्रारम्भ करने या कराने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन नोटिस तामील किये जाने के पश्चात्, वृक्ष का स्वामी ऐसी नोटिस का अनुपालन न करे तो राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी लीसा निकालने के लिये विहित रीति से वृक्ष का छेवन करायेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी वृक्ष से निकाला गया समस्त लीसा इस अध्याय और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार बेच दिया जायगा, और उसकी कीमत उसमें से छेवन व्यय काटने के पश्चात् ऐसे वृक्षों के स्वामी को दे दी जायगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ किसी चीड़ या कैल वृक्ष के सम्बन्ध में पद "स्वामी" के अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जिसके कब्जा प्रबन्ध या नियन्त्रण में ऐसा वृक्ष हो।

लीसा छेवकों आदि का रजिस्ट्रीकरण

10—लीसा का प्रत्येक छेवक लीसा उत्पाद का प्रत्येक निर्माता और लीसा या लीसा उत्पाद का प्रत्येक निर्यातकर्ता ऐसी फीस, ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से जो विहित की जाय, देने पर रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा।

लीसा का निस्तारण

11—राज्य सरकार द्वारा क्रय किये गए लीसा का विक्रय या अन्य प्रकार से निस्तारण ऐसी रीति से किया जायगा जैसी राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेशित हो।

शक्तियों का प्रतिनिधान

12—राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस अध्याय या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन अपनी कोई शक्ति या कृत्य सहायक अरण्यपाल से अन्यून पद के किसी अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकती है जो ऐसी शर्तों या निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जिन्हें राज्य सरकार आदेश में विनिर्दिष्ट करे, उनका प्रयोग या सम्पादन करेगा।

प्रवेश करने, तलाशी लेने, अभिग्रहण करने आदि की शक्ति

13—(1) कोई पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक के पद से नीचे का न हो या कोई वन अधिकारी इस अध्याय या इसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने या अपना यह समाधान करने के उद्देश्य से कि उक्त उपबन्धों का अनुपालन किया गया है :—

(i) लीसा या लीसा उत्पाद के परिवहन के लिये प्रयुक्त या प्रयुक्त किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी व्यक्ति, जलयान गाड़ी या पात्र को रोक सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है ;

(ii) किसी स्थान में प्रवेश कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है ;

(iii) लीसा या लीसा उत्पाद को जिसके सम्बन्ध में उसे यह सन्देह हो कि इस अध्याय या इसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी

उपबन्ध का उल्लंघन किया गया हैं या किया जा रहा है या किया जाने वाला है, ऐसे पात्र सहित जिसमें ऐसा लीसा रखा या पहुंचाना हो, अभिगृहीत कर सकता है;

अधिनियम संख्या 2, 1974

(2) तलाशी लेने और अभिग्रहण करने के सम्बन्ध में दण्ड संहिता, 1973 की धारा 100 के उपबन्ध जिस प्रकार लागू होते हैं, उसी प्रकार से वे, यथाशक्य, इस धारा के अधीन तलाशी लेने और अभिग्रहण करने के सम्बन्ध में लागू होंगे।

शास्ति

अधिनियम संख्या 16, 1927

14—यदि कोई व्यक्ति इस अध्याय या इसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है तो उसके बारे में यह समझा जायगा कि उसने वन अपराध किया है और लीसा या लीसा उत्पाद को, यदि कोई हो, जिसके सम्बन्ध में ऐसा अपराध किया जाता है, ऐसा अपराध किये जाने के सम्बन्ध में वन उपज समझा जायगा, और उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अध्याय 9 के उपबन्ध (उसकी धारा 69 को छोड़कर) तदनुसार आवश्यक परिष्कार सहित लागू होंगे।

कम्पनियों द्वारा अपराध

15—(1) यदि इस अध्याय के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्य संचालन का प्रभारी और उसके लिए कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिये अपराधी माना जाएगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जबकि इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया या उपेक्षाजनित है तो वह प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिये अपराधी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है; और

(ख) "निदेशक" का, किसी फर्म के सम्बन्ध में, तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

अपराधों का संज्ञान

16—किसी वन अधिकारी द्वारा जो रेंज अधिकारी के पद से नीचे का न हो या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त करे, उन तथ्यों के सम्बन्ध में जिनसे कि अपराध बनता हो, दी गयी लिखित रिपोर्ट के सिवाय, कोई भी न्यायालय इस अध्याय के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

अधिनियम के उपबन्धों का अधिभावी प्रभाव

17—किसी अन्य विधि या किसी संविदा या अन्य लिखत में किसी असंगत बात के होते हुए भी, इस अध्याय के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

सद्भावपूर्वक किये गये कार्यों के सम्बन्ध में अपवाद

18—(1) इस अध्याय या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में किये या किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी बात के लिये किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

(2) राज्य सरकार के विरुद्ध इस अध्याय या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के आधार पर या ऐसी किसी बात से जो इस अध्याय या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिये अभिप्रेत हो, किसी हानि के लिए जो हुई हो या जिसके होने की सम्भावना हो या किसी क्षति के लिये जो हुई हो या जिसके होने की सम्भावना हो, कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति

19—(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) विशेषत: और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :—

(क) लीसा की कीमत सूची का प्रकाशन;

(ख) इस अध्याय के अधीन जांच करने की रीति;

(ग) प्राधिकारी जिसके द्वारा, रीति जिसके अनुसार और शर्तें जिन पर धारा 5 के अधीन अनुज्ञा-पत्र जारी किया जा सकता है और ऐसे अनुज्ञा–पत्रों के लिये देय फीस;

(घ) धारा 8 के अधीन जिस लीसा को क्रय करने से इनकार किया गया हो, उसका निस्तारण;

(ङ) धारा 9 के अधीन वृक्षों से लीसा के छेवन की रीति ;

(च) धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की रीति, अवधि जिसके भीतर ऐसा रजिस्ट्रीकरण किया जायगा और उसके लिये देय फीस ;

(छ) किस्म का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिये लीसा की विशिष्टियां ;

(ज) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या किया जाय।

(3) इस अध्याय के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जबकि उसका सत्र हो रहा हो, कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त, जो उसके एक सत्र या दो या इससे अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकती हैं, रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक नियत न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने से सहमत हों किन्तु

इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर बनाया गया कोई नियम ऐसे भूतलक्षी दिनांक से बनाया जा सकता है जो ऐसे प्रारम्भ के पूर्व न हो।

संक्रमण-कालीन उपबन्ध

20—जहां नियत दिनांक से पहले किसी समय किसी व्यक्ति ने अपने द्वारा छेवे जाने की प्रत्याशा में किसी व्यापारी को लीसा के विक्रय के लिये कोई संविदा कर ली थी और उस संविदा के अधीन व्यापारी को दिये जाने के लिये प्रत्याशित लीसा की कीमत का कोई अग्रिम उस व्यापारी से प्राप्त कर लिया था तो इस बात के होते हुए भी, कि धारा 4 और 17 के उपबन्धों के कारण वह संविदा नियत दिन पर शून्य हो जायगी, उक्त व्यक्ति और व्यापारी ऐसे अग्रिम का व्योरा देते हुए एक संयुक्त आवेदन-पत्र प्रभागीय वन अधिकारी या उनके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी को दे सकेंगे, और तदुपरान्त उक्त अधिकारी इस बात का यथाविधि समाधान हो जाने पर कि उक्त व्यक्ति ने आवेदन-पत्र स्वेच्छया दिया है अधिकारी को यह निदेश दे सकते हैं कि उक्त व्यक्ति की ओर से उस व्यापारी को उक्त अग्रिम के बराबर धन (उक्त व्यक्ति के द्वारा उस व्यापारी को पहले ही भुगतान की गई धनराशि को कम करके) किसी ब्याज या प्रतिकर के बिना धारा 8 के अधीन विक्रय किये गये लीसा के लिए उक्त व्यक्ति को देय कीमत में से दिया जाय और ऐसे भुगतान की सीमा तक राज्य सरकार का उक्त व्यक्ति के प्रति और उक्त व्यक्ति का व्यापारी के प्रति दायित्व उन्मुक्त हो जायगा और उक्त व्यक्ति का कोई दायित्व उस अग्रिम के सबन्ध में कोई ब्याज या प्रतिकर देने के लिये नहीं होगा।

अध्याय—3

वन उपज पर आधारित वस्तुओं के निर्माण और तैयारी का विनियमन

अधिनियम संख्या 16, 1927 का संशोधन

21—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अध्याय 8 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"अध्याय 8—क

वन उपज पर आधारित वस्तुओं के निर्माण और तैयारी का विनियमन

वन उपज पर आधारित वस्तुओं के निर्माण आदि के विनियमन की शक्ति।

51—क—राज्य सरकार—

(क) जो आरा मिल और इकाइयां (जिनमें कारखाने भी हैं);

(i) खैर वृक्ष से कत्था

(ii) रोजिन, तारपीन और लीसा के अन्य उत्पाद

(iii) इमारती लकड़ी से प्लाईवुड और दियासलाई

(iv) वन उपज पर आधारित ऐसी अन्य निर्मितियां जिन्हें राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे

के निर्माण या तैयारी में संलग्न है, उनकी स्थापना और अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा के द्वारा या] अन्यथा (और उनके लिये फीस के भुगतान) विनियमन के लिये उपबन्ध;

(ख) खंड (क) में उल्लिखित निर्मितियों से सम्बन्धित कच्चे माल की आपूर्ति के अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा के द्वारा या अन्यथा विनियमन, उसके लिये फीस के भुगतान, ऐसे किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा-पत्र या अन्य दस्तावेज की शर्तों के यथाविधि पालन के लिये ऐसी धनराशि जमा करने, इस प्रकार जमा की गई धनराशि या उसके किसी भाग का ऐसी किसी शर्त के उल्लंघन के लिए समपहरण और ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा सरकारी राजपत्र में विनिर्दिष्ट करे ऐसे समपहरण के न्याय निर्णयन के लिये उपबन्ध,

बनाने के लिये नियम बना सकती है।"

निरसन और अपवाद

22—(1) उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। — **उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10, 1976,**

(2) ऐसे निरसन और 1976 के उक्त अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अध्यादेश, 1975 के निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था। — **उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 30, 1975,**

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तथा खंड 22 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1976

जन साधारण के हित में लीसा के क्रय और वितरण का राज्य के द्वारा, दूसरों का अपवर्जन करके, व्यापार चलाये जाने और वन उपज पर आधारित विभिन्न वस्तुओं के निर्माण और तैयारी और उससे सम्बद्ध विषयों के लिये जन साधारण के हित में व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियमन बनाया जाता है:—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) (क) अध्याय 1 तथा 3, 4 अक्टूबर, 1975 से प्रवृत्त समझे जायेंगे।

(ख) अध्याय 2—

(i) अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, देहरादून, बरेली और सहारनपुर जिलों में 4 अक्टूबर, 1975 से प्रवृत्त समझा जायगा, और

(ii) उत्तर प्रदेश के शेष क्षेत्रों में ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, और ऐसे विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अजीतप्रताप सिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कम से कम वह इस बात का आश्वासन दे दें कि मजदूरों पर कोई लाइसेन्स फीस वह नहीं लगायेंगे।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1976†

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (श्रीमती इन्द्र मोहनी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह बहुत छोटा सा विधेयक है। अक्टूबर, 75 में इसका आर्डिनेन्स हुआ था, और उसको अब एक विधेयक के रूप में लाया जा रहा है। पहले चीफ इंजीनियर, एल0 एस0 जी0 ई0 डी0 एक्स आफिशियो मेम्बर हुआ करता था। जब से जल–निगम हो गया है और वह जल–निगम में मर्ज हो गया है, उसके फलस्वरूप मैनेजिंग डायरेक्टर जल–निगम, एक्स आफिशियो मेम्बर होंगे। इसमें सेक्शन 12–ए को बढ़ाया गया है। इसके अन्तर्गत शहरों की खूबसूरती हेतु मुख्य सड़कों पर जो इमारतें होंगी उनकी ऊपर से मरम्मत और रंगाई होगी जिससे हमारा शहर सुन्दर लगे। जो लोग उन इमारतों में रहते हैं, अगर वे उनकी मरम्मत तथा रंगाई नहीं करायेंगे तो उनकी मरम्मत और रंगाई करा कर उनसे खर्चा ले लिया जायगा और इमारत उन्हीं की रहेगी।

पहले रुपया कर्ज नहीं लिया जा सकता था, डेवलपमेंट अथारिटी को दिक्कत हुआ करती थी और रुपये की कमी के कारण डेवलपमेंट में बहुत देर हुआ करती थी, लेकिन अब सेक्शन 5 के लाने से डेवलपमेन्ट के लिये रुपया लिया जा सकेगा और इस समय भी हुडको तथा बैंक से रुपया ले रहे हैं। सेक्शन 10 में प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी डिमालीशन के केसेज तय किया करती थी, नक्शे पुराने पास करती थी, लेकिन अब वाइस चेयरमैन तय किया करेंगे और यदि किसी को शिकायत है तो चेयरमैन के यहां अपील होगी और चेयरमैन हर जगह के होंगे डिवीजनल कमिश्नर से अगर किसी व्यक्ति को फिर भी पूर्ण विश्वास न मिले, तो वह सरकार से जैसा कि पहले सेक्शन 41 में हुआ करता था वैसे ही कर सकता है।

पहले सेक्शन 10 (2) में लैण्ड एक्वीजीशन प्रोसीडिंग के लिये 31–12–74 तक का समय दिया गया था। उसमें यह सोचा गया था कि जो सब लैण्ड एक्वीजीशन की

---

†26 मार्च, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

[श्रीमती इन्द्रमोहिनी]

प्रोसीडिंग है, वह खत्म कर दी जायेगी, परन्तु कुछ फाइनेन्शियल डिफिकल्टीज आदि के कारण वह काम पूरा नहीं हो सका। इसलिये यह तिथि 31-12-77 तक बढ़ा दी गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह जो छोटा सा विधेयक है, और जनहित में है। इसे माननीय सदस्य पारित करेंगे।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मान्यवर छोटा है, पर बड़ा खोटा है और कोरम भी नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2 तथा 3

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनयम संख्या 11, 1973 की धारा 4 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, उपधारा (3) में, खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात् :--

"(च) उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था अधिनियम, 1975 के अधीन स्थापित जल-निगम का प्रबन्ध निदेशक, पदेन ;"।

अध्याय 3 क का बढ़ाया जाना

3--मूल अधिनियम के अध्याय 3 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :--

मुख्य सड़कों से संसयुक्त कतिपय भवनों के अग्रभाग का अनुरक्षण और सुधार

12--(क) (1) जहां किसी विकास क्षेत्र में पूर्णतः अनावासिक के लिये या अंशतः आवासिक और अंशतः अनावासिक प्रयोजनों के लिये अधिमुक्त कोई भवन किसी मुख्य सड़क से संसयुक्त हो, वहां ऐसे भवन का अधिभोगी अपने खर्च पर उस निमित्त बनाई गई किन्हीं उप-विधियों के अनुसार ऐसे भवन के अग्रभाग की मरम्मत, पुताई, रगाई या पेंटिंग कराने के लिये बाध्य होगा।

(2) जहां प्राधिकरण किसी रंग-व्यवस्था या उस निमित्त अन्य विनिर्दिष्टियों की समरूपता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, या जहां कोई अधिभोगी उपधारा (1) के अनुसार किसी भवन के अग्रभाग की मरम्मत, पुताई, रंगाई या पेंटिंग कराने में असफल रहता है, वहां प्राधिकरण आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकता है कि उक्त कार्य स्वयं प्राधिकरण द्वारा या उसके निदेशाधीन किया जायगा, और तदनुसार अधिभोगी द्वारा प्राधिकरण को ऐसे कार्य के खर्च का भुगतान करने की भी अपेक्षा कर सकता है।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी कार्य के खर्च की गणना बिना किसी लाभ-हानि के आधार पर की जायगी, और जमा किये जाने के लिये अपेक्षित धनराशि की युक्तियुक्तता के बारे में कोई विवाद होने की दशा में, उसका विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जायगा, और उसके अधीन रहते हुए, प्राधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी कार्य का सम्पूर्ण खर्च या उसका भाग, अधिभोगी द्वारा भुगतान न किये जाने की दशा में उपाध्यक्ष के प्रमाण-पत्र पर अधिभोगी से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण--इस धारा में--

(क) पद 'मुख्य सड़क' का वही अर्थ होगा जो उसके लिये उप-विधियों में दिया जाय ;

(ख) किसी भवन के सम्बन्ध में, पद 'अधिभोगी' का तात्पर्य व्यक्ति से है जिसके वास्तविक अधिभोग या उपयोग में भवन हो और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :--

(1) स्वामी (जिस पद के अन्तर्गत अभिकर्ता या न्यासी या न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर, अधिकर्ता या प्रबन्धक या भवन का भोगबन्धकी भी है) जिसका अधिभोग हो ;

(2) किरायेदार जो तत्सम्बन्धी किराया स्वामी को तत्समय दे रहा हो या देने का उत्तरदायी हो ;

(3) उसका माफीदार या लाइसेंसी ;

(4) वह व्यक्ति जिसका दायित्व उसके अप्राधिकृत उपयोग और अधिभोग के लिये स्वामी को क्षतिपूर्ति देने के लिये है।"

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 और 3 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 4, 5 व 6

धारा 14 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 14 में, शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर, जहां कहीं वह आया हो, शब्द "उपाध्यक्ष" रख दिया जायगा, और दिनांक 15 अगस्त, 1975 से रखा गया समझा जायगा।

धारा 18 का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 18 में;

(i) उपधारा (2) में, शब्द "बन्धक या प्रभार" निकाल दिये जायेंगे ;

(ii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:--

"(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी प्राधिकरण या सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी ऐसी भूमि पर (जिसके अन्तर्गत उस पर स्थित कोई भवन भी है) भारतीय जीवन बीमा निगम, हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेन्ट कारपोरेशन या उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 में यथा

परिभाषित "बैंकिंग कम्पनी" या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अनुमोदित किसी अन्य वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक या प्रभार का सृजन कर सकता है।"

धारा 37 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 37 में, शब्द "प्रत्येक विनिश्चय" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 41 में उपबन्धित का अपवाद करते हुए, प्रत्येक विनिश्चय" रख दिये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 4, 5 व 6 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 7

धारा 41 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 41 में,—

(i) शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर जहां कहीं वह आया हो; शब्द "प्राधिकरण, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष" रख दिये जायेंगे और दिनांक 15 अगस्त, 1975 से रखे गये समझे जायेंगे;

(ii) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी और दिनांक 15 अगस्त, 1975 से बढ़ाई गई समझी जायगी, अर्थात् :—

"(4) इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में दिया गया राज्य सरकार का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।"

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

इसमें, "15 अगस्त, 1975 बढ़ाया हुआ समझा जाए", जो 74 होना चाहिये, यह शायद गलत प्रिन्ट हुआ है, इसको कहना चाहता हूं।

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

हो सकता है सायक्लोस्टायल में कुछ गलती हुई हो, इसको करेक्ट कर लिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 7 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 8 व 9

धारा 55 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 55 में, उपधारा (2) में, खंड (ख) में, शब्द "अधिकरण" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष" रख दिया जायगा और दिनांक 15 अगस्त, 1975 से रखा गया समझा जायगा।

धारा 57 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 57 में, खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(ङङ) मुख्य सड़क की परिभाषा और रंग-व्यवस्था और अन्य विनिर्दिष्टयां जिनके अनुसार ऐसी सड़क से संसक्त भवनों के अग्रभाग की मरम्मत, पुताई, रंगाई या पेंटिंग धारा 12-क के अधीन की जायगी;"।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 8 व 9 इस विधेयक के अंग माने जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 10, 11 व 12

धारा 59 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 59 में,—

(i) उपधारा (1) में, खंड (क) में, निम्नलिखित शब्द और अंक अन्त में बढ़ा दिये जायेंगे और दिनांक 15 अगस्त, 1975 से बढ़ाए गये समझे जायेंगे, अर्थात् :—

"और उत्तर प्रदेश (निर्माण–कार्य विनियमन, अधिनियम 1958 के अधीन कार्यवाहियों के जारी रहने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिनियम के अधीन नियत प्राधिकारी और नियंत्रक प्राधिकारी की शक्ति क्रमशः उपाध्यक्ष और अध्यक्ष में निहित होगी ।"

(ii) उपधारा (13) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ाई जायेगी और सदैव से बढ़ाई गई समझी जायगी, अर्थात् :–

"(14) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 365 में किसी बात के होते हुए भी किसी सुधार स्कीम के लिय जिसके सम्बन्ध में कृत्य उपधारा (13) के अधीन विकास प्राधिकरण के सौंपे गये कृत्य समझे जायेंगे, भूमि और भूमि में हित के सभी अर्जन, 31 दिसम्बर 1977 को या उसके पहले कम से कम अधिनिर्णय देने के स्तर तक पूरे किये जायेंगे ।"

वैधीकरण

11—किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व जो कार्य किया गया हो या कार्यवाही की गई हो, जिसके अन्तर्गत मूल अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (14) में, जिस रूप में वह इस अधिनियम द्वारा बढ़ाया गया है, निर्दिष्ट सुधार स्कीम के लिये भूमि या भूमि में हित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई अधिसूचना जारी करना या आदेश पारित करना या अधिनिर्णय देना या कब्जा करना भी है, यह समझा जायगा कि वह उसी प्रकार विधिमान्य है और सर्वदा रहा है, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त रहे हैं और अग्रेतर कार्यवाही, यदि कोई, जो अपक्षित हो तदनुसार की जायगी ।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0 4 1976

12—(1) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किय जाता है ।

(2) ऐसे निरसन या उपधारा (1) में उल्लिखित अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश 1975 के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी, मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 10, 11 व 12 इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जात है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1––(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा ।

(2) यह 3 अक्तूबर, 1975 से प्रवृत्त समझा जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्रीमती इन्द्र मोहिनी––

मान्य :र, मैं प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष––

नियम 51 के अन्तर्गत एक सूचना माननीय रुद्र प्रसाद जी ने दिया है । किन्तु वह सदन में हैं ही नहीं, अनुपस्थित हैं यह अस्वीकार किया जाता है ।

अब हम उठते हैं और कल फिर 11 बजे पूर्वाह्न मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 2 बजकर 23 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
31 मार्च, 1976

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 721 पर।)

सूची 'क'

क्रम सं0	फर्म का नाम
1	मे0 राकवेल इन्जीनियरिंग वर्क्स, वाराणसी
2	मे0 रहमत इन्जीनियरिंग वाराणसी
3	मे0 रुप इन्जीनियरिंग वर्क्स, वाराणसी
4	मे0 अवनीश ट्रेडिंग कम्पनी, वाराणसी
5	मे0 यूनिवर्सल इन्जी0 का0, वाराणसी
6	मे0 अजय ट्रेडिंग कार0 वाराणसी
7	मे0 गुप्ता इन्जी0 वर्क्स, वाराणसी
8	मे0 बनारस बैट्री वर्क्स, वाराणसी
9	मे0 यू0 पी0 इन्जी0 वक्स, वाराणसी
10	मे0 शशी मैके0 वर्क्स, वाराणसी
11	मे0 एलाइड इन्जी0, वाराणसी
12	मे0 सुरेश सर्विस स्टेशन, वाराणसी
13	मे0 यूनाइटेड फेब्रीकैन्टस, वाराणसी
14	मे0 अन्नपूर्णा ट्रेडिंग ऐजेन्सी, वाराणसी
15	मे0 प्रकाश इंजी0 वर्क्स, वाराणसी
16	मे0 जनता आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, आजमगढ़
17	मे0 लक्ष्मी मैके0 वर्क्स, वाराणसी
18	मे0 हरिहर आटोमोवाइल्स, वाराणसी
19	मे0 चन्द्रा इन्जीनियरिंग कम्पनी, वाराणसी
20	मे0 निवोस इंजी0 वर्क्स, वाराणसी
21	मे0 जुपिटर बैट्री वर्क्स, वाराणसी
22	मे0 यू0 पी0 कन्सट्रक्शन, वाराणसी
23	मे0 रवीन्द्र इन्जीनियरिंग, वाराणसी
24	मे0 डिसेन्ट इंजीनियरिंग कम्पनी मेरठ
25	मे0 नरेन्द्रा इन्जी0 कार0, वाराणसी
26	मे0 बृज ट्रेडर्स, लखनऊ
27	मे0 जनरल मशीनरी ट्रेडर्स, वाराणसी
28	मे0 यूनिवर्सल इंजी0 वर्क्स, वाराणसी
29	मे0 भोलानाथ एण्ड ब्रदर्श, वाराणसी
30	मे0 बुलेट बैट्री वर्क्स, वाराणसी
31	मे0 एस0 के0 ट्रेडिंग कार0 (इण्डिया), वाराणसी
32	मे0 शविल ट्रेडर्स, जौनपुर
33	मे0 राघव इन्जी0 वर्क्स, वाराणसी
34	मे0 नीरज ट्रेडिंग कम्पनी, वाराणसी
35	मे0 आटो इन्जी0, वाराणसी
36	मे0 इन्टरनेशनल इन्जी0 इक्विनमेन्ट, वाराणसी
37	मे0 मूसाराम भगवानदास, वाराणसी
38	मे0 हिन्दुस्तान ट्रेडिंग कार0, बलिया
39	मे0 महादेव इंलेक्ट्रि वर्क्स, जौनपुर
40	मे0 ओरियन्टल इन्जी0 कम्पनी, वाराणसी
41	मे0 विजय इन्जी0 वर्क्स, वाराणसी
42	मे0 सतलग मैके0 वर्क्स, वाराणसी
43	मे0 जय भारत इन्जी0 वर्क्स, वाराणसी

क्रम सं0	फर्म का नाम
44	मे0 प्रभात इन्टर प्राइजेज, वाराणसी
45	मे0 इन्डस्ट्रियल सप्लाई कार0, वाराणसी
46	मे0 एस0 आर0 एण्ड कम्पनी वाराणसी
47	मे0 रमन इन्ज 0 वर्क्स, वाराणसी
48	मे0 दुबे प्रिन्टर्स इम्पोरियम, वाराणसी
49	मे0 अग्रवाल एजेन्सीज, वाराणसी
50	मे0 पुरुषोत्तमदास कन्ट्रैक्टर, वाराणसी
51	मे0 यू0 पी0 इन्ज 0 एसोसिएटेड, जौनपुर
52	मे0 बृजमोहनदास एण्ड कम्पनी वाराणसी
53	मे0 विल्डर्स एण्ड ट्रेडर्स, वाराणसी
54	मे0 प्रिसीजन इन्जीनियर्स, मेरठ
55	मे0 सिम्पोटिक इण्डिया ऐजेन्सी, मेरठ
56	मे0 के0 पी0 इन्ज0 वर्क्स, वाराणसी
57	मे0 युनाइटेड ट्रेडिंग कारपो0, वाराणसी
58	मे0 भगवती ट्रेडिंग कम्पनी, वाराणसी
59	मे0 विश्वकर्मा इन्जी0 कम्पनी, वाराणसी
60	मे0 साकेत इन्जी0, गाजीपुर
61	मे0 नेशनल इन्ज 0 कम्पनी, वाराणसी
62	मे0 कमला इन्जी0 वर्क्स, वाराणसी
63	मे0 कुमार इन्जी0 वर्क्स, वाराणसी
64	मे0 सजीव ट्रेडर्स, वाराणसी
65	मे0 भारत एजेन्सीज, वाराणसी
66	मे0 हिन्दुस्तान इन्जी0 ट्रेडर्स, मेरठ
67	मे0 जय इन्जी0 वर्क्स, वाराणसी
68	मे0 देवरिया इन्जी0 कारपो0, इलाहाबाद
69	मे0 लक्ष्मी इन्जी0 वर्क्स, वाराणसी
70	मे0 एटोज, बरेली
71	मे0 डिजल स्पेयर्स, बरेली
72	मे0 एल0 एल, ए जे0 रबर फैक्ट्री, वाराणसी
73	मे0 दुर्गा इन्जी0 वर्क्स, वाराणसी
74	मे0 दी न्यू इलाहाबाद वेल्डिंग इन्जी0 इलाहाबाद
75	मे0 आर्यावर्त आटो0 इन्जी0 कार0, वाराणसी
76	मे0 राणा इन्जी0 कार0 वाराणसी
77	मे0 कामर्शियल ट्रेड वर्क्स, वाराणसी
78	मे0 यूनाइटेड मशीनरी ट्रेडर्स, कानपुर
79	मे0 विशन ट्रेडिंग कम्प0, वाराणसी
80	मे0 रवि इन्जी0 वर्क्स, वाराणसी
81	मे0 पवन इन्जी0 कम्पनी वाराणसी
82	मे0 रेनबो इन्जी0 वर्क्स, वाराणसी
83	मे0 जे0 एम0 वारीवाला एण्ड सन्स, दिल्ली
84	मे0 प्रशान्त ट्रेडर्स, दिल्ली
85	मे0 प्रशान्त ट्रेडर्स दिल्ली
86	मे0 श्री बीरेन्द्र सिंह कन्ट्रेक्टर, वाराणसी
87	मे0 बी0 एल0 जैन ऐण्ड सन्स वाराणसी
88	मे0 हिन्द सप्लाई कारपो0, वाराणसी
89	मे0 ठकुराल इन्जी0 वर्क्स, वाराणसी
90	मे0 दबे ब्रदर्श, इलाहाबाद ।

रिंग्स मशीनों एवं कम्प्रेशर की सूची 'ख'

अवधि		रिंग मशीनों की संख्या	कम्प्रेशरों की संख्या
1—10/72 से 4/73 तक	..	3 अदद	4 अदद
2—5/73 से	..	2 अदद	3 अदद
3—7/33 तक	..	..	..
4—8/73 से 5/74 तक	..	2 अदद	4 अदद
5—6/74 से 9/74 तक	..	1 अदद	2 अदद

सत्यमेव जयते

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 30 का उत्तर पीछे 737 पर।)

पगरनाधिकारी, संडीला द्वारा संडीला नगर, संडीला ब्लाक एवं बेहदर ब्लाक के चीनी कोटेदारों के निरीक्षणों पर कृत कार्यवाही का विवरण

क्रम संख्या	कोटेदार का नाम व पता	शिकायत/आरोप का वितरण	अन्तिम कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
1	श्री गंगा प्रसाद, फुटकर चीनी विक्रेता, गोसवा-डोंगा, संडीला।	पुराने निरस्त कोटेदार, श्री इरशाद अली के नौकर, कमीशन एजेन्ट या साझीदार होना तथा आर्थिक स्थिति कोटे लेने लायक न होना।	निरस्त 28-1-1975
2	श्री होरी लाल, फुटकर चीनी विक्रेता, मलेहरा, संडीला।	शिकमी पर दुकान का उठाया जाना, सावन सहकारी समिति के अंकक (खजान्ची) के पद से गबन के आरोप में पदच्युत किया जाना।	निरस्त 28-1-1975
3	श्री देवी प्रसाद, फुटकर चीनी विक्रेता, गोसवा-डोंगा, संडीला।	नियुक्ति के पूर्व दिनांक 19-5-1971 को इनका अनुबन्ध पत्र निरस्त किया जा चुका था। इस तथ्य को छिपाकर पुनः कोटा प्राप्त कर लिया।	निरस्त 28 12-1974 बहाल 10-3-1975
4	श्री लालता प्रसाद, फुटकर चीनी बिक्रेता संडीला नगर।	फर्जी बिक्री एवं नियंत्रित वस्तुओं का दुरुपयोग	निरस्त 31-5-1975 बहाल 19-7-1975
5	श्री लक्ष्मी नरायन, फुटकर चीनी बिक्रेता, मांडर ब्लाक, बेहदर।	निरीक्षण के समय दुकान का बन्द होना, दुकान की स्थिति के बारे में किसी भी सूचना पट का न होना तथा लेवी चीनी का नियमित वितरण न करना।	..
6	श्री राना सिंह, फुटकर चीनी बिक्रेता मलेहरा, संडीला।	न्याय पंचायत के मध्य में दुकान का न होना।	..
7	श्री ज्वाला प्रसाद रामेश्वर प्रसाद फुटकर चीनी बिक्रेता, ककराली, संडीला।	दुकान न्याय पंचायत के बाहर होना और चीनी वितरण नियमानुसार न करना।	..
8	श्री भोला नाथ ज्ञान प्रकाश, ककराली, संडीला	दुकान न्याय पंचायत के बाहर होना व्यवहार कुशल न होना तथा उपभोक्ताओं को नियमानुसार चीनी वितरण न करना।	..

पी0 एस0 यू0 पी0—एल0 37 वि0 सभा—(76)—1976—840।